खण्ड-235, अंक-2
मंगलवार, 3 आश्विन, शक संवत् 1884
(25 सितम्बर, 1962 ई0)

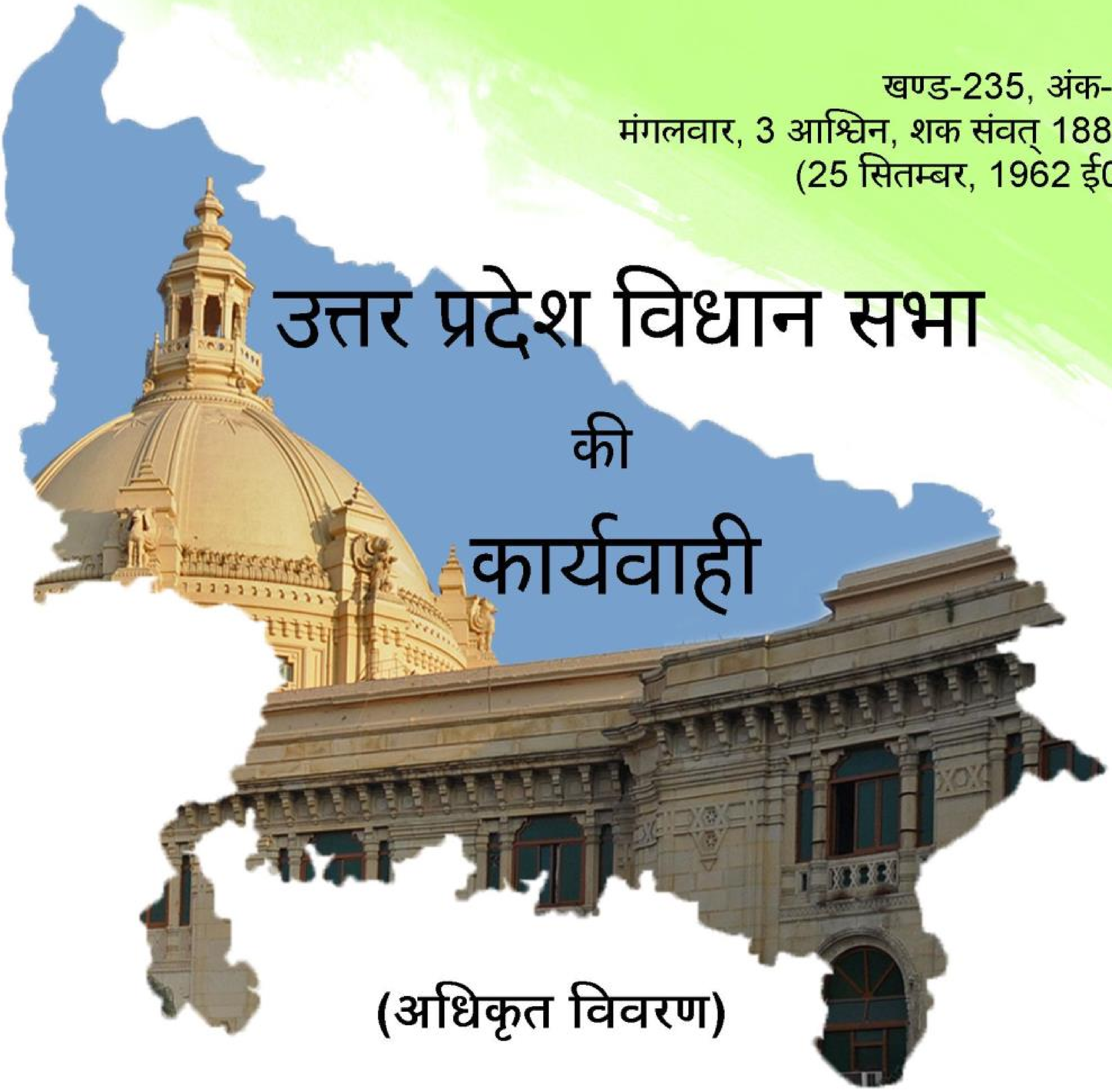

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 235 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१०५–१०९
प्रश्नोत्तर	१०९–१४९
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (जारी)	१४९
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	१५०
जिला मैनपुरी के शिकोहाबाद कस्बे में हुई हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	१५०–१५१
नियम ५२ के अन्तर्गत दिये गये प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी	१५१–१५२
उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६२ (जारी)	१५२–२०४
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	२०५–२०६
उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६२ (पारित)	२०६–२०७
नत्थियां	२०८–२१९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २५ सितम्बर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६८

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन सिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याण राय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णपाल सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खर्बासिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री

गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली सिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री

प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भोलालाल, श्री
भोमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शर्मा, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायण सिंह, श्री

राजाराम, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेंद्रसिंह, श्री
राजेंद्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती,श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रमाशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र, शुक्ल श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल ,श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री

सन्तसिंह युसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—नियोजन मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा सिंचाई उपमन्त्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २५ सितम्बर, १९६२

तारांकित प्रश्न

*१-२—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी) तथा श्री नरोत्तमसिंह (जिला बदायूं)—[वापस ले लिये गये।]

हरिद्वार कुम्भ मेले में परिवहन विभाग के अधिकारियों का भत्ता

*३—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या मन्त्री परिवहन बतायेंगे कि आल इंडिया ट्रांसपोर्ट वर्कस ऐक्ट, १९६१ को लागू करने के लिये परिवहन विभाग ने कर्मचारियों के बारे में कोई राजाज्ञा गत फरवरी, १९६२ में निकाली है? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेगी?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—परिवहन विभाग ने इस सम्बन्ध में फरवरी, १९६२ में कोई राजाज्ञा जारी नहीं की।

*४—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—क्या मन्त्री परिवहन बतायेंगे कि अप्रैल, १९६२ के हरिद्वार कुम्भ के मेले में परिवहन विभाग के जो राजपत्रित पदाधिकारी भेजे गये थे उनको कितना यात्रा एवं दैनिक व्यय के रूप में धन दिया गया?

श्री मुजफ्फर हसन—१९६२ के हरिद्वार कुम्भ मेले में परिवहन विभाग के जो अफसर भेजे गये उनको १,५००.७० रु० तथा २,५४७ रु० यात्रा एवं दैनिक भत्ता दिया गया।

*५—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—[२६वें गुरुवार के लिये प्रश्न ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जूट फार्म, घाघरा घाट

*६—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कितने जूट फार्म कब से कितने एकड़ में चल रहे हैं और जब से फार्म चल रहे हैं उनसे कितनी आय और कितना व्यय प्रति वर्ष होता रहा है ?

कृषि उपमंत्री (श्री शिवराज सिंह)—प्रदेश में केवल एक ३८९.८८ एकड़ का सन् १९४९ से जूट फार्म, घाघराघाट, जिला बहराइच में चल रहा है। आय-व्यय के आंकड़े संलग्न तालिका में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २०८ पर)

श्री ऊदल—क्या मन्त्री जी देखेंगे कि २-३ साल छोड़कर बकिया हर साल घाटा हुआ है ? यदि हां, तो इसके कौन-कौन कारण हैं ?

श्री शिवराजसिंह—श्रीमन्, जो बात प्रश्नकर्ता ने कही है, सही नहीं है। पिछले १२ वर्षों में ६ वर्षों में लाभ हुआ है और ६ वर्षों में घाटा हुआ है। यह फार्म बहुधंधी फार्म है, कामर्शियल फार्म नहीं है। इस फार्म पर जूट की रिसर्च की जाती है और जूट विभाग के अन्य कर्मचारी जो फील्ड पर काम करते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है और जूट ग्रोअर्स को अच्छी तरह से खेती करने तथा जूट को सड़ाने गलाने के नये ढंग जो मालूम किये जाते हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। इसी फार्म पर अच्छे बीज भी तैयार किये जाते हैं, क्योंकि जब से मुल्क का बटवारा हुआ है तब से पूर्वी पाकिस्तान से बीज का मिलना बन्द हो गया है, इसलिये जरूरत हुई कि यहां पर जूट का बीज पैदा किया जाय। इसलिये यह फार्म बहुधंधी फार्म है। घाटे की वजह यह है कि इसका कुछ हिस्सा इतना नीचा है कि उसमें पानी भरा रहता है और उसमें काश्त नहीं हो पाती है।

श्री ऊदल—मन्त्री जी ने बताया है कि ६ वर्षों में फायदा हुआ है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन वर्षों में लाभ हुआ है वे १९५४-५५, १९५५-५६ तथा १९५६-५७ पहले के वर्ष हैं और आप देखेंगे कि १९५७-५८, १९५८-५९, १९५९-६० तथा १९६१-६२ में जो चालू वर्ष हैं उनमें घाटे का क्या कारण है ?

श्री शिवराज सिंह—श्रीमन्, प्रश्नकर्ता ने जो बात कही है, वह बिल्कुल सही नहीं है। इस फार्म पर १९६०-६१ में लाभ हुआ है और इससे पहले भी १९५४-५५, १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में लाभ हुआ है। बात यह है कि जूट ग्रोअर्स का मुनाफा तथा इस फार्म का मुनाफा प्राइस पर निर्भर करता है। पिछले वर्षों में १० रुपये प्रति मन से लेकर ८० रुपये मन का फ्लक्चुयेशन जूट की प्राइस में हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी इसके लिये बिठाई थी कि किस तरह से जूट ग्रोअर्स को उचित दाम मिल सकते हैं। घाटा बाजार भाव के फ्लक्चुयेशन की वजह से हुआ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि सरकारी जूट फार्म तथा अन्य जगह जो इसकी खेती होती है उनकी प्रोड्यूस को बेचने के लिये सरकार के पास कोई एजेन्सी है जिससे उनको उचित कीमत मिल सके ?

श्री शिवराज सिंह—अभी तो नहीं है, लेकिन सहकारी सोसाइटीज लाने का प्रोग्राम है ताकि मिडिल मैन ज्यादा मुनाफा न कमा पायें और दूसरी जो मैलप्रैक्टिसेज होती हैं वे भी बन्द हो जायं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि फार्म जहां पर एक्सपेरीमेंट्स होते हैं, उन पर प्रति एकड़ खर्चा क्या पड़ता है और प्रति एकड़ पैदावार क्या होती है ?

श्री शिवराजसिंह—श्रीमन्, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है, लेकिन इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि प्रति एकड़ पैदावार इस फार्म में बढ़ रही है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—मंत्री जी ने कहा कि यह सरकारी फार्म है और इस में बहुत तरह के एक्सपेरीमेंट्स भी होते हैं। तो मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जूट की फसल कैश क्राप है, और बड़े-बड़े अर्थ शास्त्रियों ने कहा कि अन्डरडेवलप्ड कन्ट्रीज में कैश क्राप्स पर टेक्निकल एक्सपेरीमेंट्स घाटे पर नहीं चलाये जा सकते, वह उनके आर्थिक विकास में बाधक होंगे, तो ऐसी सूरत में क्या वह इस बात की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल एक्सपेरीमेंट्स घाटे पर न चलाये जायं ?

श्री शिवराजसिंह—जो एक्सपेरीमेंट्स इस पर किये जा रहे हैं वह नये अनुसंधान किये जा रहे हैं, जैसे बीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर इस बात की कोशिश की गयी कि ज्यादा से ज्यादा जमीन जूट के नीचे आ जाय। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस बात की चेष्टा की गयी कि ज्यादा से ज्यादा प्रति एकड़ जूट की पैदावार हो। तीसरी पंचवर्षीय योजना-काल में विभाग की तरफ से कोशिश हो रही है कि जो जूट पैदा हो उसकी क्वालिटी भी उत्तम होती चली जाय।

श्री ऊदल—श्रीमन्, मामला बड़ा उलझा मालूम हो रहा है। १९४९–५० में घाटा हुआ। १९५०–५१, १९५१–५२ में कुछ फायदा हुआ। १९५२–५३ और १९५३–५४ में घाटा हुआ। १९५४–५५, १९५५–५६, १९५६–५७ में कुछ फायदा हुआ। उसके बाद के वर्षों में घाटा हुआ। १९६०–६१ में दो सौ रुपये का फायदा हुआ। १९६१–६२ में कुछ फायदा हुआ। सब मिला कर ५० हजार रुपया घाटा हुआ है। पहले के वर्षों में कुछ फायदा हुआ, बाद के वर्षों में घाटा ही घाटा हो रहा है, तो मन्त्री जी ने इन कारणों का पता क्यों नहीं लगाया ?

श्री शिवराजसिंह—मैंने निवेदन किया कि इस नुकसान की जिम्मेदारी ज्यादातर जूट बाजार के भाव पर है। इसी परेशानी की वजह से सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने १९५६–५७ में सेंट्रल जूट कमेटी बैठाई थी, उसने मालूम किया कि इस व्यवसाय में नुकसान होने का एक मात्र कारण यह है कि बाजार में जूट की कीमतों में बड़ा फ्लक्चुएशन है और उचित दाम कृषक को नहीं मिल पाते हैं।

वाराणसी तहसील में सिंचाई साधन

*७—**श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी तहसील के परगना पन्द्रह व कोल असला के क्रमशः गांव कनियर, हसनपुर, बिरांव व बराई, बचेडरा तथा गंगवा पचरासी, बैकुंठपुर, भानपुर, घोंघली, सरांय देवराई, बरजो तथा उसके आस-पास के एरिया में सिंचाई के कौन-कौन तरीके इस्तेमाल होते हैं ? क्या इन स्थानों का सर्वे भी ट्यूबवेल लगाने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में या तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में किया गया था ? यदि हां, तो क्या तीसरी योजना में उपरोक्त स्थानों में ट्यूबवेल लग जायेंगे और अब तक कहां-कहां लग गये हैं ?

सिंचाई उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—वाराणसी तहसील में उक्त ग्रामों में तथा आस पास के क्षेत्रों में नलकूपों, पक्के कुंओं तथा तालाबों से सिंचाई होती है। बीकापुर बचौरा तथा जगदीशपुर—तीन ग्रामों में नलकूप लगाने के लिये सर्वे भी किया जा चुका है और तृतीय पंचवर्षीय योजना में वहां तीन नलकूप लगाने का प्रस्ताव है। अब तक देवचन्दपुर तथा ऊदर के स्थानों पर नलकूपों का निर्माण हो गया है, इससे गंगकला तथा भानपुर ग्रामों की सिंचाई होगी।

श्री ऊदल—यह जो माननीय मन्त्री जी ने बताया है भानपुर के बारे में कि ओदार से सिंचाई होनी चाहिये, ओदार से भानपुर काफी दूर है, और बीच में नाला पड़ता है, क्या माननीय मंत्री जी इसकी पुनः जांच करायेंगे कि नाले के उस पार भानपुर और घोंघली एरिया पड़ता है, इसलिये दोबारा जांच करवायेंगे और वहां ट्यूबवेल लगाने पर विचार करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—श्रीमन्, भानपुर की पूरी जमीन इसमें नहीं आ रही है। नाले के इस तरफ जो जमीन है वही केवल इसमें सींची जायगी।

श्री ऊदल—माननीय मन्त्री जी बतायेंगे जैसा मैंने कहा माननीय मन्त्री जी ने उसे तसलीम कर लिया कि भानपुर के पूरे हिस्से की सिंचाई इससे नहीं हो पाती, नाले के उस पार का भाग ही उसमें आता है, तो भानपुर का तीन हिस्सा नाले के पूरब तरफ पड़ता है और घोघली वगैरह गांव उसी तरफ पड़ते हैं, उस इलाके में कोई ट्यूबवेल या सिंचाई का कोई साधन नहीं है, इसलिये मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह उसका सर्वेक्षण करा लें।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—भानपुर की स्थिति यह है कि इसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल २०५ एकड़ है जिसमें से रबी का क्षेत्र १३० एकड़ है। उसमें से ६० एकड़ नवनिर्मित नलकूप ओदार के अन्तर्गत पड़ता है।

गोरखपुर रोडवेज वर्कशाप में कर्मचारियों की सुविधाएं

*८—**श्री कल्पनार्थसिंह** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि मोटर कर्मचारी अधिनियम के अनुसार राजकीय रोडवेज में काम करने वालों को कौन-कौन-सी सुविधा सरकार द्वारा दी जा रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—सब निर्धारित सुविधाएं देने का प्रबन्ध हो रहा है।

*९—**श्री कल्पनार्थसिंह** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि केवल ८ घंटे की ड्यूटी कन्डक्टरों और ड्राइवरों की उक्त कानून के अनुसार होनी चाहिये, परन्तु ऐसी ड्यूटी दी गई है कि ९ से लेकर १८ घंटे तक की ड्यूटी करनी पड़ती है ?

श्री मुजफ्फर हसन—उक्त कानून के अनुसार ही ड्यूटी ली जाती है।

*१०—**श्री कल्पनार्थसिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर रीजन में मोटर कर्मचारी अधिनियम के अनुसार सुविधाएं रोडवेज कर्मचारियों को, जिनमें वर्कशाप के कर्मचारी भी शामिल हैं, नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो क्या सरकार अन्य सभी रीजनों की सन् १९५९-६०, १९६०-६१, १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष का उक्त पद का खर्च सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—गोरखपुर रीजन के मोटर कर्मचारियों को भी मोटर कर्मचारी अधिनियम के अनुसार सुविधाएं देने का प्रबन्ध हो रहा है। वर्कशाप के कर्मचारी उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

यह अधिनियम ३१-३-१९६२ से लागू किया गया है। अतः उससे पहले खर्च का प्रश्न नहीं उठता।

कचहरी फार्मों की कमी

*११—**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निम्नलिखित फार्म जिलों में प्राप्त नहीं हैं ? यदि हां, तो उनको Private प्रेस में छपने की आज्ञा वह प्रदान करेगी ?

हौलाली—(१) सम्मन वास्ते तनकीह, (२) सम्मन वास्ते फैसला, (३) नोटिस वास्ते दिखाने वजह, (४) सम्मन वास्ते हाजरी-अथवा सबूत।

माल—सम्मन वास्ते फैसला, सम्मन वास्ते हाजरी, सम्मन वास्ते गवाही।

फौजदारी—सम्मन वास्ते हाजरी, वास्ते दिखाने वजह, सम्मन वास्ते वारन्ट, सम्मन वास्ते जब्ती जमानत।

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)—जी हां, इनमें से कुछ फार्म कुछ जिलों में प्राप्त नहीं हैं। दीवानी और माल के फार्म बिक्री के लिये हैं। इनको प्राइवेट प्रेस में छपवाने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। फौजदारी के फार्म बिक्री के लिये नहीं हैं। अभाव की दशा में २५ रुपये तक की लागत के फार्म स्थानीय प्रेस में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा छपवाने की व्यवस्था है।

अधीक्षक, लेखन तथा मुद्रण-सामग्री से कहा जा रहा है कि वे इन फार्मों को जल्दी छपवाकर अभाव की पूर्ति करें।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि माल और दीवानी के फार्मों की उत्तर प्रदेश में कितनी खपत है और कितने प्रति वर्ष छपाये जाते हैं?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता है। यह बोर्ड आफ रेवेन्यू तय करता है।

श्री हिम्मतसिंह—माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह जिले कौन से हैं जहां यह फार्म प्राप्त नहीं हैं और कब से प्राप्त नहीं हैं।

श्री सैयद अली जहीर—यह सूचना भी इस वक्त नहीं है।

मऊनगला ग्राम से सिंचाई में छूट के लिए प्रार्थना-पत्र

*१२—**श्री हिम्मतसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर के मऊनगला ग्राम पो० डिबाई, के प्रधान व अन्य सदस्यों से अगस्त, सितम्बर, १९६१ को बाबत आबपाशी में छूट देने के विषय में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी हां, जनवरी, ६२ में एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। ६९ बीघा १९ बिसवा सिंचित क्षेत्र पर कुल रु० २७९.९८ न० पै० की सिंचाई कर में छूट स्वीकृत की गई थी, तथा सम्बन्धित तहसीलदार को छूट की जमाबंदियां भेज दी गई थीं।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो छूट दी गई है वह वसूल की जा रही है?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—इसके लिये कायदा है कि जब जमाबन्दी तहसीलदार के पास भेजी जाती है तो उस छूट की एक प्रतिलिपि किसान भाई के पास भी भेजी जाती है और अगर कोई उसमें दिक्कत हो तो तहसीलदार से मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। परची पहुंच जाती है तो छूट हो जाती है।

मुजफ्फरनगर जिले में पीनना ड्रेन की जमीन का मुआवजा तथा दुल्लाखेड़ी ग्राम की जल निकासी

*१३—**श्री विजयपालसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित) तथा **श्री रामचन्द्र सिंह** (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर में आज से लगभग चार वर्ष पूर्व पीनना ड्रेन का जो एक्सटेंशन हुआ था उसमें जिन किसानों की जमीन ली गई थी क्या उन किसानों को उनकी जमीनों का मुआवजा अदा कर दिया गया है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है और यह मुआवजा कब तक अदा किया जाने वाला है?

*१४—श्री विजयपालसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री रामचन्द्रसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर में परगना शिक्षाना स्थित ग्राम दुल्ला खेड़ी में बरसाती पानी के निकास के लिये नाला खोदने की तजवीज पिछले पांच वर्षों से ऊपर जमुना डिवीजन (नहर) के विचाराधीन है तथा उक्त नाले का सर्वे भी कई बार कराया जा चुका है? यदि हां, तो अब तक नाला न खुदने का क्या कारण है?

श्री राममूर्ति—सूचना एकत्र की जा रही है।

बसनपुर ग्राम में बन्धे पर रेगुलेटर लगाने की योजना

*१५—श्री विजयसिंह तथा श्री काशीनाथबहादुरपाल (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती, तहसील खलीलाबाद, ग्राम बसनपुर में बन्धे पर कोई रेगूलेटर लगाने के लिये क्या सरकार कोई विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्या सरकार यह देखते हुये कि रेगुलेटर न होने से बरसात में कई गांव जलमग्न हो जाते हैं, रेगुलेटर शीघ्र लगवाने की कृपा करेगी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी हां, बन्धे पर रेगुलेटर लगाने की एक योजना बनाई जा रही है। इस योजना के कार्यान्वित होने तक इस क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिये एक अस्थायी बांध तथा उसके १ फीट डायमीटर के ह्यूम पाईप का निर्माण कर दिया गया है जो सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। आशा की जाती है कि यह योजना स्थायी योजना के कार्यान्वित होने तक सुचारु रूप से क्षेत्र की सुरक्षा करेगी।

श्री विजयसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह योजना कब तक पूरी हो जायगी और इसमें कब तक यह रेगुलेटर लग जायगा?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—यह तो श्रीमन्, शीघ्र ही हो जायगा। काफी काम हो चुका है और इसीलिये इस टेम्पोरेरी योजना को बनाया भी गया है।

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय में जिलेदारों का स्थानान्तरण

*१६—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग के कार्यालय में सन् १९६१ में कितने जिलेदारों का स्थानान्तरण हुआ और कितने उनमें से स्थानान्तरण कैंसिल हुये और क्यों?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग के कार्यालय में सन् १९६१ में ५२ जिलेदारों के स्थानान्तरण के आदेश हुये एवं उनमें से ६ जिलेदारों के स्थानान्तरण प्रशासकीय आधार पर कैंसिल हुये।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब इन ६ जिलेदारों के स्थानान्तरण के आर्डर हुये थे उस समय उनके ट्रांसफर करने का क्या आधार था?

श्री राममूर्ति—ट्रांसफर तो शासकीय काम है और ये हर साल लोगों के हुआ करते हैं। जिनको चीफ इंजीनियर इधर-उधर भेजना उचित समझते हैं उनका ट्रांसफर करते हैं। किसी भी विभाग के अन्दर जिनका ट्रांसफर करना मुनासिब समझा जाता है उनका ट्रांसफर किया जाता है।

*१७-१८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—[हटा दिये गये।]

रोडवेज में पेन्शनेबुल पद

*१९—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर) तथा श्री सुखलाल (जिला लखनऊ)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय रोडवेज में कौन-कौन से पद पेंशनेबल कर दिये गये हैं ?

परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री गनेशीलाल)—Traffic Side में जूनियर स्टेशन इंचार्ज और उससे ऊपर के पद Engineering side में जूनियर फोरमैन और उससे ऊपर के पद तथा दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों के पद pensionable कर दिये गये हैं।

*२०—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद तथा श्री सुखलाल—क्या सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालेगी जिससे कि शेष कर्मचारियों की नौकरियां पेंशनेबल नहीं करार दी गईं ?

श्री गनेशीलाल—जो कर्मचारी श्रम कानून (Labour Laws) के अधीन हैं उनके पद pensionable नहीं किये गये हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिनके पद पेंशनेबल नहीं किये गये हैं इसके लिये क्या विशेष कारण हैं क्योंकि वह भी तो उसी विभाग में काम करते हैं ?

श्री गनेशीलाल—जिनके पद पेंशनेबल नहीं हैं उनको प्राविडेंट फंड की सुविधा दी जाती है जो कि लेबर कानून के अनुसार है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मैं, अध्यक्ष महोदय, कारण जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने बतला दिया कि वह लेबर लाज के अन्दर इसके अधिकारी नहीं हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वे लेबर लाज के कौन से नियम हैं जिनके कारण वे सरकारी कर्मचारी पेंशन की सुविधा प्राप्त नहीं कर सकते ?

श्री गनेशीलाल—किसी भी कर्मचारी को दोनों सुविधा नहीं मिल सकती हैं। जो कर्मचारी लेबर लाज के अन्दर आते नहीं हैं उनको पेंशन की सुविधा दी जाती है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि वे कौन से कर्मचारी हैं जो लेबर लाज के अधीन आते हैं ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा कि जिनके लिये प्राविडेन्ट फंड का प्राविजन है उनको पेंशन नहीं मिलती है और जिनको पेंशन मिलती है उनको प्राविडेंट फंड की सुविधा नहीं मिलती है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—मैं यह जानना चाहता हूं कि लेबर लाज के अधीन जिनको पेंशन नहीं दी जाती है वे रोडवेज विभाग के कौन से कर्मचारी हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—हमारी सरकार की दो तरह से सर्विसेज चलती हैं। कुछ व्यापारिक ढंग पर चलती हैं जो प्राफिट और लास की दृष्टि से चलती हैं। उन पर लेबर लाज लागू होते हैं। दूसरी जो जनरल सर्विसेज हैं वे बिलकुल सर्विस की दृष्टि से चलाई जाती हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—मैं यह जानना चाहता था कि कौन-कौन से कर्मचारी हैं जो इसके अधीन आते हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जो लोग रोडवेज के अन्दर कर्माशियल साइड में रहते हैं और प्राफिट और लास देखे जाते हैं उनकी सर्विस लेबर लाज के अन्दर आती है। जो आफिस से ताल्लुक रखते हैं और इसी तरह के काम करते हैं वह जनरल सर्विस के अन्दर आते हैं।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो कर्मचारी कर्माशियल साइड में काम करते हैं और जिन पर लेबर लाज लागू होते हैं उनको बोनस की सुविधा दी गई है या नहीं?

श्री मुजफ्फर हसन—अभी तो यह सुविधा नहीं दी जा रही है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो कर्मचारी रोडवेज की बुकिंग में काम करते हैं और जो कंडक्टर होते हैं और जो कर्मचारी कार्यालय में काम करते हैं उनका एक ही प्रकार का ग्रेड है और उनको सुविधाएं एक ही प्रकार की होती हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—इतनी तफसील नहीं है, लेकिन आफिस में जो काम करते हैं वह पेंशन के सिलसिले में आते हैं।

बांदा में श्री हरिश्चन्द्र बंसल को डेरी खोलने के लिए ऋण

*२१—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—क्या सरकार को पता है कि बांदा नगर के श्री विश्वामित्र जी को डेरी फार्म खोलने के हेतु बीस हजार रुपया दिया गया था किन्तु वह आज तक खोला नहीं गया और कहा गया कि गाय, भैंसें खरीदी गयीं पर वह सब को सब मर गयीं?

श्री शिवराजसिंह—श्री विश्वामित्र जी को डेयरीफार्म खोलने हेतु कोई भी धन तकावी ऋण अथवा अनुदान रूप में नहीं दिया गया।

*२२—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी या खुफिया विभाग द्वारा करायी है? अगर हां, तो उसका क्या राज खुला? अगर नहीं, तो जांच न कराने का क्या कारण है?

श्री शिवराजसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

*२३—श्री मतोलासिंह—क्या आज जो रुपया सन् १९५७ ई० के करीब दिया गया वह वापस सरकारी खजाना में कब हुआ? अगर नहीं किया गया, तो क्यों?

श्री शिवराजसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

श्री मतोलासिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि श्री विश्वामित्र के करीबी किसी रिश्तेदार को डेरी खोलने के लिये रुपया दिया गया था?

श्री शिवराजसिंह—जी हां, यह सही है कि उनके भतीजे श्री हरिश्चन्द्र बन्सल को डेरी खोलने के लिये मार्च, १९५८ में राजस्व विभाग द्वारा १०,००० रुपया तकावी लोन के रूप में दिया गया था।

श्री मतोलासिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि डेरी खुली या नहीं और रुपया वापस हुआ या नहीं?

श्री शिवराजसिंह—डेरी खोली गयी थी और उसमें आज भी पशु हैं और दूध बिकता है। इसके अतिरिक्त उस रुपये को चार किस्तों में वापस होना था। ३ किस्तें वापस हो गयी है और चौथी किस्त मई, १९६३ में वापस होगी।

श्री विजयसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह डेरी चलाने का काम कृषि और कोआपरेटिव दोनों विभागों द्वारा होता है और इसके अतिरिक्त दूसरे विभागों का भी इसमें दखल है, तो यह काम भिन्न-भिन्न विभागों को क्यों सौंपा गया? इसमें सरकार की क्या नीति है ?

श्री शिवराजसिंह—जहां तक पशुधन की उन्नति का सवाल है, उसे कृषि विभाग देखता है, दूध की बिक्री को कोआपरेटिव विभाग देखता है और लोन आदि देने की बात राजस्व विभाग देखता है। तो यह इन्तजाम तो सरकार की दृष्टि से निहायत मुनासिब और उचित दिखायी पड़ता है।

ग्राम चुनाव के समय सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी राजाज्ञा

*२४—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के ग्राम चुनाव १९६२ में कोई राजाज्ञा निकाली गई थी कि चुनाव के समय किसी सरकारी कर्मचारी का तबादला एक जिले से दूसरे जिले में न किया जाय? यदि हां, तो यह आज्ञा किस तारीख को निकाली गई थी और क्या आज्ञा थी?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। उत्तर प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों को निर्वाचन विभाग के सरक्यूलर सं० ई०-११६८९-१७—२४६-६०, दिनांक १५ अक्तूबर, १९६१ में यह आदेश जारी किये गये थे कि ग्राम चुनावों के दौरान में किसी प्रकार की कठिनाई तथा अव्यवस्था को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि जब तक कहीं सर्वथा अनिवार्य न हो, किसी भी सरकारी कर्मचारी का तबादला या अन्य परिवर्तन न किये जायं। उपर्युक्त आदेश से लिये गये सम्बद्ध उद्धरण की एक प्रति नत्थी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २०९ पर)

*२५—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस राजाज्ञा के विरुद्ध चुनाव के समय किस-किस जिले से किस-किस विभाग के कौन-कौन से कर्मचारियों का तबादला कहां-कहां किया गया और उस तबादले के क्या कारण थे ?

श्री सैयद अली जहीर—इस प्रश्न में मांगी गई सूचना के लिये पूरे प्रदेश से तमाम ब्योरा एकत्रित करना पड़ेगा और ऐसा करने में जितने समय तथा धन का व्यय होगा वह इस कार्य के परिश्रम के अनुरूप न होगा।

रामगंगा योजना

*२६—**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरसात के पानी (बाढ़ के पानी) को गंगा-जमुना के बड़े-बड़े जल भंडार निर्मित कर एकत्र कर उनसे नहरों को बारहों माह पानी देते रहने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति—गंगा या जमुना पर तो इस प्रकार के जल भंडार बनाने की संभावना पर अभी छान बीन ही हो रही है और कोई समुचित स्कीम सरकार के विचाराधीन नहीं है, परन्तु गंगा की सहायक रामगंगा पर इस प्रकार के जल भंडार बनाने की योजना पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

*२७—**श्री झारखंडेराय** (अनुपस्थित)—यदि हां, तो सिंचाई मंत्री उसकी रूपरेखा से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री राममूर्ति—राम गंगा योजना की संक्षिप्त रूपरेखा नत्थी किये हुये ब्योरे में दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २१० पर)

परिवहन विभाग में बुकिंग क्लर्कों का प्रमोशन

*२८—श्री सुखलाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिल नं० ५५८५/AII/XXX—A-420 N-59, तिथि २९ दिसम्बर, १९६१ के अनुसार जो नियम पास हुआ है कि जो बुकिंग क्लर्क का काम करते हैं उनको A.T.I. की पोस्ट पर नहीं प्रमोट किया जायगा क्या इस नियम के समय से जो भर्ती की जा रही है उनके लिये लागू है अथवा जो आरम्भ से काम कर रहे हैं उनके लिये भी ?

श्री मुजफ्फर हसन—आदेश ऐसा नहीं है । बुकिंग क्लर्कों को भी ए० टी० आई० के पद पर प्रोमोट किया जाता है ।

सिंचाई विभाग के प्रतिवर्तित कर्मचारियों की अपीलें

*२९—श्री विजयसिंह—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि—

(अ) १ जनवरी, १९५९ से ३१ जुलाई, १९५९ तक कितने कर्मचारी सिंचाई विभाग में रिवर्ट किये गये तथा यह भी बतायेंगे कि इन रिवर्टेड कर्मचारियों द्वारा किये गये किन्हीं भी रिप्रेजेन्टेशन या अपीलों के फैसले मियाद के अन्दर हुये या नहीं ? यदि इस निर्धारित अवधि में फैसले नहीं होते हैं तो इन राज्य कर्मचारियों को फैसला दिलवाने का क्या कोई ऐसा नियम है जिसके अन्तर्गत निश्चय ही उनके फैसले की सूचना दी जा सके ?

(ब) १ जनवरी, १९५८ से ३१ दिसम्बर, १९६१ तक मुख्य अभियंता को प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपियों के प्रार्थना-पत्रों पर लगे हुये उन टिकटों का क्या हुआ जिनकी प्रतिलिपियां नहीं दी गईं तथा टिकटों का कितना मूल्य है जो कि प्रार्थियों को जो प्रतिलिपियां न देकर लौटाया नहीं गया ?

(स) क्या सिंचाई मंत्री को यह पता है कि सिंचाई विभाग के कितने कर्मचारी १९५६ में रिश्वत के केस से हाई कोर्ट से निरपराध घोषित किये गये ? निरपराध घोषित होने के बाद क्या उनके मुहकमें से अलग रहने का वेतन उनको अब तक दिया गया है ? कितने ऐसे केस सन् १९५६ से ३१ मार्च, १९६२ तक आपके कार्यालय में पड़े हुये हैं और अब सरकार उन पर कब तक फैसला देने का विचार रखती है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री विजयसिंह—इसको करीब एक महीना हो गया है और अभी तक सूचना एकत्र नहीं हुई तो यह कब तक एकत्र हो जायगी ?

श्री राममूर्ति—आपने देखा होगा कि इसमें कितने डिटेल की चीजें हैं । हर एक डिवीजन और सब-डिवीजन से सूचना मंगानी पड़ती है और इसमें अधिक टाइम लग जाता है । तो जैसा माननीय सदस्य समझ रहे हैं, यह इरादा नहीं है कि इसको रोका जाय, लेकिन इसमें समय लग जाता है ।

नलकूप विभाग, जिला फैजाबाद के विरुद्ध शिकायत

*३०—श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत माह जून में कोयले की कमी से नलकूप (tube-well) विभाग, जिला फैजाबाद ने केवल २४ घंटे में २–३ घंटा ही बिजली का उपयोग कराया जिस कारण काश्तकारों को पानी पूरा तथा समय पर न मिल सका और फसल को काफी क्षति पहुंची तथा अन्य व्यक्तियों को भी जिन्हें बिजली दे रखी है उन्हें भी उतने समय बिजली मिली ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री हरिनाथ तिवारी—एक महीना इसको भी हो गया है । यह सूचना कब तक एकत्र हो जायगी ?

वन मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—१५ दिन बाद जब यह प्रश्न दुबारा आयेगा उस समय तक आशा है सूचना आ जायगी ।

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, यदि आप इजाजत दें तो कुछ सूचना जो आ गयी है वह मैं निवेदन कर दूं । ५० ट्यूबवेल थे जो ९ जून से १५ जून तक बंद रहे और थोड़ी-सी सूचना यह भी आयी है कि उसमें दो आना या ढाई आना नुकसान हुआ । बाकी चीजें मालूम नहीं हो पायीं, इसलिये इस प्रकार का उत्तर दिया गया ।

रोडवेज सेंट्रल वर्कशाप, कानपुर के विरुद्ध शिकायतें

*३१—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर के कर्मचारी, श्री बी० एस० श्रीवास्तव, सुपरवाइजर ने वर्कशाप के भ्रष्टाचार के बारे में अनेक कागज विभाग के अधिकारियों के पास भेजे हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त सुपरवाइजर नौकरी से अलग कर दिया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां । श्री बी० एस० श्रीवास्तव ने नौकरी से अलग किये जाने के बाद रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर में भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कागजात भेजे थे । जांच के पश्चात् उनके द्वारा लगाये गये आरोप निराधार पाये गये ।

गोंडा जिले में नहरें निकालने की योजना

* ३२—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित) तथा श्री नवरंग सिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में कोई नहर निकालने की योजना है ? यदि हां, तो नहर कहां से निकलेगी और कौन-कौन मुख्य गांव होकर जायेगी ?

श्री राममूर्ति—जी हां, जिला गोंडा में निम्नलिखित नहरें बनाने की योजना है :—

१—पटकौली सरोवर की नहर । यह ग्राम अंधरपुरवा के निकट से निकलेगी ।

२—भगवानपुर सरोवर की नहर । यह भगवानपुर, लोकी खुर्द, पिपरा, दुर्गानगर, छपिया, सुखरामपुर, जीतपुर, रहमरूआ, नगई, मनकौरा, कानूनगो, काशीराम, चिरगहिया, मदरहवा नगई तथा तुलसीपुर ग्रामों से होकर जायेगी ।

* ३३—श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह (अनुपस्थित) तथा श्री नवरंगसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा के परगना बमनीपायर में सरकार की ओर से सिंचाई के कौन साधन दिये गये और तृतीय योजना में क्या-क्या साधन नये देने का विचार है ?

श्री राममूर्ति—जिला गोंडा के बमनीपायर क्षेत्र में इस समय सरकार की ओर से सिंचाई के कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं । सरयू नहर का निर्माण होने से मनकापुर उपशाखा से इस क्षेत्र में सिंचन साधन उपलब्ध हो जायेंगे ।

राजकीय कृषि वर्कशाप, तालकटोरा, लखनऊ

*३४—श्री शिवदानसिंह (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय कृषि वर्कशाप, तालकटोरा रोड (लखनऊ) के स्टोर का वेरीफिकेशन कब से नहीं हुआ ? यदि हुआ है, तो क्या सरकार को ज्ञात है कि इस स्टोर में लगभग १ लाख रुपये (१,००,००० रु०) को शार्टेज है ? यह वेरीफिकेशन वित्त विभागीय विशेषज्ञों द्वारा कराया गया या उसी वर्कशाप के अधिकारियों द्वारा ? यदि स्टोर का वेरीफिकेशन अभी तक नहीं हुआ तो क्या सरकार अपने वित्त विभागीय विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा जांच कराने का इरादा रखती है और कब तक ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—वेरीफिकेशन १९६१-६२ तक हो चुका है । यह कथन सही नहीं है कि १,००,००० रु० की शार्टेज है । वेरीफिकेशन विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमानुसार किया जाता है । किसी और से वेरीफिकेशन कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

*३५—श्री शिवदानसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि इसी वर्कशाप के बने हुये औजारों की कीमत प्राइवेट वर्कशाप द्वारा बने हुये औजारों की कीमत से अधिक है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, वर्कशाप के यंत्र सस्ते और मजबूत हैं ।

*३६—श्री शिवदानसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस वर्कशाप में सन् १९६० ई० में लगभग ५३,००० रु० का घाटा हो चुका है ? क्या इस घाटे की सूचना सरकार को दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, कोई घाटा नहीं हुआ ।

सकरौरा ग्राम को सरजू के कटाव से बचाने की प्रार्थना

*३७—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि करनैलगंज जिला गोंडा के निकट सकरौरा घाट जो सार्वजनिक धन से बना है और वहां के घाट, मंदिर तथा धर्मशालायें जिनमें लाखों रुपये की सम्पत्ति लगी हुई है सरजू नदी के टकराव से तेजी के साथ कट रही हैं, साथ ही सकरौरा ग्राम को भी खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो क्या उसके बचाव की कोई योजना पर सरकार विचार कर रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—इस वर्ष जून के प्रथम सप्ताह में सकरौरा घाट का निरीक्षण किया गया था । यह घाट पूर्णतया सरजू नदी के बाढ़ क्षेत्र में प्राइवेट एजेन्सी द्वारा काफी अन्दर बना है । वे मकानात जिन्हें खतरा था और जो अब क्षतिग्रस्त हो रहे हैं उनका मूल्य लगभग १०,००० रु० है, शेष घाट अभी तक प्रायः सुरक्षित हैं । सकरौरा ग्राम घाट से पूर्व की ओर ६ फर्लांग की दूरी पर एक ऊंचे स्थान पर बसा हुआ है । इस ग्राम की कुछ झोपड़ियां जो निचले भाग में स्थित हैं इन्हें छोड़कर शेष ग्राम को सरजू नदी की बाढ़ से कोई खतरा प्रतीत नहीं होता है । इस घाट की सुरक्षा हेतु अभी तक कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है । तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस ग्राम के निचले भाग को ग्राम पटाई योजना के अन्तर्गत ऊंचा करने का विचार है ।

*३८—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि करनैलगंज नगरपालिका क्षेत्र की धर्म सभा ने स्थानीय जिला अधिकारियों का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया है कि नदी की धारा मोड़ने के लिये उक्त भूमि की जांच-पड़ताल तथा सर्वेक्षण करके हस्तगत कर ली जाय तो धर्म सभा उसकी खुदाई करा कर धारा के टकराव को मोड़कर निकाल देगी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई और सरकार का इस घाट के संबंध में क्या विचार है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—करनैलगंज नगरपालिका की किसी भी धर्म सभा ने इस संबंध में गोंडा के सिंचाई विभाग को अब तक कोई ऐसी सूचना नहीं दी है ।

श्री शान्तिचन्द्र शुक्ला—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि वह स्थान सार्वजनिक है और धर्म कार्य के उपयोग में आता है तथा वहां मेला भी लगता है ? इसके लिये क्या वे कोई ऐसी योजना चालू करेंगे जिससे उस स्थान की रक्षा हो सके ?

श्री राममूर्ति—श्रीमन्, उक्त घाट को कोई अभी तक खतरा नहीं हुआ है, सिर्फ वहां पर जो छोटे छोटे मंदिर हैं, वहां पर नाला आ कर मिलता है और इसके जरिये इरोजन हो रहा है ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां के लिये कोई योजना को बनाने की बात है और यदि है तो वह कब तक बनाई जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—श्रीमन्, यह देखा जा रहा है कि इसमें कुछ किया जा सके और इसके लिये इस बार देखा भी गया था कि कितनी क्षति हुई है ।

एटा जिले में नलकूप

*३९—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा की किस-किस तहसील में कितने-कितने नलकूप हैं और उनमें कितने इस समय चालू हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—एटा जिले की तहसीलों में नलकूपों की संख्या इस प्रकार है :—

तहसील		नलकूप संख्या
१—अलीगंज तहसील	..	६२
२—एटा	..	४४
३—कासगंज तहसील	..	४६

कासगंज तहसील के केवल २ नलकूप छोड़कर उपर्युक्त सब नलकूप चालू हालत में हैं।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो सूची दी है उसमें ३ तहसीलें हैं, परन्तु चौथी तहसील जलेसर की कोई सूचना उसमें नहीं है, इसका क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—श्रीमन्, जहां पर हमारे नलकूप हैं, वहां की सूचना आपके सम्मुख है ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि तहसील जलेसर में नलकूप न लगने के क्या कारण हैं, जब कि वहां पर उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है ?

श्री राममूर्ति—श्रीमन्, जहां नलकूप नहीं लगाये गए हैं, वहां सर्वे हो रहा है ताकि वहां पर आगे लगाये जा सकें ।

श्री काशीनाथ मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वहां पर कितने नलकूप लगाने की योजना है ?

श्री राममूर्ति—श्रीमन्, इन सब चीजों की छानबीन हो रही है, इसलिये कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—एटा जिले की जलेसर तहसील में कौन सी ऐसी खास बात थी जिसकी वजह से वहां अब तक नलकूप नहीं लगाये गये ?

श्री राममूर्ति—ज्यादा असरदार लोग वहां रहते होंगे ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—जो नलकूप चालू हालत में नहीं हैं उनको वहां से हटाने की या फिर से बोरिंग करा कर चालू हालत में लाने की बात मंत्री जी सोचेंगे ?

श्री राममूर्ति—जून के महीने में सिर्फ दो खराब हुये और जिस पीरियड में पानी की कमी नहीं होती है उसमें उनकी मशीन ठीक कर दी जायगी ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—क्या मंत्री जी की सूचना बिलकुल सही है कि नलकूप जलेसर में नहीं लगाये गये हैं ? इसकी वह जाँच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने तो कह दिया कि नहीं लगे हैं ।

*४०-४२—**श्री बसन्तलाल शर्मा** (जिला बहराइच)—[हटा दिये गये ।]

बहेरा नाला के रेगुलेटर पर फाटक न उठाने से फसल को क्षति

*४३—**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया) तथा **श्री रघुनाथ** (जिला बलिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिला अन्तर्गत ग्राम बहदुरा के समीप बहेरा नाला के रेगुलेटर पर फाटक न उठाने से कई गाँवों को बरसाती पानी से काफी क्षति पहुंची है और लाखों मन गल्ले का नुकसान हुआ है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—रेगुलेटर के फाटकों को खुलवाने हेतु बेलदार को कुछ ग्रामीणों ने ओवरसियर के पास भेजा और उसकी अनुपस्थिति में फाटकों को स्वयं उठाने की कोशिश की जिससे फाटकों की गरारियां और लोहे की रस्सियाँ टूट गईं और उनको ठीक करके उठाने में समय लगा, अतः नाले का पानी शीघ्र न निकल सका । इसके कारण फसल को जो क्षति हुई है उसका सही अनुमान अभी नहीं लग सका है ।

*४४—**श्री जगन्नाथ चौधरी** तथा **श्री रघुनाथ**—क्या यह भी सत्य है कि बहेरा नाले में काफी पानी इकट्ठा हो जाने से ग्राम दुरौधा, धनौती, सोनपुरवा, छपरा बालूपुर इत्यादि गाँव पानी से घिर गये हैं और एक दूसरे गाँव से आवागमन बन्द हो गया है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—जी हाँ, गाँव पानी से घिर गये हैं, किन्तु आवागमन बन्द नहीं है । नावों का समुचित प्रबन्ध कर दिया गया है ।

*४५—**श्री जगन्नाथ चौधरी** तथा **श्री रघुनाथ**—क्या यह भी सत्य है कि बहेरा नाला के रेगुलेटर पर सिंचाई विभाग द्वारा जो चौकीदार रखा गया है वह कई दिनों से गैरहाजिर था ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—जी नहीं ।

श्री रघुनाथ—जो फसल की क्षति हुई है उसका अन्दाजा कब तक लिया जायगा ?

श्री राममूर्ति—जिलाधीश के यहाँ से खबर आयी है कि जाँच चल रही है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मालूम हुआ ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—बहेरा नाला रेगुलेटर खोलने के लिये स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सिंचाई विभाग के अभियन्ता से माँग की, लेकिन उनकी माँग की उपेक्षा की गयी, क्या यह सही है ?

श्री राममूर्ति—यह तो जवाब में बतला दिया गया कि फाटकों को उठाने की मांग की गयी थी। बेलदार ओवरसियर के पास परमीशन लेने गया, लेकिन जो लोग वहां इकट्ठे हो गये थे वह इतने बेसब्र हो गये कि उन्होंने खुद ही उठाने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि मशीन की गरारियां टूट गयीं। फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को खबर की गयी। उन्होंने वहां के जो असिस्टेंट इंजीनियर और संबंधित लोग थे सब को भेजा और ३–४ रोज के अन्दर उन्होंने दुरुस्त करके फाटकों को उठा दिया।

श्री काशीनाथ मिश्र—बलिया जिले में जो बांध बन्धे हैं वह इंजीनियरिंग स्किल से या किसी गड़बड़ से इस प्रकार बने हुये हैं कि एक तरफ पानी लगता है तो निकल नहीं पाता, तो क्या मंत्री जी सर्वेक्षण कराकर सभी में रेगुलेटर लगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामूर्ति—बलिया जिले से बराबर इस तरह की मांग रही है कि और ज्यादा सिंचाई के काम कराये जायं, लेकिन माननीय सदस्य की दिमागी कैफियत की यह बात है कि हर एक काम उनको बुरा लग रहा है।

फतेहपुर जिले में राजनीतिक पेन्शन

*४६—श्री बद्रीप्रसाद (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जिले में कितने लोगों को राजनीतिक पीड़ित पेन्शन मिलती है ?

श्री मुजफ्फर हसन—फतेहपुर जिले में ७५ व्यक्तियों को राजनीतिक पीड़ित पेंशन मिलती है।

बाराबंकी बस स्टेशन से आय

*४७—श्री गिरजाप्रसाद—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी बस स्टेशन में १९६१–६२ वर्षों में प्रति मास कितनी आय हुई है ?

श्री गनेशीलाल—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २११ पर।)

*४८—श्री गिरजा प्रसाद—बाराबंकी बस स्टेशन किस श्रेणी में रक्खा गया है और उपरोक्त स्टेशन से प्रतिदिन कितनी डायरेक्ट बसें बाराबंकी से लखनऊ को छूटती हैं ? क्या बाराबंकी के नागरिकों की ओर से बस संख्या बढ़ाने हेतु कोई आवेदन-पत्र आया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गनेशीलाल—यात्रियों के आधार पर बस स्टेशनों का वर्गीकरण नहीं होता और न इस स्टेशन का हुआ। यहाँ से ३२ डायरेक्ट बसें छूटती हैं। आवेदन-पत्र आया था। उस पर विचार के बाद पाँच डायरेक्ट बसें बढ़ा दी गई हैं।

श्री गिरजाप्रसाद—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह आवेदन-पत्र कब प्राप्त हुआ था और उसमें मुख्य बातें क्या थीं ?

श्री गनेशीलाल—कब प्राप्त हुआ यह बताना सम्भव नहीं है इस समय, पर उसमें बसों की संख्या बढ़ाने की बात थी और ५ बसें डाइरेक्ट बढ़ा भी दी गयीं।

श्री गिरजाप्रसाद—बहुत सी बसें फतेहपुर से लखनऊ आती हैं जो बाराबंकी में रुकती हैं। क्या सरकार यह बतायेगी कि सीधी बसें वहाँ से कितनी छूटती हैं ?

श्री गनेशीलाल—३२ बसें छूटती हैं, जिसमें से २६ डाइरेक्ट फतेहपुर से आती हैं।

श्री गिरजाप्रसाद—बाराबंकी स्टेशन पर इतनी भीड़ रहती है कि वहाँ से और बसें छोड़ने की जरूरत है। तो क्या माननीय मंत्री जी कुछ और बसें वहाँ से छोड़ने की व्यवस्था करेंगे, उनकी संख्या और बढ़ायेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—सर्वे के बाद जितनी की जरूरत महसूस हुई उतनी बढ़ा दी गयी हैं। अब अगर सर्वे के बाद और जरूरत महसूस हुई तो और बढ़ा दी जायेंगी।

*४९—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)—[१४ सितम्बर, १९६२ को प्रश्न ८१ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

पौनी ग्राम के निकट नहरी पानी रोकने की व्यवस्था

*५०—श्री छांगुर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम पौनी, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ में बेसौ नदी में सरकार द्वारा निर्माण किये गये पुल से सिंचाई हेतु पानी रोकने को कोई व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या भविष्य में इसके लिये सरकार कोई व्यवस्था करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी हाँ, जिला आजमगढ़, तहसील लालगंज में ग्राम पौनी के निकट सिंचाई के हेतु पानी रोकने के लिये सिंचाई विभाग द्वारा एक बाँध और एक रेगुलेटर बनाये गये हैं।

श्री छांगुर—जो पुल बना है और उसके साथ जो रेगुलेटर बना है उससे कई वर्षों से पानी नहीं रोका जा सका है। क्या माननीय मंत्री जी उस रेगुलेटर से पानी रोकने की व्यवस्था करायेंगे जिससे कि उस पानी से लाभ हो सके ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—उसमें पानी रोका जाता है। १५ सितम्बर के बाद उसमें पटरे लगाये जाते हैं। वह रेगुलेटर वहाँ बना हुआ है।

श्री छांगुर—जो पटरे लगे हुये हैं उनसे पानी नहीं रुकता है और न ही रोका जाता है। जिस साल यह पुल बना था उसी साल बस रोका गया था, किन्तु अब नहीं रोका जाता है। क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को आधार मान कर इसकी जाँच करायेंगे और उचित व्यवस्था करायेंगे उसको रोकने की ?

श्री राममूर्ति—इस दरिया में पानी बहुत कम रह जाता है और पानी की कमी के कारण लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। ऐसा खयाल करना कि रेगुलेटर की वजह से पानी नहीं मिल पाता, ऐसी बात नहीं है।

रायबरेली जिले में गऊघाट पर पुल की आवश्यकता

*५१—श्री भगवानदीन (जिला राय बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम मीझगवाँ, परगना सेमरौता, जिला रायबरेली के सार्वजनिक गऊघाट पर पुल निर्माण हेतु ईंटा एकत्रित किया गया था और फिर यह ईंटा उठाकर केवल एक ग्राम की सुविधा हेतु पुल का निर्माण किया गया इसका क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—यह सही है कि गऊघाट, जिला रायबरेली में शिवगढ़ ड्रेन पर पुल निर्माण हेतु ईंट इकट्ठी की गई तथा बाद को वहाँ से हटा ली गई। इसका कारण वहाँ की जनता का विरोध था।

*५२—श्री भगवानदीन—उपरोक्त स्थान से ईंट उठाने में सरकार का कितना व्यय हुआ और क्या सरकार का इरादा उपरोक्त गऊघाट पर शीघ्र पुल बनाने का है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—ईंटों को हटाने में ६२४ रुपया खर्च हुआ। गऊघाट पर पुल निर्माण के विषय में अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ।

श्री हरिनाथ तिवारी—क्या जनता की ओर से भी कोई विरोध-पत्र सरकार के पास आया है या नहीं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जनता की ओर से विरोध हुआ। डी० एम० द्वारा भी जाँच करायी गयी और उन्होंने भी यही कहा कि वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं और हमारे यहाँ से जो लोग गये वहां पर उनसे भी लोगों ने विरोध प्रकट किया। विरोध के कारण ही वह नहीं बन सका ।

श्री काशीनाथ मिश्र—क्या यह सही नहीं है कि वहाँ के भूतपूर्व काँग्रेसी विधायक के विरोध से वह वहाँ से हटा लिया गया और उन्होंने सिफारिश की थी कि उसको दूसरी जगह बनाया जाय ?

श्री अध्यक्ष—केवल काँग्रेसी विधायक थे या उनके साथ और दूसरे लोग भी थे, इसे स्पष्ट कर दीजिये ।

श्री काशीनाथ मिश्र—काँग्रेसी विधायक ने और केवल अपने गाँव की सुविधा के लिये?

श्री राममूर्ति—विधायक तो सभी, चाहे काँग्रेस पार्टी के हों या दूसरी किसी के, मालिक हैं । लेकिन डी० एम० ने दूसरी जगह अलीपुर तजवीज करके भेज दी कि वहाँ पुल बनाया जाय।

बस्ती जिले का पल्टादेवी घाट

*५३—**श्री चन्द्रपाल** (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के पल्टादेवी घाट पर किसी पुल के निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो वह कब तक कार्यान्वित हो रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी नहीं ।

श्री चन्द्रपाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पल्टादेवी घाट पर पुल बनाने के लिये सराकार की ओर से सर्वे हुआ था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—हर साल इसमें पुलिया बना ली जाती है । सर्वे की सूचना नहीं है ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या यह सही है कि पल्टादेवी घाट पर पहले लकड़ी का पुल था और नैपाल राज्य के लोग भी उस से आते जाते थे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—पुलिया का इस्तेमाल तो अब भी सभी आदमी करते हैं ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि नाव से भी लोग पार करते हैं ?

श्री राममूर्ति—दौरान बरसात लोग नाव से पार करते हैं, लेकिन बरसात के बाद चूंकि सिंचाई विभाग के लोगों को अपने काम के लिये जाने की जरूरत पड़ती है, इसलिये एक सर्विस रोड बनी है जिस पर एक टैम्पोरेरी पुलिया बना दी जाती है ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—क्या सरकार को ज्ञात है कि नौगढ़ तहसील में उस क्षेत्र की सबसे ज्यादा चालू सड़क वही है जो बड़हा बाजार और पल्टादेवी के स्थान तक जाती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार स्थायी पुल बनाने की बात सोच रही है ?

श्री राममूर्ति—हो सकता है कि उस सड़क पर आमदोरफ्त बहुत होती हो । सिंचाई विभाग के लिये तो केवल पुलिया काफी है । पुल बनाने का इरादा नहीं है ।

श्री हिम्मत सिंह—मंत्री जी को मालूम है कि जिला अन्तरिम परिषद् के ओवर-सियर ने पल्टादेवी घाट पर पुल बनने के लिये सर्वे किया था ?

श्री राममूर्ति—मुझे सूचना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—वह पी० डब्ल्यू० डी० का होगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र—बड़हाबाजार, जहाँ हर सप्ताह एक बड़ा मेला लगता है, उसके महत्व को देखते हुये और यह कि वहाँ से बुद्ध भगवान के जन्मस्थान लुम्बिनी को रास्ता जाता है, इस कारण वहाँ पुल बनवाने की कृपा करेंगे कि बरसात में भी आवागमन होता रहे ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब हो चुका है ।

इलाहाबाद में नागबासू घाट की मरम्मत

*५४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे कि इलाहाबाद में दारागंज मुहल्ले के नागबासू घाट जिसको (P.W.D) सरकार द्वारा मरम्मत कराया गया था उसकी ठीक से मरम्मत न होने के कारण टूट रहा है ? यदि हाँ, तो उसकी जाँच कर उसकी मरम्मत कराने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—नागबासू घाट की मरम्मत का कार्य, जो सिंचाई विभाग द्वारा किया गया, १९५८ में पूर्ण हो गया था । तब से उसमें कोई खराबी नहीं दिखाई दी । हाल ही में घाट के मन्दिर में कुछ दरारें हो गई हैं जिनकी जाँच की जा रही है और मरम्मत करने का उपय सोचा जा रहा है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना मानकर कि इस घाट के बनने में लगभग ४ लाख रुपया खर्च हुआ था और जब से यह बना है तभी से मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिला रहा हूं कि कई स्थानों पर क्रैक आ गये हैं और हो सकता है कि यह बह जाय और ४, ५ लाख रुपया बरबाद हो जाय, तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी विशेष जाँच करावायेंगे कि किसने यह बनाया और क्यों बरबाद हो रहा है ?

श्री राममूर्ति—जैसा कि मोहिले जी ने बताया इसकी मरम्मत में ४ लाख ३२ हजार रुपया खर्च हुआ था । हमारी रिपोर्ट में यही कहा गया है कि घाट सुरक्षित है लेकिन उस पर जो मन्दिर और बारादरी हैं उनके कगारे या डाटों में दरार जरूर आ गई हैं लेकिन टूटने वाले नहीं हैं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—वह मन्दिर क्रैक नहीं हुआ है बल्कि घाट हुआ है कई स्थानों पर, बरसात के बाद वह घाट फिर बहेगा, तो मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इसकी जाँच ठीक तरह से करा लें ।

श्री राममूर्ति—इसे दिखवा लिया लिया जायगा ।

मड़ियाहूं तहसील में सिंचाई

*५५—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के अन्तर्गत मड़ियाहूं तहसील के दतांव, पोखरा, राजापुर, पटखौली, बनीडीह, केशोपुर, लगधरपुर, भोंड़ा, सिकरौर, कादिहद, सिठूपुर, कठवतिया, भानपुर, कोचारी, कसेरू, पचवल, कटौना, फजुलहा, गन्धौना, बघनरी, चन्द्रभानुपुर, हशिया, गोठांव, झिगुरिया, भगवानपुर (कुम्हापुर के पास), आशापुर, करमहि, सरसरा, रनापुर, बबुरिगांव, बैलौना कलां, गारोपुर, चमरहा, गहरला आदमपुर, सकरा आदि गांवों की भूमि को सिंचन करने के लिये सरकार के सामने कौन-कौन सी योजनायें विचाराधीन हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—ग्राम बजुरिगांव, बेलोनी कलां और सकरा की भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिये आस-पास के मौजूदा नलकूपों के कमान्ड में शामिल कर लिया गया है।

ग्राम कटौना, फजुलहा, राजापुर पठखौली, कठवतिया, भानपुर और गन्धौना (गधौना) में कुछ क्षेत्र को नलकूपों से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तथा इन गांवों के शेष क्षेत्र के लिये नलकूपों का निर्माण व्यवहार्य नहीं पाया गया।

ग्राम दतांव के १२५ एकड़ को नलकूपों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, शेष ५१० एकड़ को दतांव ग्राम में ही नलकूप बना कर सिंचाई सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

प्रश्न में उल्लिखित शेष गांवों की भूमि को उन्हीं गांवों अथवा आस-पास के गांवों में नलकूप बना कर सिंचाई सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शेष करीब २६ गांवों में कब तक नलकूप लग जावेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—कार्य चल रहा है, शीघ्र ही पूरे हो जावेंगे।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—गन्धौना गांव जिसका उत्तर दिया है कि किसी टयूबवेल से उसकी सिंचाई हो रही है, कितने रक़बे का वह गांव है और कितने रक़बे में सिंचाई हो रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—गन्धौना गांव १,०३० एकड़ का है, ४९५ एकड़ कमांड में है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—जौनपुर जिले के जिन गांवों की सिंचाई की व्यवस्था अभी तक टयूबवेल या नहर से नहीं हो सकी है वह कब तक कर दी जायगी ?

श्री राममूर्ति—तीसरे प्लान में जितने गांव आ जावेंगे वे टयूबवेल से कवर कर लिये जावेंगे, बाकी चौथे प्लान में लिये जावेंगे।

हिमालय तराई के जंगल कटने से बाढ़ आने में सहायता

*५६—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार को पता है कि हिमालय की तराई की समतल भूमि की पुरानी ऊंची घास व जंगल को बड़े परिश्रम व जांफिशानी कर के बड़ी तादाद में स्वयंसेवक भर्ती करके उस उपयोगी बन को कटवा व खुदवा कर खेती योग्य बड़े-बड़े फार्मों के रूप में बनाया गया है ?

श्री शिवराजसिंह—यह सही है कि तराई उपनिवेशन क्षेत्र को, जो ऊंची घास तथा घनी जंगली वनस्पतियों से ढका था, साफ कराके राजकीय कृषि क्षेत्र स्थापित किये गये।

*५७—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार को ज्ञात व अनुभव हो चुका है कि घास व बन हिमालय के घोर वर्षा के पानी को जड़ों द्वारा सोखने का काम करते थे और नीचे आने वाली बाढ़ को रोकता था ?

श्री शिवराजसिंह—वह बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती कि बन के साफ हो जाने के कारण ही बाढ़ नहीं रुक पाती।

श्री मतोलासिंह—मैंने लिखा था कि बलिया से लेकर सहारनपुर तक एक लम्बा चौड़ा घास का मैदान और जंगल था जिसमें बड़े-बड़े हाथी तक घुस जाते थे जिसको जिले जिले से स्वयंसेवक बुला कर सरकार ने कटवा डाला और सरकारी फार्म बना दिया है। वह घास हिमालय से जो पानी आता था उसको सोख लेती थी और वह बलिया और गोरखपुर तक नहीं आ पाता था। इन १५ सालों में क्या यह सरकार अभी तक यह तय नहीं कर पायी है कि इस घास के कटने से पानी नहीं रुक पाता है और वह बलिया, गाजीपुर और गोरखपुर में बाढ़ ला देता है ?

श्री अध्यक्ष—कृषि मंत्री जी के पास यह जानकारी हो तो बता दें।

श्री शिवराज सिंह—वस्तु स्थिति यह है कि इस एरिया के अन्दर जंगल नहीं था, घास के मैदान थे। उस समय मिस्टर बाउडर सर्वे एक्सपर्ट थे। उनके अनुसार वहां पर लम्बे-लम्बे घास के मैदान थे और कहीं-कहीं जंगलात की खेती होती थी। चुनांचे उस वक्त जो एक कमेटी कायम की गयी थी उसने यह तजवीज की थी कि बजाय इन घास के मैदानों के अगर वहां इस तरह की खेती की जाय जिससे बरसात के मौसम में तमाम जमीन खेती से ढंकी रहे तो कटाव नहीं होगा। इसके अलावा नदियों के किनारे-किनारे जंगल की चौड़ी पट्टी भी छोड़ दी गयी है। इसलिये सरकार का ऐसा विचार है कि सरकारी फार्म के स्थापित किये जाने से किसी प्रकार का कटाव नहीं हो रहा है और न बाढ़ ही अधिक हो रही है।

श्री विजयसिंह—इस प्रकार के १८-१९ फार्म हैं और फैजाबाद के फार्म पर ही ४०-४५ हजार रुपये की हानि हुई है तो फिर सरकार क्यों जंगलों को काट कर राजकीय फार्मों की स्थापना कर रही है?

श्री शिवराजसिंह—इससे यह पैदा नहीं होता इसलिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि जंगलों और बाढ़ के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका यह मत है कि जंगलों के काटने से, खास तौर से तराई इलाके में जंगलों को काटने से, बाढ़ का प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता है तथा पानी का प्रवाह भी ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा माननीय चरण सिंह जी भी इसके एक विशेषज्ञ हैं, उनका भी यही विचार है। फिर माननीय मंत्री जी किस आधार पर कहते हैं कि जंगलों को काटने से बाढ़ के बढ़ने पर कोई असर नहीं पड़ा?

श्री अध्यक्ष—मैं जहां तक समझा हूं उन्होंने यह उत्तर दिया कि जिस क्षेत्र पर फार्म बनाया गया है उस पर जंगल नहीं थे बल्कि घास के मैदान थे। घास के मैदानों के स्थान पर फार्म बनाने से बाढ़ के बढ़ने पर कोई असर नहीं हुआ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी इसकी फिर से जांच करायेंगे कि तराई के इलाके में जंगल भी काटे गये?

श्री शिवराजसिंह—इस प्रश्न के अन्दर जिस हिस्से का जिक्र है और उस पर जो फार्म कायम किये गये हैं उनके सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि उस हिस्से पर घास के मदान थे और दरियाओं के किनारे जो जंगल थे वे अब भी सुरक्षित हैं।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—ये जो जंगल काटे जा रहे हैं या इसके लिये जो लोगों की जमीन छीनी जा रही है उसके बारे में क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है कि वह जमीन भूमिहीनों को दी जाय?

श्री अध्यक्ष—इसमें तो भूमि देने का कोई सवाल नहीं है।

श्री बलवान सिंह—क्या सरकार इस जंगल से प्राप्त हुई भूमि को, जिस पर फार्म बनाया गया है, भूमिहीनों को देने की कृपा करेगी?

श्री अध्यक्ष—वे कहते हैं कि इस भूमि पर कोई जंगल था ही नहीं। फार्म की जो जमीन है उस पर तो पहले घास के मैदान थे।

श्री ऊदल—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि तराई भावर इलाके का कितना एकड़ क्षेत्र राजकीय कृषि क्षेत्र में ले लिया गया है ?

श्री शिवराजसिंह—१६ हजार एकड़ तो नगला फार्म में है और ५ हजार एकड़ हेमपुर फार्म में।

नलकूप विभाग के कर्मचारी

*५८—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य के ट्यूबवेल विभाग में कुल कितने कर्मचारी हैं तथा इनमें कितने मिस्त्री, ट्रक ड्राइवर, ट्रेक्टर ड्राइवर और कम्प्रेसर हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग के ट्यूबवेल वृत्तों में कुल ११,३०१ कर्मचारी हैं। इनमें ५५० मिस्त्री, ९५ ट्रक ड्राइवर, ४ ट्रेक्टर ड्राइवर, १२ कम्प्रेसर ड्राइवर तथा १ कम्प्रेसर बोरर हैं।

*५९—श्री सन्तसिंह यूसुफ—[उपरोक्त कर्मचारियों में कितने-कितने स्थायी हैं और कितने-कितने अस्थायी तथा सम्बन्धित] उक्त विभाग में कर्मचारी कितने दिनों तक प्रोबेशन पर रक्खे जाते हैं और स्थायी बनने के क्या नियम हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—विभिन्न पदों के कर्मचारियों का प्रोबेशन पीरियड सामान्यतः १ से ३ वर्ष तक होता है। जिन कर्मचारियों का कार्य सन्तोषजनक पाया जाता ह उन्हें प्रोबेशन पीरियड की समाप्ति के बाद स्थायी कर दिया जाता है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—श्रीमन्, मैंने मंत्री जी से पूछा था कि कुल कितने कर्मचारी अस्थायी यानी टेम्पोरेरी हैं और कितने परमानेंट हैं तो माननीय मंत्री जी ने टोटल ११,३०१ बतलाया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष—आपका पहला प्रश्न यह है—"क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य के ट्यूबवेल विभाग में कुल कितने कर्मचारी हैं तथा इनमें कितने मिस्त्री, ट्रक ड्राइवर, ट्रेक्टर ड्राइवर और कम्प्रेसर हैं ?"

दूसरे प्रश्न में जरा सा अमेंडमेंट हो गया है। "उक्त विभाग में कर्मचारी कितने दिनों तक प्रोबेशन पर रक्खे जाते हैं और स्थायी बनने के क्या नियम हैं ?" जो आपका सेंटेंस इससे पर्व था वह निकाल दिया गया है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—एजेंडा में तो है।

श्री अध्यक्ष—वह गलत है, मेरे पास सही है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—मैंने इसी आब्जेक्टिव से यह सवाल पूछा था कि दस-दस, बारह बारह साल से लोग टेम्पोरेरी हैं, तो जो टोटल है उसमें कितने टेम्पोरेरी हैं और कितने परमानेंट हैं ?

श्री राममूर्ति—इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है लेकिन मैं यह बतला दूं कि जहां तक छोटे कर्मचारियों का ताल्लुक है, इनमें दो प्रकार के कर्मचारी हैं। कुछ परमानेंट हैं और ज्यादातर कर्मचारी वर्क चार्ज्ड बेसिस पर रखे जाते हैं यानी टेम्पोरेरी होते हैं। जब परमानेन्ट वैकेंसी कोई खाली होती है तो उसके एगेन्स्ट उनको रखा जाता है। बाकी के लिये हमेशा से यह कायदा चला आ रहा है कि वर्क चार्ज्ड बेसिस पर वे टेम्पोरेरी रहते हैं।

[ ] उक्त अंश न पढ़ा जाय।

श्री मैनेजर सिंह—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय सन्तसिंह के प्रश्न ५८–५९ मूल रूप से एजेंडा पर हैं जो हम लोगों को मिला है लेकिन अभी आपने कहा कि मेरे यहां सही है, हम लोगों के यहां गलत है। तो मैं यह जानना चाहता हूं....

श्री सन्तसिंह यूसुफ—पहले मुझे प्रश्न तो पूछ लेने दें।

श्री अध्यक्ष—साढ़े ११ बज रहे हैं, आप बाद में पूछ लीजियेगा, पहले उन्हें प्रश्न कर लेने दें।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—मैं यह जानना चाहता हूं कि इनके लिये कोई सर्विस रूल्स वगैरह हैं या नहीं कि इतने दिन जो कर्मचारी टेम्पोरेरी रहेगा उसके बाद वह परमानेंट हो जायगा?

श्री राममूर्ति—जो मुस्तकिल एस्टेबलिशमेंट में कर्मचारी रखे जाते हैं उनके बारे में रूल्स बने हुए हैं लेकिन जो टेम्पोरेरी केडर में हैं और जो वर्क चार्ज्ड बेसिस पर काम करते हैं उनके लिये कोई रूल्स नहीं बने हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि कर्मचारियों के लिये कोई ऐसा सर्विस रूल है कि कितने दिन तक काम करने के बाद उनको परमानेंट कर दिया जायगा?

श्री राममूर्ति—जहां तक रेगुलर एस्टीमेट्स की बात है इसके बारे में रूल्स हैं लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो अस्थायी या वर्कचार्ज हैं उनके बारे में कोई रूल्स नहीं हैं।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—मैं यह जानना चाहता हूं कि जो स्थायी जगहें हैं और उनमें जो आदमी काम करते हैं उनके बारे में कोई नियम हैं कि एक साल बाद या ६ महीने बाद वह स्थायी हो जायंगे?

श्री राममूर्ति—हां, जिलेदार २ साल बाद, ओवरसियर और सुपरवाइजर २ साल बाद, हेड मुंशी और मुंशी १-१ साल बाद, इस तरह से स्थायी किये जाते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—अभी मंत्री जी ने बताया कि जिनका काम सन्तोषजनक पाया जाता है उनको स्थायी करने की कार्यवाही की जाती है, तो मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी किन कामों को सन्तोषजनक समझते हैं, इसका क्या आधार है?

श्री राममूर्ति—यह विभाग का कायदा है कि हर कर्मचारी के ऊपर का अफसर उसके कैरेक्टर रोल में उसके कार्य के बारे में एन्ट्री देता है और वही देखता है कि काम सन्तोषजनक है या नहीं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—श्रीमन्, मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं, यह प्रश्न संख्या ५९ जो श्री यूसुफ जी का था यह मूल प्रश्न हमारे कार्यक्रम में छपा है लेकिन आपने अभी कहा कि आपके यहां सही है, हम को गलत मिला है। तो मैं जानना चाहता हूं कि हम लोगों को यह कैसे गलत मिला और किस की गलती हम मानें और हम यह जानना चाहते हैं कि किस नियम के अन्तर्गत जो प्रश्न एजेंडे पर आते हैं वह संशोधित कर दिये जाते हैं?

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि अगर आप नियम देखें तो उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि कोई भी सूचना या प्रश्न यदि नियम विरुद्ध पाया जाय तो उसको दुरुस्त कर दिया जाय। आपने शायद उस दिन ध्यान नहीं दिया जब माननीय गेंदासिंह जी ने कहा था और आग्रह किया था कि अगर हमारी सूचनाओं या प्रश्नों में कोई गलती हो जाया करे तो आप ठीक कर दिया करें और ऐसा न हो कि उसकी वजह से पूरा प्रश्न ही रिजेक्ट हो जाय।

दूसरी बात जो आप ने उठाई, उसके सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि इन्सान से गलती हो सकती है, आफिस में दुरुस्ती कर दी गई थी लेकिन प्रेस में दुरुस्त सूची नहीं भेजी गई और उसका नतीजा यह हुआ कि पूरा प्रश्न एजेंडे में छप गया। वह प्रश्न दुरुस्त कर दिया गया था और कदाचित् इसकी सूचना भी माननीय सन्तसिंह जी को दे दी गई थी। इसमें कोई मेलाफाइडी बात नहीं है और न कोई किसी को नुकसान पहुंचाने का सवाल था।

श्री राममूर्ति—जहां माननीय सदस्य को सूचना आप के विभाग से दी गई वहां वह हमारे विभाग को भी दी गई थी।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—इसमें दुरुस्त किया है लेकिन मैंने पूछा था कि कितने टेम्पोरेरी हैं और कितने परमानेंट हैं इस को वह बतायें ?

श्री अध्यक्ष—मैं प्रश्न देख लूंगा और यदि आप तकलीफ करें तो मैं देख कर आपको सब बता दूंगा।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—हम अपने प्रश्न को किसी मतलब से पूछते हैं, पूछा गया था कि अस्थायी लोगों की कितनी तादाद है।

श्री विष्णुचन्द्र, ऐडवोकेट, मेरठ की बस सम्बन्धी शिकायत

*६०—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको श्री विष्णुचन्द्र, एडवोकेट, २०१ साकेत, मेरठ ने १७ मई, १९६२ को बस नम्बर, ३९९९ द्वारा मेरठ से मसूरी की यात्रा के सम्बन्ध में जो शिकायत स्टेशन इन्चार्ज, रोडवेज, मेरठ से की थी, उसकी प्रतिलिपि प्राप्त हुई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां।

*६१—श्री भगवान सहाय—यदि हां, तो क्या परिवहन मंत्री उस पत्र को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुजफ्फर हसन—वांछित पत्र की प्रति संलग्न है। उक्त शिकायत की अभी जांच-पड़ताल जारी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २१२–२१३ पर)

बसों से डाक भेजने की व्यवस्था

*६२—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पहली अगस्त, सन् १९६२ से परिवहन विभाग व पोस्ट आफिस विभाग में एक समझौता हुआ है कि डाक बसों द्वारा उन स्थानों को भेजी जायेगी जहां रेलवे की सुविधा नहीं है और डाक का थैला बस की केबिन में रहेगा और उसकी जिम्मेदारी कण्डक्टर पर रहेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां।

*६३—श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—[१२ वें शुक्रवार के लिए प्रश्न १२७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

चतुर्थ विधायक निवास के लिए लिफ्ट

*६४—श्री शिवेन्द्र प्रताप (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बतलायेगी कि चतुर्थ विधायक निवास में सरकार कब तक लिफ्ट लगवाने की सोच रही है ?

श्री राममूर्ति—लिफ्ट लगाने के बारे में कार्यवाही की जा रही है और यथासम्भव यह कार्य जल्द से जल्द किया जायगा।

इटावा जिले के लिए सिंचाई साधन

*६५—श्री नत्थूसिंह (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में जिला इटावा में सिंचाई विभाग कितने ट्यूबवेल लगा रहा है और किन-किन स्थानों पर ?

नोटः— तारांकित प्रश्न ५९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री राममूर्ति—नलकूप बनाना निर्धारित है। इन नलकूपों का स्थितिकरण सर्वेक्षण के बाद किया जायगा अतः यह अभी नहीं कहा जा सकता कि कहां-कहां लगेंगे।

*६६—श्री नत्थूसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में उक्त पंचवर्षीय योजना में कितने छोटे-छोटे नहर के बम्बे और कितने बड़े-बड़े बम्बे बना रही है और कितने बम्बों को बढ़ा रही है, और उससे कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ?

श्री राममूर्ति—तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इटावा डिवीजन के इटावा जिले में ७ नये बम्बे बनाये जायेंगे तथा ३ बम्बे बढ़ाये जायेंगे जिससे सी० सी० ए० में २७३०३ एकड़ नया क्षेत्र आ जावेगा। इनसे प्रतिवर्ष ५४५९ एकड़ धान सिंचित होगा।

*६७—श्री रघुनाथ—[हटा दिया गया।]

*६८-७०—श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—[१६ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किय गय।]

बिसवां बस स्टेशन तथा बस दुर्घटना

*७१—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिसवां रोडवेज बस स्टेशन के लिये सरकार ने कोई जमीन या मकान खरीदा है या इस विषय में कोई बात चली रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—राजा महमूदाबाद की कोठी खरीदने की बातचीत चल रही है।

*७२—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी रोडवेज की बस से गत जुलाई के अन्तिम सप्ताह में बिसवां, जिला सीतापुर के नगर के अन्दर कोई accident हुआ था ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां।

*७३—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त accident के बारे में पुलिस में यह रिपोर्ट दर्ज हुई कि ड्राइवर accident के समय नशे की हालत में था ? यदि हां, तो उसमें जन सुरक्षा हेतु क्या विभागीय कार्यवाही हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

रोडवेज एम्प्लाइज यूनियन

*७४—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—क्या परिवहन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश रोडवेज एम्प्लाइज यूनियन को मान्यता दे रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुजफ्फर हसन—प्रश्न विचाराधीन है।

*७५—चौधरी अब्दुल हबीब खां (जिला बहराइच) तथा श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—[१३ वें गुरुवार के लिये प्रश्न १४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मांट ब्रांच कैनाल, मथुरा तथा रायबरेली जिले का बड़ैला तालाब

*७६—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—(अ) क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मांट ब्रांच कैनाल मथुरा में रजबहा मुरसान कुलाबा ७३ पर चकबन्दी से पहले या बाद में स्थाई या अस्थाई वारबन्दी उसे स्थाई रूप दिया या नहीं ?

(ब) कुलाबा ७३ पर योजनाओं से पहले पोटेंशियल कितना था ? अगर अब कम हुआ, तो क्यों ?

(स) कुलावा ७३ पर ग्रोस एरिया कितना है तथा सिंचाई क्षत्र कितना है, अगर सिंचाई क्षेत्र कम हुआ, तो कैसे ?

(द) कुलावा ७३ के हेड से टेल तक पानी पहुंचाने में टेल के किसानों ने कितना लाभ उठाया ? अगर कम है, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—इस कुलाबे पर चकबन्दी से पहले सन् १९५७ में अस्थाई वारबन्दी की गई थी । इसके बाद इस कुलाबे पर कोई अस्थाई या स्थाई वारबन्दी नहीं की गई है ।

ब—पहले भी पोटेंशियल ३४ एकड़ था और अब भी उतना ही है ।

स—इस कुलाबे पर ग्रास एरिया ९४ एकड़ है, प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र ३४ एकड़ है और औसतन सिंचाई क्षेत्र १६ एकड़ है । प्रस्तावित सिंचन क्षेत्र में कम सिंचाई होने के दो कारण हैं । पहला यह कि इस कुलाबे के कमांड के मध्य में पुर से चलने वाले २ कुएं और कमांड के टेल के क्षेत्र में एक डीजल ट्यूबवेल है जो कमांड के काफी क्षेत्र को सींचते हैं । दूसरा कारण यह है कि इस कुलाबे पर डाल (lift) का काफी सिंचाई क्षेत्र इस कारण रह जाता है क्योंकि किसान 'डाल' से सिंचाई कम करते हैं ।

द—कुलावा नं० ७३ की टेल पर पानी पहुंचाने के लिये १९५७ में वारबन्दी की गई थी । परन्तु हेड के किसानों ने पानी टेल तक पहुंचाने में बाधा पहुंचाई और टेल के किसानों ने इस बात का विरोध नहीं किया क्योंकि जैसा उत्तर में ऊपर कहा गया है वे अपना क्षेत्र डीजल ट्यूबवेल से सींच लेते हैं । अतः नहरी सींच से टेल के किसानों ने कोई लाभ नहीं उठाया ।

*७७—**श्री रतीपाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले के बड़ेला तालाब की बाढ़ से प्रायः ४०० एकड़ भूमि की फसल को क्षति पहुंचती है ? इसे बचाने हेतु एक नाला पानी की निकासी के लिये बनाया गया परन्तु उससे भी पानी निकल नहीं पाता ? क्या इस अनावश्यक क्षति को बचाने के हेतु सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—लगभग ३०० एकड़ भूमि बड़ेला तालाब की बाढ़ से जलमग्न रहती थी । परन्तु नाले के बन जाने से लगभग १५० एकड़ भूमि को लाभ पहुंचा । अब पानी तालाब के गहरे भाग में ही सीमित रहता है अतः इसके लिये कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

*७८—**श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल** (जिला इटावा)—[१३ वें सोमवार के लिये प्रश्न २८ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

*७९—**श्री होरीलाल यादव** (जिला इटावा)—[१६ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*८०-८१—**श्रीमती सुशीला रोहतगी** (जिला कानपुर)—[१६ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

परिवहन विभाग में कर्मचारियों की सीनियारिटी

*८२—**श्री रामकिशोर त्रिपाठी** (जिला बाराबंकी)—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेन्ट्रल सेलेक्शन कमेटी १९५५-५६ रोडवेज ने ए० टी० आई०, जे० एस० आई० तथा एस० एस० आई० के पदोन्नति के लिये कोई सीनियरिटी लिस्ट बनाने का निर्णय दिया था ?

श्री मुजफ्फर हसन—सन् १९५५ में सेन्ट्रल सेलेक्शन कमेटी ने पदोन्नति के लिये विभिन्न पदों की मेरिट लिस्ट बनायी थी । सन् १९५६ में सीनियरिटी के आधार पर कमेटी ने पदोन्नति की लिस्ट तैयार की ।

*८३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त कमेटी के किये निर्णय का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां, शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*८४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या परिवहन मंत्री यह भी बतायेंगे कि इस संबंध में संबंधित कर्मचारियों के कुछ प्रार्थना-पत्र भी उनको अथवा कमिश्नर ट्रांसपोर्ट को प्राप्त हुये हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां ।

इलाहाबाद जिले के आनरेरी मैजिस्ट्रेट, श्री प्रद्युम्ननारायणसिंह

*८५—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इलाहाबाद में कितने अवैतनिक मजिस्ट्रेट ऐसे हैं जो अपने निवास स्थान की तहसील हेडक्वार्टर में ही मजिस्ट्रेटी करते हैं ?

श्री सैयद अलीज हीर—ऐसा एक मैजिस्ट्रेट है ।

*८६—श्री नाथूराम शिक्षक—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसी अवैतनिक मजिस्ट्रेट की पुनर्नियुक्ति के पहले उनका पिछला रिकार्ड देखा जाता है ? यदि हां, तो श्री प्रद्युम्न नारायण सिंह जी, मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद को किन कारणों से मजिस्ट्रेट बनाया गया जबकि उनके विरुद्ध अनेक शिकायतें भूतपूर्व जिलाधीश, बांदा ने सरकार से की थीं ? क्या उन शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा की जावेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—सभी अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों की पुनर्नियुक्ति के पहले उनका पिछला रेकार्ड देखा जाता है । श्री प्रद्युम्न नारायण सिंह की पुनर्नियुक्ति के कारणों का बताना और उनके विरुद्ध जिलाधीश, बांदा द्वारा प्राप्त शिकायतों की प्रतियों का सदन की मेज पर रखना जनहित में नहीं होगा ।

रीजनल ट्रान्सपोर्ट आफिस, कानपुर की बिल्डिंग

*८७—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिस, कानपुर की बिल्डिंग का सरकार को कितना रुपया प्रतिमास किराया देना पड़ता है ?

श्री मुजफ्फर हसन—२०० रुपया ।

*८८—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर जो कानपुर के ट्रांसपोर्ट आफिस में ही रहते हैं उनसे सरकार कितना किराया चार्ज करती है तथा उसके बदले उन्हें कितने कमरे दिये गये हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—सरकार २५ रुपये प्रतिमास चार्ज करती है । रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर को तीन कमरे दिये गये हैं ।

*८९—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर को निवास के लिये देने के बाद आफिस के लिये जो कमरे बचते हैं क्या वे पर्याप्त हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं ।

देवरिया जिले के लिए नलकूप

*९०—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में वर्तमान योजना के अन्तर्गत कितने नलकूप लगग ? अगर लगगे, तो उनम से कितने मोती चक ब्लाक में और कितने सुकरौली ब्लाक में लगेंगे ?

श्री राममूर्ति—तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देवरिया जिले में अस्थायी (tentatiuely) तौर से ३४ नलकूप लगाया जाना प्रस्तावित है । इन नलकूपों में से मोतीचक व सुकरौली ब्लाकों में कोई नलकूप लगाने की योजना नहीं है ।

*९१—श्री बांकेलाल—[१६ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

महोबा रोडवेज डिपो में ओवर टाइम भत्ता

*९२—श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि महोबा राजकीय रोडवेज, जिला हमीरपुर के डिपो में कार्य करने वाले ड्राइवर तथा कन्डक्टरों को overtime कार्य करने का अतिरिक्त वेतन, जो नियमानुकूल है, नहीं दिया जा रहा है ?

श्री मुजफ्फर हसन—स्थिति ऐसी नहीं है ।

*९३—श्री मदनपालसिंह—यदि हां, तो ऐसे कितने ड्राइवर, कन्डक्टर हैं जिनको अभी तक पूरा overtime (कार्य करने का अतरिक्त वेतन) नहीं दिया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—केवल पांच ड्राइवरों और ७ कंडक्टरों के ओवर टाइम भत्ते का भुगतान बाकी है ।

*९४—श्री मदनपालसिंह—क्या शासन इन कर्मचारियों को अविलम्ब overtime का अतिरिक्त वेतन दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—आवश्यक कार्यवाही हो रही है ।

*९५-९७—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—[१६ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

जसवन्तनगर ब्लाक में गीजा ग्राम के निकट पानी ठहर जाना

*९८—श्री नत्थूसिंह—क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जिला इटावा, ब्लाक जसवन्तनगर में गीजा ग्राम के आस-पास अधिक वर्षा के कारण पानी भरा रहता है जिससे हर वर्ष फसल को काफी क्षति पहुंचती है ? इस वर्ष उक्त पानी को निकालने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक वह योजना कार्यरूप में परिणत हो जावेगी ?

श्री राममूर्ति—गीजा ग्राम में वर्षा का पानी प्राकृतिक ड्रेनेज से होकर आसानी से निकल जाता है और फसल को नुकसान नहीं होता है अतः पानी निकालने की कोई योजना नहीं है ।

जालौन जिले के लिए बम्बे तथा माइनर

*९९—श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जालौन जिले में किन-किन स्थानों पर नये बम्बा तथा नये माइनर बढ़ाने की स्कीम है ? उनके नाम तथा दूरी क्या हैं ?

श्री राममूर्ति—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २१४ पर)

*१००—श्री शिवसम्पति शर्मा—क्या यह सच है कि कई माइनरों के तखमीने जिले से स्वीकृति हेतु सरकार को भेजे गये हैं लेकिन एक साल से अधिक हुआ अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं हुई ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, तखमीनों पर सरकार की स्वीकृति वांछित नहीं है ।

*१०१—श्री शिवसम्पति शर्मा—क्या सरकार अपने चीफ इंजीनियर को हिदायत देगी कि १५ दिन के अन्दर सभी स्कीमें और तखमीने स्वीकार कर के भेजेंगे जिससे कि बोआई के पहले माइनर के खुदाई का काम शुरू हो ?

श्री राममूर्ति—इसका प्रश्न ही नहीं उठता है ।

सई नदी सुधार योजना

*१०२—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव, हरदोई जिलों में सई नदी की बाढ़ को स्थायी रूप से रोकने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, सई नदी को सुधारने की योजना में अधिकांश पुलों में additionas spanl बनाने का सुझाव है ।

रोडवेज क्षेत्र, गोरखपुर में कर्मचारियों का बकाया

*१०३—श्री सूरजलाल (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट रोडवेज गोरखपुर रीजन में कितने कर्मचारियों को कितनी मात्रा में dues पाना बाकी है ? अब तक क्यों नहीं दिये गये ? सरकार कब तक देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—७४३ कर्मचारियों को रु० ३८,७२६.०९ न० पै० पाना बाकी हैं ।

२—समय से भुगतान न होने के कारण इस प्रकार हैं :—

१—सेवा पुस्तिका व व्यक्तिगत पंजिका का अपूर्ण होना,

२—अवकाश व वेतन निर्धारण के आदेश प्रेषित करने में पत्र-व्यवहार के कारण विलम्ब,

३—एलाउन्स फार्म, टी० ए० बिल, मेडिकल तथा फिटनेस सार्टिफिकेटों को कर्मचारियों द्वारा बिलम्ब से देने तथा त्रुटियों के समाधान के लिये पत्र-व्यवहार ।

३—उपर्युक्त बकाया रकम का भुगतान करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और आशा है कि भुगतान यथा-सम्भव जल्दी हो जायगा ।

*१०४—श्री होरीलाल यादव—[१६ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

रोशन नगर सेहरुआ ग्राम से जल निकासी के लिए प्रार्थना

*१०५—श्री रामभजन (जिला खीरी)—क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मौ० रोशन नगर, सेहरुआ, जिला खीरी के कृषकों के इस आशय के आवेदन-पत्र जिला अधिकारियों एवं सिचाई मन्त्री को मिले हैं कि इनके यहां एक बड़े तालाब का पानी बढ़ कर उनकी फसलों को नष्ट करता रहता है ?

श्री राममूर्ति—जी हां ।

*१०६—श्री रामभजन—उपरोक्त कृषकों ने क्या अपने आवेदन-पत्र में यह भी दिखलाया है कि सरकार द्वारा दूसरे तालाबों का पानी इसमें मिला देने के कारण इनकी मुसीबत और बढ़ जाती है ?

श्री राममूर्ति—जी हां।

*१०७—श्री रामभजन—क्या कृषकों की इस उपरोक्त परेशानी को दूर करने के लिये एक लम्बा नाला खुदवा कर पानी की निकासी की व्यवस्था करके इनकी फसल की बरबादी बचाई जावेगी ?

श्री राममूर्ति—जी हां।

*१०८-१०९—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—[१६ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

बुढ़ाना तहसील में श्री अयूब खां का खाद तथा श्री सफदर खां का बीज सम्बन्धी मामला

*११०—श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर), श्री विजयपालसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को पता है कि श्री अय्यूब खां, ग्राम लोई, तहसील बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर ने खाद के लिये बांड भरा था मगर कोई खाद नहीं लिया जिसकी सूचना बी० डी० ओ० बुढ़ाना अमरती लाल को भी है मगर सीताराम सुपरवाइजर ने उसके नाम गलत इन्दराज कर दिया, जांच के बाद मतालबे की वसूलयाबी रोक दी गई थी ? यदि हां, तो कागजात वसूलयाबी से उनका नाम क्यों नहीं हटाया गया ?

श्री चरणसिंह—श्री अय्यूब खां, ग्राम लोई तहसील बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर ने खाद के लेने के लिये १९-७-१९५९ को बाण्ड भरा था। उन्होंने सन् १९६१ में क्षेत्र विकास अधिकारी, बुढ़ाना को खाद न लेने का एक प्रार्थना-पत्र दिया था। इस प्रार्थना-पत्र पर क्षेत्र विकास अधिकारी की सिफारिश पर, जांच पूरी होने तक, वसूली रोक दी गई थी परन्तु सम्बन्धित बाण्ड को तहसील में देखने से मालूम हुआ कि श्री अयूब खां ने बाण्ड पर हस्ताक्षर किये हैं। जो इस बात का सबूत है कि खाद श्री अयूब खां को मिल गई थी। अतः वसूली जारी कर दी गई। कागजात से नाम हटाने का अब प्रश्न नहीं उठता।

*१११—श्री चन्दनसिंह, श्री विजयपालसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार को पता है कि सफदर खां, ग्राम लोई, तहसील बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर ने बीज गोदाम से जो गेहूं लिया था वह सवाया सहित निश्चित समय पर बीज गोदाम को वापस कर दिया था परन्तु सुपरवाइजर सीताराम ने यह कह कर कि रसीद इस समय नहीं है काश्तकार के नाम गल्ला नहीं जमा किया इसकी इत्तला जिलाधीश महोदय तथा डिप्टी डाइरेक्टर ऐग्रीकल्चर को दे दी गई थी, जिसकी जांच भी हो चुकी है। यदि हां, तो सरकार ने सुपरवाइजर के खिलाफ क्या कार्यवाही की है और काश्तकार से वसूलयाबी बन्द की है या नहीं ?

श्री चरणसिंह—जी हां, इस आशय की शिकायत श्री सफदर अली खां ने पहले क्षेत्र विकास अधिकारी, बुढ़ाना को की थी। क्षेत्र विकास अधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को प्रतिवेदन भेजा। जिला कृषि अधिकारी ने शिकायत की जांच स्वयं की परन्तु यह साबित न हो सका कि श्री सफदर अली ने गल्ले की अदायगी की थी। श्री सफदर अली ने जिलाधीश तथा उप-कृषि निदेशक को भी शिकायत उक्त जांच के बाद की।

चूंकि गल्ले की अदायगी का कोई प्रमाण नहीं मिला इसलिये वसूलयाबी बन्द करने अथवा इस मामले के आधार पर सुपरवाइजर के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

उपनिदेशक, उद्यान विभाग, आगरा से स्पष्टीकरण की मांग

*११२—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उपनिदेशक, उद्यान विभाग, आगरा ने बिना चार्ज शीट लगाये ब्रह्मदत्त शर्मा नाम के एक सुपरवाइजर को माली बना दिया है जब कि उसने माली के स्थान पर कभी काम नहीं किया था और उसकी नियुक्ति सुपरवाइजर के पद पर हुई थी ?

श्री चरणसिंह—श्री ब्रह्मदत्त शर्मा सुपरवाइजर के पद पर नहीं बल्कि हेड चौधरी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त था। यह सही है कि बिना चार्जशीट लगाये श्री शर्मा को उपनिदेशक उद्यान, आगरा ने माली बना दिया जब कि उसने उस पद पर कभी कार्य नहीं किया था व उसकी नियुक्ति हेड चौधरी के पद पर हुई थी। उप-निदेशक उद्यान की यह कार्यवाही ठीक नहीं थी। उनका जवाब तलब किया जा रहा है।

*११३—श्री बालोजी अग्रवाल—क्या यह सही है कि उक्त सुपरवाइजर का गत ४ वर्ष का काम निहायत अच्छा रहा तथा पिछले उपनिदेशक, कृषि उद्यान अधिकारी ने उसके अच्छे कार्य के लिये प्रमाण-पत्र दिये थे ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, वह जहां कहीं भी रहा वहां उसका काम खराब रहा। सरकारी रिकार्ड से यह पता नहीं चलता है कि पहले उपनिदेशक उद्यान तथा उद्यान कृषि अधिकारी ने श्री शर्मा को अच्छे कार्य के लिये प्रमाण-पत्र दिये हों।

*११४–११५—श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली) तथा श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—[१३वें गुरुवार के लिये प्रश्न १२५–१२६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता

*११६—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग में कितने सहायक अभियन्ता (Assistant Engineer) अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—सिंचाई विभाग में इस समय ६७७ सहायक अभियन्ता अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं।

कासगंज रोडवेज बस स्टैण्ड

*११७—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला एटा में कासगंज रोडवेज बस स्टैंड पर विभिन्न दिशाओं को अत्यधिक आवागमन होते हुये भी वहां पर बिजली नहीं है और न पानी का ही उचित प्रबन्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार बिजली और पानी की कमियों को शीघ्र ही दूर करने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—बिजली लगवाने का प्रबन्ध हो रहा है। पानी का समुचित प्रबन्ध है।

रुड़की तहसील में सिकरौढ़ा ग्राम की खानकाह

*११८—श्री जगदीशनारायण सिनहा (जिला सहारनपुर)—क्या यह सत्य है कि धन अभाव के कारण सिकरौड़ा ग्राम, तहसील रुड़की, जिला सहारनपुर में स्थित मशहूर खानकाह शोचनीय दशा में हो गई है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां।

*११९–१२१—श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—[१६ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१२२—श्री हीरालाल यादव—[१६ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१२३-१२४—श्री शरफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—[हटा दिये गये।]

भोगांव तहसील में फरेंजी नाला

*१२५—श्री रामसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी के तहसील भोगांव में ग्राम फरेंजी के चारों ओर पानी भरने से तमाम फसल तथा मकान नष्ट हो जाते हैं? उस पानी को निकालने के लिये क्या कोई नाला बनाया जायगा? यदि हां, तो कब तक?

श्री राममूर्ति—फरेंजी ग्राम से पानी निकासी हेतु फरेंजी नाला बना हुआ है।

अतारांकित प्रश्न

डुमरियागंज नलकूप नम्बर २८

१—श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बस्ती जिले में डुमरियागंज ग्रुप के नलकूप नम्बर २८ तक महीनों पहले बिजली के तार खिच जाने के बाद भी अभी तक बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं दिया गया?

श्री राममूर्ति—विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर न लगाये जाने के कारण बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा सका।

२—श्री भानुप्रतापसिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उपरोक्त नलकूप तथा उससे सम्बन्धित नालियों के बनाने के लिये जो किसानों की भूमि ली गयी क्या उसका मुआवजा किसानों को दिया गया? यदि हां, तो किन-किन किसानों को और कितना-कितना रुपया दिया गया?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है।

यमुना नहर जल विभाजन नियम

३—श्री यशपाल (जिला सहारनपुर)—(सिंचाई मन्त्री के उत्तर, प्रश्न संख्या ३७ 'ख' दिनांक ३१ जुलाई, १९६२ से सम्बन्धित) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यमुना नहर अपर और लोअर डिवीजन में पानी की तकसीम का फारमूला किस वर्ष बना? उस वर्ष हर डिवीजन में कितना-कितना रकबा सिंचित होता था। उसके पश्चात् अब तक उस सिंचित रकबे में वृद्धि हुई है या नहीं? यदि हुई है, तो फसलवार हर डिवीजन में कितनी-कितनी?

श्री राममूर्ति—सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २१५ पर)

४—श्री यशपाल—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रजबहा हंगावली में पानी आखिर के कुलाबों तक पहुंच जाता है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार ऐसा प्रबन्ध करने पर विचार करेगी कि रजबहे में पानी हर हफ्ते चालू अवस्था में आखिर के कुलाबों तक पहुंच जाया करे?

श्री राममूर्ति—रजबहा हंगावली के आखिर के कुलाबे तक पानी पहुंच जाता है। रजबहे रोस्टर से चलाये जाते हैं। जिस हफ्ते चलाये जाते हैं पानी आखिर के कुलाबों तक पहुंच जाता है।

पटियाली माइनर योजना की असफलता

५—श्री राजेन्द्रसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नहर शाख फतेहगढ़ में से जिला एटा में पटियाली माइनर के नाम से सिंचाई हेतु कोई बम्बा बनाने की योजना कुछ वर्ष पूर्व बनाई गई थी? यदि हां, तो कब और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई थी?

श्री राममूर्ति—जी हां, सन् १९५८ ई० में सिंचाई से सम्बन्धित जो ओवरआल (overall) प्लान बनाया गया था उसी के अनुसार पटियाली ब्लाक में पटियाली माइनर को बनाने का प्रस्ताव था किन्तु लोअर गंगा कैनाल से पानी की कमी के कारण आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई।

६—श्री राजेन्द्रसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पटियाली माइनर की योजना अभी तक किन-किन कारणों के फलस्वरूप कार्यान्वित नहीं की जा सकी और अब कब तक बनने की आशा है?

श्री राममूर्ति—शाख फर्रुखाबाद में निचली नहर गंग से अधिक मात्रा में पानी न मिल सकने के कारण इस माइनर की योजना स्थगित कर दी गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस माइनर को बनाने का विचार है।

७—श्री राजेन्द्रसिंह—क्या यह सही है कि ग्राम पुरसारी, तहसील अलीगंज (एटा) का नलकूप नं० १, ३ माह से बन्द है? यदि हां, तो उसकी मरम्मत अब तक क्यों नहीं की गई?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, यह नलकूप बराबर चालू है। केवल गत माह अगस्त में मांग न होने के कारण इससे कोई सिंचाई नहीं हुई।

मालन नदी बांध निर्माण का स्थगन

८—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बिजनौर जिले में मालन नदी डैम का बनाना स्थगित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या कारण है?

श्री राममूर्ति—जी हां, वहां पर स्ट्रेटा दशायें अनुपयुक्त पाई गईं जिससे जलाशय में पानी न रुकने की सम्भावना थी। इस परिस्थिति से बचने के लिये दो जलाशय बनाने का प्रस्ताव हुआ लेकिन इस कार्य में आर्थिक लाभ नहीं था और लागत भी अधिक हो जाती। इन कारणों से योजना रोक दी गई है।

बेतवा नहर क्षेत्र में सिंचाई के लिए इन्दराज

९—श्री विजयसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री यह बतायेंगे कि क्या यह बात सत्य है कि Executive Engineer, Betwa Canal Division, Orai ने कोई लिखित या मौखिक इस प्रकार के आदेश दिये हैं कि खरीफ फसल में जिन नम्बरान में कोई जिन्स न हो और कुलाबे खुले रहने के कारण वह नम्बरान खुद भर जायं तो उन नम्बरान पर सिंचाई कर लगाया जाय?

श्री राममूर्ति—यह सही है कि जिन खेतों में कुलाबों से पानी गया हो उनकी सिंचाई प्रवेश करने के आदेश दिये गये हैं।

१०—श्री विजयसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले में खरीफ में १३७० फ० में कितना गांववार रकबा है जो खुद ही भर गया है और जिसको कि काश्तकार नहीं भरना चाहता था?

श्री राममूर्ति—यह सही-सही नहीं कहा जा सकता है।

११—श्री विजयसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले में Executive Engineer, Betwa Canal Division ने क्या कोई ऐसा आदेश दिया है कि जहां खेतों में आबपाशी तथा गैर आबपाशी के बीच यदि मेड़ नहीं है तो उस गैर आबपाशी वाले रकबे का भी सिंचाई-कर अदा करना पड़ेगा?

श्री राममूर्ति—इस प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया गया है।

फतेहपुर जिले में सिंचाई व्यवस्था

१२—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना व द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिला फतेहपुर में कितने-कितने ट्यूबवेलों (Tubewells) के बनाने की योजना थी और उनमें से कितने-कितने ट्यूबवैल (Tubewells) बनाये गये?

श्री राममूर्ति—प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिला फतेहपुर में ६ नलकूप बनाने की योजना थी। इनमें से तीन नलकूप खोदे गये जिनमें से केवल एक नलकूप सफल हुआ। स्ट्रेटा बहुत खराब होने के कारण नलकूपों के सफल होने की आशा नहीं थी इसलिये शेष पांच नलकूप नहीं बनाये गये। द्वितीय योजना में यहां पर कोई नलकूप बनाने की योजना नहीं थी।

१३—श्री दीपनारायणसिंह—क्या उत्तर प्रदेश सरकार रामगंगा योजना के अन्तर्गत नई बनी नहरों से इसी वर्ष धान की फसल सींचने को पानी देने जा रही है? यदि हां, तो कहां-कहां?

श्री राममूर्ति—जी हां, रामगंगा योजना के अन्तर्गत निर्मित हथगांव डिस्ट्रीब्यूटरी (जिला फतेहपुर) तथा चितेन माइनर एक्सटेन्शन (तहसील भोगांव, जिला मैनपुरी) इस वर्ष धान की आबपाशी के हेतु चालू की गई है।

लालगंज से चलने वाली बसें

१४—श्री रतीपाल—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले के लालगंज से किन स्थानों को बसें जाती हैं और जिन स्थानों पर बसें जाती हैं क्या वहां पर बस कन्डक्टर और ड्राइवरों को रात के लिये कोई व्यवस्था है?

श्री मुजफ्फर हसन—लालगंज से कानपुर, बेहटा तथा लखनऊ को बसें जाती हैं। लखनऊ व कानपुर में ड्राइवरों व कन्डक्टरों के लिये रात में ठहरने की व्यवस्था है। बेहटा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

१५—श्री रतीपाल—लालगंज से कितनी मेल, एक्सप्रेस और कितनी पैसेंजर बसें चलती हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—लालगंज से १ मेल, १ एक्सप्रेस तथा १ पैसेंजर बस चलती है।

मथुरा में दीवानी कचेहरी की इमारत

१६—श्री भीखालाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जिले की दीवानी कचेहरी की इमारत का निर्माण कब समाप्त हुआ और उसका तखमीना कितने का था तथा कब उसकी मंजूरी दी गई और सम्पूर्ण निर्माण-कार्य में कितना व्यय हुआ?

श्री सैयद अली जहीर—मथुरा जिले की दीवानी कचेहरी का निर्माण ३ जुलाई, १९६२ को समाप्त हुआ। उसका तखमीना ३,२३,९०० रु० का था। निर्माण-कार्य की स्वीकृति २३ अप्रैल, १९५७ को दी गई थी। इस कार्य पर २,७४,३६२ रु० व्यय हो चुका है तथा कुछ बिलों का भुगतान कार्यालय से होना बाकी है। इस सम्पूर्ण निर्माण-कार्य में कितना व्यय हुआ यह सब बिलों का भुगतान होने पर ही पता चलेगा।

बस्ती जिले में बंजरहा बांध

१७—श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या सिंचाई मंत्री को इस बात की सूचना है कि जिला बस्ती में बंजरहा स्पर बैण्ड के गलत बन जाने के कारण कई गांवों की हजारों एकड़ फसल बाढ़ के पानी में डूब गई है? इसके लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की?

श्री राममूर्ति—जिला बस्ती में बंजरहा बन्द व स्पर ठीक बने हैं। इनके कारण कोई फसल नहीं डूबी है।

१८—श्री कैलाश (जिला देवरिया)—[१६ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

१९-२०—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—[१६ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

गोंडा जिले की बस सर्विस में गड़बड़ी

२१—श्री सूरजलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि एक माह से निरन्तर गवर्नमेंट रोडवेज की बसें उत्तरौला से गोंडा, उत्तरौला से मनकापुर और उत्तरौला से बलरामपुर कई कई घंटा देर से छूटती हैं तथा पहुंचती हैं इसका क्या कारण है?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। इसका कारण सड़कों की खराब दशा है। पिछले १ महीने की अधिक वर्षा के कारण इन सड़कों पर पानी भर जाने से परिस्थिति अधिक बिगड़ गई थी।

कृषि तथा पशुपालन विभागों के लेखाधिकारी

२२—श्री विजयसिंह—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा नियंत्रित कृषि और पशुपालन विभागों में राजपत्रित और अराजपत्रित लेखाधिकारियों में से प्रत्येक के लिये क्या-क्या योग्यतायें निर्धारित हैं तथा प्रत्येक विभाग में उक्त पदों पर कितने-कितने व्यक्ति निर्धारित योग्यता से युक्त अथवा रहित वर्तमान समय में काम कर रहे हैं?

श्री चरणसिंह—वांछित सूचना परिशिष्ट 'क' में देखें।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २१६-२१७ पर)

२३—श्री विजयसिंह—क्या कृषि मंत्री को यह पता है कि कृषि निदेशक ने अपने विभाग के लेखाकारों को निर्धारित योग्यता से रहित होने के दण्डस्वरूप उन्हें उनकी सालाना तरक्की से वंचित कर दिया है? यदि हां, तो कृषि विभाग के लेखाधिकारियों पर यह नियम क्यों नहीं लागू किया गया?

श्री चरणसिंह—जी हां, कृषि विभाग के उन लेखाकारों (Accountants) को जो कि Divisional Test की परीक्षा नहीं पास कर सके हैं उनकी सालाना तरक्की रोक दी गई है। चूंकि लेखा अधिकारी निर्धारित योग्यता से युक्त हैं, उन पर यह नियम लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

२४—श्री विजयसिंह—क्या मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि पशुपालन विभाग ने भी अपने यहां के योग्यता रहित लेखाकारों व लेखाधिकारियों की सालाना तरक्की में इसी प्रकार की रोक लगाई है?

श्री चरणसिंह—पशुपालन विभाग में डिवीजनल टेस्ट (Divisonal Test) पास शुदा व्यक्तियों को ही १५०—१०—२५०—द० रो०—१०—३५० के वेतन-क्रम के लेखाकार के पद पर नियुक्त किया जाता है और इस योग्यता से रहित व्यक्तियों को १००—८—१४०—१०—१७० के वेतन-क्रम में लेखाकार नियुक्त किया जाता है, वहां पर इस प्रकार की रोक लगाने का प्रश्न नहीं उठता।

करनैलगंज में बस स्टेशन बनाने की योजना

२५—श्री गिरजाप्रसाद—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपया करेंगे कि क्या गोंडा जिले के अन्तर्गत कर्नलगंज में यात्रियों की सुविधा हेतु बस स्टेशन बनाना सरकार के विचाराधीन है?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां।

२६—श्री गिरजाप्रसाद—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६१-६२ वर्ष में प्रतिमास उपरोक्त स्टाप पर कितनी आय हुई है?

श्री मुजफ्फर हसन—प्रति मास औसत आय २,५१६ रुपये हुई।

तृतीय मंडल सिंचाई विभाग का चित्रकार चन्दीप्रसाद

२७—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय मंडल सिंचाई विभाग में चन्दी प्रसाद चित्रकार को सन् ५३ से सन् ५९ तक सात साल कार्य करने पर भी मुस्तकिल नहीं किया गया? क्या यह सच है कि २ साल बाद मुस्तकिल करने का कानून है?

श्री राममूर्ति—जी हां, यह सच है कि श्री चन्दी प्रसाद ने सन् १९५२ से सन् १९५९ तक लगभग सात साल चित्रकार (ड्राफ्ट्समैन) के पद पर कार्य किया और उनको मुस्तकिल नहीं किया गया। ऐसा कोई कानून नहीं है कि हरएक ड्राफ्ट्समैन को दो साल के बाद मुस्तकिल कर ही दिया जाय।

२८—श्री लखीसिंह—जब जी ओ० सं० ४५६४/आई० ई०, दिनांक १६ नवम्बर, १९५४ द्वारा सहायक चित्रकार की पोस्ट चित्रकार में बदलने का आदेश हो चुका है तब सन् १९५९ में उपरोक्त चित्रकार को सहायक चित्रकार की पोस्ट पर कैसे वापस किया गया?

श्री राममूर्ति—माननीय सदस्य का तात्पर्य जी० ओ० सं० ४७६४/आई० ई० दिनांक १६-११-५४ से है। उक्त जी० ओ० द्वारा सहायक ड्राफटमैन के पदों को ड्राफ्ट्समैन के पदों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव सरकार द्वारा अस्वीकार किया गया था और यह आदेश दिये थे कि भविष्य में सहायक ड्राफ्ट्समैन के पद पर नियुक्ति नहीं की जायगी।

उपरोक्त चित्रकार ने चूंकि ड्राफटमैन के पद पर officiating capacity में ही कार्य किया और उनको उक्त पद के लिये अनुपयुक्त पाया गया अतः उन्हें सहायक चित्रकार के पद पर, जिस पर उनकी नियुक्ति substantive रूप से थी, वापस कर दिया गया।

२९—श्री लखीसिंह—उपरोक्त चित्रकार के सर्विस काल में मिलने वाली वार्षिक इन्क्रीमेंट में होने वाली गड़बड़ी का पूरा ब्योरा दिया जाय?

श्री राममूर्ति—श्री चन्दीप्रसाद का कार्य असन्तोषप्रद पाया गया और उन्हें दक्षता रोक (Efficiency bar) पर रोक दिया गया था फलतः नियमानुसार उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रुक गयी थी।

फतेहपुर तहसील की सगरावा जरखा झीलें

३०—श्री रामआसरे (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बाराबंकी तहसील फतेहपुर के अन्तर्गत २ झीलें एक सगरा व दूसरी जरखा नाम की हैं जिनके किनारे १७–१८ गांव पड़ते हैं और ये वर्षा में जलमग्न हो जाते हैं जिससे काफी हानि होती है? क्या उनके पानी को निकालने के लिये दो बार सर्वे भी हो चुके हैं? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री राममूर्ति—जी हां। बरसात में इन झीलों के किनारे के कुछ क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। ग्रामीणों की दरख्वास्त पर झीलों का पानी निकालने के लिये सर्वे किया गया और यह पाया गया कि दोनों ड्रेनों की लम्बाई ५-५ मील से कम हैं अतः वह श्रमदान द्वारा बनने के लिये हैं। इसके लिये जिला नियोजन अधिकारी बाराबंकी को सूचित किया गया है ताकि वह ग्राम सभाओं की अनुमति लें।

किजनिया बांध, बांदा की लागत और आबपाशी

३१—श्री मतोलासिंह—(सातवें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या ७४–७६ के उत्तर के संदर्भ में) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो रकबा १२३ एकड़ आबपाशी में दिखाया गया है वह गूल द्वारा आबपाशी हुआ है या बांध के अन्दर का रकबा जो बोया गया है, दिखाया गया है?

श्री राममूर्ति—१२३ एकड़ आबपाशी के रकबे में २ एकड़ बंधी के अन्दर का सिंचन का रकबा है और शेष १२१ एकड़ बन्धी के बाहर का गूलों द्वारा सींचा गया रकबा है।

मत्स्य निरीक्षकों व सुपरवाइजरों का चुनाव

३२—श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी) तथा श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी)—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन एवं मत्स्य निदेशालय ने दिनांक ५ जुलाई, १९६२ को मत्स्य निरीक्षक एवं मत्स्य सुपरवाइजरों के चुनाव के लिये कोई साक्षात्कार किया था? यदि हां, तो उस अवसर पर चुनाव में कितने कुल अभ्यर्थी शामिल हुये थे, कितने उम्मीदवार चुने गये तथा उसमें हरिजनों की संख्या क्या थी?

श्री चरणसिंह—पशु पालन एवं मत्स्य निदेशालय में मत्स्य निरीक्षकों एवं मत्स्य सुपरवाइजरों के चुनाव के लिये ४ से ६ जुलाई, १९६२ तक साक्षात्कार किये गये। साक्षात्कार में ८८ अभ्यर्थी सम्मिलित हुये, जिनमें ५१ अभ्यर्थी चुने गये तथा इनमें हरिजन कोई नहीं था।

३३—श्री गिरधारीलाल तथा श्री रामलखन वकील—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पदों के लिये विभाग ने क्या कोई विशेष योग्यता निर्धारित की थी? यदि हां, तो उस योग्यता के कितने उम्मीदवार चुनाव में शामिल हुये थे?

श्री चरणसिंह—जी हां। विशेष योग्यता के ३१ अभ्यर्थी साक्षात्कार में सम्मिलित हुये।

३४—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—[१४वें गुरुवार के लिए प्रश्न ९१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

इटावा जिले में सिंचाई साधनों को बढ़ाना

३५—श्री सुखलाल (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में तीसरी पंचवर्षीय योजना में राम गंगा बांध योजना से नहर व बम्बे खोदने का विचार है और कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी?

श्री राममूर्ति—जी हां, तृतीय पंचवर्षीय योजना में इटावा जिले में रामगंगा योजना के अन्तर्गत ६४ मील के नए बम्बे बनाने प्रस्तावित हैं। आशा की जाती है कि इन बम्बों के पूर्ण होने पर लगभग ५,४५९ एकड़ नवीन क्षेत्र धान की सिंचाई प्रति वर्ष हो सकेगी।

३६—श्री सुखलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा, नहर गंगा, शाखा भोगिनीपुर, अयाना रजवाहा से कोई दूसरा बम्बा निकालने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री राममूर्ति—इस समय अयाना रजबहे से कोई बम्बा निकालने की योजना विचाराधीन नहीं है।

३७—श्री सुखलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा, नहर गंगा, शाखा भोगिनीपुर, तहसील औरैया में रजवहा अटसू को कुलावा नं० १० कुलावा नं० १५ के पास एक माइनर खोदने का सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया था? अगर दिया था, तो क्यों अभी तक माइनर नहीं खोदी गई इसका क्या कारण है?

श्री राममूर्ति—ऐसा कोई आश्वासन किसानों को नहीं दिया गया था फिर भी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रामगंगा जलाशय से पानी प्राप्त होने पर अटसू रजवहा से रूरूआ नाम की माइनर खोदे जाने की योजना है, इस माइनर से कुलावा नं० १० व १५ अटसू रजवहा के क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी।

अमेठी तहसील में नहरें

३८—श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सुल्तानपुर, तहसील अमेठी में कितनी नहरों के बनने की योजना है और कितनी नहरें ऐसी हैं जो काफी अर्से से अधूरी पड़ी हुई हैं?

श्री राममूर्ति—अमेठी तहसील में कुल ८३ मील लम्बी नहरें बनाने की योजना है, जिसमें से ३९ मील लम्बी नहरों का निर्माण हो चुका है और उनसे सिंचाई भी हो रही है। शेष ४४ मील लम्बी नहरों पर भी काम शीघ्र ही पूरा हो जायगा और आशा है कि खरीफ १३७१ फसली से इनसे भी सिंचाई होने लगेगी।

भोगनीपुर तहसील में सिकन्दरा-अकबरपुर सड़क पर बस सर्विस की मांग

३९—श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—क्या परिवहन मंत्री को इस बात की सूचना है, कि जिला कानपुर में भोगनीपुर तहसील में सिकन्दरा-अकबरपुर रोड पर पिछले पांच वर्षों में कभी सरकारी रोडवेज की बसें चली हैं और अब नहीं चल रही हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां।

४०—श्री राजनारायण मिश्र—यदि हां, तो उस समय बसों को चलाने के लिये सरकार के सम्मुख कोई विशेष परिस्थिति थी जो कि इस समय नहीं है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस उपर्युक्त रोड पर जिसकी दशा अब पहले से कहीं अच्छी है पुनः रोडवेज की बसें चलाने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

श्री मुजफ्फर हसन—दिनांक ७—११—१९६० से उक्त मार्ग पर परीक्षात्मक रूप से रोडवेज की बसों का संचालन जनता की मांग पर प्रारम्भ किया गया था। परन्तु एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कानपुर द्वारा इस मार्ग को मोटर चलाने के लिये अयोग्य घोषित कर देने के फलस्वरूप संचालन स्थगित कर देना पड़ा। चूंकि रोड की दशा अब भी वैसी ही है अतः पुनः बस चलाने का प्रश्न नहीं उठता।

सरजू कैनाल

४१—श्री शान्ति चन्द्र शुक्ल—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरजू केनाल को किस स्थान से निकाल कर किस स्थान तक कितनी मील (लम्बी) ले जाने की योजना है?

श्री राममूर्ति—सरजू नहर को जिला बहराइच में नानपारा तहसील के कतरनियां घाट रेलवे स्टेशन से लगभग ४ मील दक्षिण घाघरा नदी के बांये किनारे से निकालने

की योजना है । अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह नहर किस स्थान तक जायगी । सरजू मुख्य नहर की लम्बाई ६९ मील होगी ।

४२—श्री शान्ति चन्द्र शुक्ल—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरजू कैनाल बनाने की प्रगति क्या है ?

श्री राममूर्ति—इस योजना का सर्वेक्षण तथा विस्तृत अनुसंधान हो रहा है ।

परिवहन विभाग के स्टेटिस्टिकल क्लर्क्स

४३—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परिवहन विभाग के भिन्न-भिन्न रीजनों में कितने-कितने पद statistical clerks के स्वीकृत हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—केवल रोडवेज शाखा के आगरा रीजन में दो statistical clerks के पद स्वीकृत हैं ।

४४—श्री हरीशकुमार गंगवार—यदि किसी रीजन में statistical clerks के पद स्वीकृत नहीं हैं, तो क्या उनका कार्य साधारण लिपिकों से लिया जाता है ? यदि हां, तो अधिक महत्व के पद पर कार्य करने के कारण उन्हें कितना अधिक वेतन व अन्य सुविधायें दी जाती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां । रीजन के स्तर पर statistical काम अन्य क्लर्कों के काम से अधिक महत्व का नहीं समझा जाता । अतः इस काम के लिये विशेष योग्यता और अधिक वेतन जरूरी नहीं है ।

बलिया जिले में हुसैनपुर माइनर की खुदाई

४५—श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिला अन्तर्गत हुसेनपुर माइनर की खुदाई का कार्य कब तक सम्पन्न हो जावेगा ?

श्री राममूर्ति—बलिया जिला अन्तर्गत हुसेनपुर माइनर की खुदाई का कार्य रबी १३७० तक पूर्णतः सम्पन्न होने की आशा है ।

४६—श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या यह सत्य है कि इस माइनर की खुदाई में कहीं-कहीं रुकावट भी पड़ रही है ? यदि हां, तो इसके लिये सरकार कौन सी व्यवस्था कर रही है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, इस माइनर की खुदाई में कहीं-कहीं कुछ काश्तकारों द्वारा जिनके खेत माइनर की खुदाई में आ जाते हैं, रुकावटें पैदा की जा रही हैं । जहां तक संभव होता है, काश्तकारों को समझा बुझा कर खुदाई का कार्य किया जा रहा है और आवश्यकतानुसार पुलिस की सहायता भी ली जा रही है ।

४७—श्री रघुनाथ सिंह—[१६ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

गोंडा जिले में सिंचाई कार्यालय के नलकूप पर व्यय तथा गूलों का विस्तार

४८—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में जो सिंचाई विभाग के कार्यालय के प्रांगण में नलकूप लगा है उस पर कितनी पूंजी, लागत लगी है ? इस नलकूप पर प्रति माह कितना खर्चा पड़ता है और उसका उपयोग क्या है ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न का प्रथम भाग — ५२,२७२ रु० ।

प्रश्न का द्वितीय भाग—इस नलकूप पर प्रति माह १५३.७५ रुपये खर्च पड़ता है । यह नलकूप सिंचाई तथा सिंचाई विभाग की कालोनी में पानी सप्लाई करने के लिये बनाया गया है ।

४९—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त नलकूप से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी सिंचाई की गयी और उससे कितना सिंचाई धन प्राप्त हुआ है ?

श्री राममूर्ति—२७० एकड़ क्षेत्र की सिंचाई की गई और सिंचाई से प्राप्त धनराशि २,५२४ रुपये ६० नये पैसे थी ।

५०—श्री शान्ति चन्द्र शुक्ल—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गूल बढ़ाने का लक्ष्य कितना रखा गया था और यह लक्ष्य पूरा हुआ कि नहीं ? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ? यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति—३८ मील ३ फ्लांग ३३० फीट गूल (पक्की नाली) बढ़ाने का लक्ष्य था और यह लक्ष्य पूरा हो चुका है । ब्योरा संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ २१८–२१९ पर)

कृषि विभाग में तृतीय श्रेणी के अस्थायी कर्मचारी

५१—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग में III ग्रुप के कर्मचारी १०–१२ वर्षों की सर्विस के बाद भी आज तक अस्थायी रक्खे गये हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा इस विभाग में कर्मचारियों को स्थायी करने का क्या नियम है ?

श्री चरणसिंह—जी हां । इसका कारण पदों का स्थायी न होना है । इन कर्मचारियों का स्थायीकरण उनकी ज्येष्ठता और चरित्र पंजियों (Character Rolls) के आधार पर किया जाता है ।

बांदा–कालिंजर बस सर्विस में सुधार की आवश्यकता

५२—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार को पता है कि बांदा से कालिंजर को सरकारी बसें चलायी जाती हैं किन्तु बीच में बांधे नदी पर पुल न होने के कारण बरसात में कालिंजर जाना बन्द हो जाता है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां ।

५३—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार को पता है कि कालिंजर से नदी तक आने-जाने का प्रबन्ध वहां की जनता ने कर लिया है किन्तु सरकारी बसें उस पार की सवारियों का इन्तजार नहीं करती और मुसाफिरों के आते ही उन्हें छोड़ कर तुरन्त चल देती हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—कालिंजर से नदी तक आने वाली प्राइवेट गाड़ियों के चलने का निश्चित समय नहीं है जब कि रोडवेज की गाड़ियां निश्चित समय पर छूटती हैं ।

५४—श्री मतोला सिंह—क्या सरकार यह विचार करने को तैयार है कि टाइम टेबुल में कुछ हेर-फेर करके जनता की सुविधा में ध्यान देने को तैयार हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—ऐसा कर दिया गया है ।

उन्नाव में रोडवेज कर्मचारियों का भत्ता

५५—श्री देवदत्त मिश्र—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव के रोडवेज कर्मचारियों का overtime का देय पारिश्रमिक और भत्ता साल भर से क्यों रुका है ?

श्री मुजफ्फर हसन—ऐसा नहीं है । सिर्फ अगस्त, १९६२ के ओवर टाइम भत्ते का भुगतान बाकी है ।

५६—श्री देवदत्त मिश्र—क्या यह सही है कि उन्नाव में अर्धरात्रि के बाद पौने तीन बजे से बाबुओं की ड्यूटी शुरू होती है और दिनांक अपराह्न दो बजे तक उनको काम करना पड़ता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—उन्नाव से पहली बस आधी रात के बाद पौने तीन बजे चलती है इसलिये एक बुकिंग क्लर्क की ड्यूटी २-३० बजे रात से १२-३० बजे दोपहर तक रहती है लेकिन ४-३० बजे से ६-३० बजे तक विश्राम भी मिलता है ।

फर्रुखाबाद जिले में बस सर्विस

५७—श्री दयारामशाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि फर्रुखाबाद नगर में सिटी बसों के ठीक न चलने व जनता को परेशानियां होने की शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उस विषय में क्या व्यवस्था की है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं ।

५८—श्री दयारामशाक्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज स्टैण्ड फतेहगढ़ कचहरी में पूरे साल वाटर बॉय की कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं –

५९—श्री दयारामशाक्य—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद रोडवेज डिपो पर ओवर टाइम का व्यवस्थित रिकार्ड रखा जाता है अथवा नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां, रखा जाता है ।

रिहन्द बांध कूप में मृत किशनलाल के वारिसों को मुआवजा न मिलना

६०—श्री रक्षपालसिंह तथा श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या २६ मई, १९६० ई० को रिहन्द बांध में कुएं में काम करते समय दुर्घटनावश एक मैकेनिक श्री किशनलाल, पुत्र श्री मोतीसिंह, निवासी कासगंज, जिला एटा की मृत्यु हो गई तथा उसके मुआविजे में सरकार ने ४,००० रु० (चार हजार रुपया) उनके उत्तराधिकारियों को देने का आदेश दिया ? यदि हां, तो वह मुआविजे का रुपया उनके उत्तराधिकारियों को अब तक क्यों नहीं दिया गया तथा कब तक दिया जा सकेगा ?

श्री राममूर्ति—जी हां । श्री किशनलाल की मृत्यु वर्णित स्थिति में २६-५-६० को हो गयी । इस सम्बन्ध में मुआवजा दिये जाने के कोई आदेश सरकार ने नहीं दिये हैं । अतः उस के भुगतान का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

बाह तहसील के नलकूप

६१—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि आगरा जनपद की बाह तहसील में बने ५५ ट्यूबवेल बेकार पड़े हैं, जिनकी नालियों के कारण पुराने सिंचाई साधन भी बेकार हो गये हैं और किसानों को अपने खेतों को सींचने का कोई साधन नहीं रह गया है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है तथा कब तक ये नलकूप ठीक हो जायेंगे ?

श्री राममूर्ति—आगरा जिला की बाह तहसील में ५५ ट्यूबवेल बेकार नहीं पड़े हैं इनमें से केवल एक नलकूप फेल हो जाने के कारण बंद है शेष ५४ नलकूप इस खरीफ में ११-६-६२ तक सही हालत में सिंचाई करते रहे और इनकी गूलें भी ठीक तौर पर चालू रहीं ।

१२-६-६२ से आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के ट्रांसफार्मर के खराब हो जाने के कारण बिजली न आने से नलकूप ७-८-६२ तक बंद रहे। विद्युत विभाग तथा आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के भरसक प्रयत्न करने के बाद बिजली की खराबी ८-८-६२ को दूर की जा सकी और तब से यदा कदा त्रुटि के सिवाय बराबर बिजली मिल रही है और नलकूप सही हालत में काम कर रहे हैं।

६२-६३—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—[१६ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

परगना खेड़ा-बझेड़ा में नाले पर पुलिया की आवश्यकता

६४—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार को यह मालूम है कि शाहजहांपुर जिले की तिलहर तहसील के परगना खेड़ा-बझेड़ा में एक नाला रामगंगा से निकलता हुआ कन्हानी सिमरा गौरिया, परिउना व धसी कल्यानपुर होता हुआ जाता है। और बरो प्रसिद्धपुर आदि ५ ग्राम नाला के पार है वह हर वर्ष सैलाब आने पर बिलकुल टापू समान हो जाते हैं जिससे वहां के निवासियों को बड़ी परेशानी रहती है ?

श्री राममूर्ति—जी हां। एक प्राकृतिक नाला रामगंगा से गोटिया ग्राम के ऊपर से निकल कर सिमरा, परियोना, अमरी घासी इत्यादि ग्राम के उत्तर पश्चिम में राम गंगा में गिरता है इस नाले और रामगंगा के बीच खादर में प्रसिद्धपुर और अन्य बहुत से ग्राम स्थित हैं। अधिक बाढ़ के समय में वे रामगंगा और इस नाले के पानी से बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं जिसके कारण यातायात की परेशानी अवश्य होती है।

६५—श्री सुरेन्द्रविक्रम—यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाला पर पुलिया बनाने की या जब तक पुलिया न बन सके एक नाव का प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—उक्त नाले पर जिलाधीश द्वारा प्राइवेट बोट का प्रबंध आवश्यकतानुसार किया ही जाता है जिससे यातायात की विशेष कठिनाई नहीं होती है।

निघासन ब्लाक में नलकूपों पर व्यय

६६—श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जिला खीरी के अन्तर्गत निघासन ब्लाक में कितने नलकूप बनवाये गये और उन पर कितना व्यय हुआ ?

श्री राममूर्ति—केवल ४ नलकूप बनाए गए हैं। इनके निर्माण का व्यय १,५५,०५९.४४ रु० है।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक विशेषाधिकार का प्रश्न आया है उसको मैंने अभी देखा नहीं है, वह माननीय मैनेजर सिंह और माननीय केशरीप्रसाद जी का है, देख कर मैं उसके बारे में बता दूंगा।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—मैंने वह काफी समय पहले दिया था, आश्चर्य है कि आप उसे नहीं देख पाये। मेरा यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वह वस्तुतः माननीय मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध है, उन्होंने जिस प्रकार का व्यवहार आप के प्रति किया, भातखंडे संगीत समारोह में—तो श्रीमन्, कब इसके विषय में निर्णय देंगे ?

श्री अध्यक्ष—आज देख लूंगा। कल बता दूंगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री रामसुन्दर पांडेय जी का था उसको मैंने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया क्योंकि यही प्रश्न माननीय दीपनारायणसिंह का ३ अक्तूबर को आ रहा है तो सारी सूचनायें उस संबंध में सदन को मिल जायेंगी। यह इस प्रकार है :—

"प्रदेश में लगभग ३० हजार राज्य कर्मचारी ५८ वर्ष से ५५ वर्ष की उम्र की अवधि कर देने के कारण दिसम्बर, सन् १९६१ में सरकारी सेवाओं से मुक्त किये गये। किन्तु उनमें से अधिकांश राज्य कर्मचारियों को दिसम्बर, १९६१ का वेतन प्रावीडेंट फंड तथा शेष उम्र की पेंशन देने की कार्यवाही अब तक सरकार द्वारा नहीं की जा सकी है . . . ."

मैंने इसको सम्प्रति स्वीकार नहीं किया है क्योंकि इसी संबंध में ३ अक्तूबर को प्रश्न आ रहे हैं।

नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय नरसिंहनारायण की एक सूचना आयी है जिस पर अभी मैंने निर्णय नहीं दिया है, मैं उसे देखना चाहूंगा। पहले रामसुन्दर पांडेय जी का प्रश्न उसी संबंध में था जो मैंने अभी पढ़ कर सुनाया है। तो यह भी उसी दिन आ जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, यह सवाल बड़े महत्व का है, ३०,००० कर्मचारियों से संबंधित है। अगर आप इसको वैसे स्वीकार नहीं करते तो दफा ५२ में स्वीकार कर लें जिससे सरकार उत्तर दे सके क्योंकि तारांकित प्रश्न में पूरा उत्तर नहीं मिल पाता है।

श्री अध्यक्ष—वह तो मेरे अधिकार की बात है। अगर नहीं मिलेगा, मुझे संतोष नहीं होगा तो उसकी व्यवस्था कर दूंगा, नियम ५०–५२ सब आपको खुले हैं।

इस पर जितने प्रश्न हैं उनको स्वीकार नहीं किया। माननीय नरसिंहनारायण जी का रिजर्व रखा है, वह महत्वपूर्ण है, उस पर विचार करूंगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—३ अक्तूबर के बहुत ज्यादा दिन हैं, उस दिन तो असेम्बली भी नहीं है। फिर १०, १५ दिन के लिये यह प्रश्न चला जायगा।

श्री अध्यक्ष—प्रोग्राम के अनुसार ३ अक्तूबर को असेम्बली है। इस समय मैं उसे अस्वीकार करता हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—श्रीमन्, २० तारीख को नियम ५२ का एक प्रस्ताव दिया था उस पर राजस्व मंत्री ने कहा था कि एक सप्ताह में भाषण देंगे। मथुरा जिले से जो सूचना आ रही है उससे पता चलता है कि वहां गर्की हो रही है।

श्री अध्यक्ष—तो परसों आ जायगा।

श्री राधेश्याम शर्मा—साथ-साथ सिंचाई मंत्री भी रहें क्योंकि मथुरा जिले की हालत पूर्वी जिलों से ज्यादा खराब है।

श्री अध्यक्ष—आपको पूरी सूचना मिल जायगी।

जिला मैनपुरी के शिकोहाबाद कस्बे में हुई हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—जिला मैनपुरी के शिकोहाबाद कस्बे में १० सितम्बर, १९६२ से हुई हड़ताल के संबंध में गृह उपमंत्री का वक्तव्य होगा।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—अध्यक्ष महोदय, जिस घटना की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है उसका विवरण इस प्रकार है :—

"९ सितम्बर, १९६२ को शाम को लगभग सवा सात बजे कुछ बच्चे जिनमें रामगोपाल विद्यार्थी पालीवाल इंटर कालेज का भी था, एक बिजली के खंभे पर कुछ पत्थर फेंक रहे थे। उधर से एक जीप पर पुलिस इंस्पेक्टर निकले और एक पत्थर उन्हें भी लगा। इंस्पेक्टर ने गाड़ी रोकी और रामगोपाल व सुरजीत सिंह को गाड़ी में बैठाकर उनके अभिभावकों के पास ले चले। जैसे जीप चली रामगोपाल डर के कारण उसमें से कूद गये और उसके सर और कमर में चोटें आईं। लड़के को इंस्पेक्टर तुरन्त ही अस्पताल ले गये जहां उसका उपचार हुआ और बाद में अपनी माता तथा अन्य संबंधियों को सुपुर्द कर दिया गया जो वहां पहुंच गये थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि १० सितम्बर की सुबह लड़के की हालत खराब हो गयी और वह इलाज के लिये सरकारी अस्पताल में भर्ती हुआ। १२ सितम्बर को इस बात की अफवाह फैल गई कि लड़के का देहान्त हो गया। इस पर नारायण कालिज के विद्यार्थी जो पहले से ही फीसों के बढ़ जाने के कारण आन्दोलन कर रहे थे उन्होंने इस अवसर का लाभ उठा कर प्रदर्शन किया। वह एक जुलूस के रूप में पालीवाल इंटर कालिज गये जहां से कुछ और विद्यार्थी भी उनके साथ सम्मिलित हुए। वह ए० के० कालिज भी गये परन्तु वहां से कोई जुलूस में सम्मिलित नहीं हुआ। इसके पश्चात् शिकोहाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचे और नारे लगाते रहे। तुरन्त ही हाकिम परगना और डी० एस० पी० ने लड़के के देहान्त की अफवाह का खंडन किया और यह कहा कि लड़के की हालत ठीक हो रही है। परन्तु इसका असर विद्यार्थियों पर नहीं हुआ। जिलाधीश ने, जो वहां पहले से उपस्थित थे, एक मीटिंग शिकोहाबाद की शैक्षिक संस्थाओं के प्रधान अध्यापकों की बुलाई और उनसे विद्यार्थियों को रोकने का निवेदन किया गया। वह प्रदर्शन स्थल पर भी गये और वहां प्रदर्शन के नेताओं से बात भी की। श्री कामेश्वरप्रसाद, सेक्रेटरी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और कुछ अन्य लोगों ने जिलाधीश से भेंट की और इंस्पेक्टर की तुरन्त ही निलंबित करने की मांग की। इस आश्वासन के बावजूद कि इस मामले की जांच सीनियर पुलिस अफसर को सौंप दी गई है और उनसे तुरन्त ही कार्यवाही करने को कहा गया है, ये लोग आश्वस्त नहीं हुए। यह भी पता चला कि वह दूसरे दिन हड़ताल करवाना चाहते हैं। दूसरे दिन आश्वासन देने पर बाजार में लगभग ८० प्रतिशत दुकानें खुली रहीं और हड़ताल नहीं हो सकी।

पांच व्यक्ति, जो जबरदस्ती हड़ताल करा रहे थे, पकड़े गये परन्तु बाद में छोड़ दिये गये, स्थिति वहां सामान्य है। जिस लड़के को चोट लगी थी उसकी दशा सुधर जाने के कारण उसको अस्पताल से १९-९-६२ को डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब उसकी हालत ठीक है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—इसमें मुझे बड़ा दुख हुआ है कि माननीय मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है....।

श्री अध्यक्ष—मेरी बात आप सुन लें। आपकी मुझसे बातचीत हो चुकी। जो आप चाहते थे वह कर दिया गया। अब आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्रश्न के रूप में दे दीजिये उसका जवाब दे दिया जायगा। इस समय प्रश्न नहीं हो सकते।

श्री बलवान सिंह—एक लड़का जिसका माथा फट गया....।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं। आपका आग्रह था कि अगर नियम ५२ में नहीं लेते हैं तो वक्तव्य दिला दिया जाय। वक्तव्य दिला दिया गया। अब प्रश्न नहीं किये जा सकते।

नियम ५२ के अन्तर्गत दिये गये प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत जौनपुर की स्थिति के संबंध में प्रस्ताव दिया था....।

श्री अध्यक्ष—वह डिसएलाऊ हो चुका है । आप मेरे कमरे में आ कर देख लें । मैंने आदेश लिखा दिया है । वहीं आपसे डिसकस भी कर लूंगा ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—आदेश क्या लिखा है वह तो मुझे मालूम होना चाहिये । बाढ़ का मसला कमरे में कैसे डिसकस होगा ?

श्री अध्यक्ष—यहां भी नहीं होगा जब डिसएलाऊ कर दिया है ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—वह बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये । उसे कमरे में डिसकस कर लेंगे ।

* उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६२—(क्रमागत) †

श्री अध्यक्ष—समाज कल्याण मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६२ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय । इस पर रामसुन्दर पांडेय जी बोल रहे थे और वे अब अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से निवेदन कर रहा था कि जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट की धारा १५४ के अन्तर्गत १२ १/२ एकड़ से अधिक जमीन खरीदने की मनाही की गई थी । अब उस पर जो यह संशोधन विधेयक है, यह अधिकार देता है कोआपरेटिव सोसाइटी और उद्योग धन्धों के नाम पर साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा खेत खरीदने के लिये । अभी ज्यादा दिन उस विधेयक को स्वीकार किये नहीं हुये । मेरा खयाल है कि माननीय चौधरी चरणसिंह माल मंत्री थे और माननीय सम्पूर्णानन्द जी मुख्य मंत्री थे । उन्हीं के काल में ३० एकड़ से घटा कर १२ १/२ एकड़ इस माननीय सदन ने स्वीकार किया था । मैं जानना चाहता हूं कि खेती बारी के बारे में, किसानों को जमीन देने के बारे में सरकार की क्या नीति है ? वही मंत्रिमंडल है, वही मंत्री मौजूद हैं, वही कांग्रेस की सरकार है । हर ४ महीने ६ महीने, साल, दो साल, चार साल में एक ही धारा में आगे पीछे चलने की बात सरकार की ओर से नहीं होनी चाहिये । पहले आपका फैसला था कि ३० एकड़ से ज्यादा नहीं खरीदेंगे । उसके बाद यह हुआ कि साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा नहीं खरीदेंगे और अब यह हो रहा है कि साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा खरीद सकते हैं । मैं समझता हूं कि इस सरकार के ऊपर सहकारिता के आधार पर खेती बारी करने का कांग्रेस का जो फैसला था, इस देश के बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू का असर, उधर के बैठने वालों का असर, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोगों का असर, सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, जो सहकारिता के सम्बन्ध में सरकार की नीति का समर्थन करती रही है फिर भी मेरा इस सरकार पर यह चार्ज है कि इसका दिमाग सहकारिता की ओर न होने के कारण ही माननीय राघवेन्द्रप्रताप सिंह जी और जनसंघ के नेताओं की जीत सरकार के मुकाबले में हुई है । यहां माननीय राघवेन्द्रप्रताप जी बैठे हुए हैं । इन लोगों ने सदा कहा कि आपकी कोआपरेटिव सोसायटी के नाम पर लोगों के खेत छीनने की जो साजिश है वह खराब है । हम सब लोगों ने कहा था कि उनका यह कहना गलत है । लेकिन इस संशोधन विधेयक के जरिये सरकार उन्हीं बातों का समर्थन करने जा रही है जिन बातों को श्री राघवेन्द्रप्रताप चाहते थे, यानी कोआपरेटिव के नाम पर जमीन ज्यादा देना । एक तरफ तो जमीन छीन करके भूमिहीनों को बांटने की बात है और दूसरी तरफ कोआपरेटिव के नाम पर लालच देकर माननीय राघवेन्द्रप्रताप ऐसे व्यक्तियों की जमीन को पूरे खान्दान की कोआपरेटिव बना कर और जमीन लेने का अधिकार साजिश कर के सरकार दे रही है । किन की जमीन कोआपरेटिव के नाम पर माननीय राघवेन्द्रप्रताप जैसे लोग खरीदेंगे ? जो लोग गरीब हैं उन्हीं की जमीन खरीदेंगे ।

---

* २१ सितम्बर, १९६२ की कार्यवाही में छपा है ।

† २४ सितम्बर, १९६२ की कार्यवाही से ।

श्रीमन्, इसी सदन में जब गलत इन्दराज के सम्बन्ध में माननीय चौधरी चरणसिंह जी संशोधन विधेयक लाये थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि निर्धन व्यक्तियों के लिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है ताकि उन लोगों को राहत मिल सके। वही निर्धन और गरीब किसान जिन्हें पेट भर खाना नहीं मिलता अब सहकारिता के नाम पर अपने खेत बेचने के लिये मजबूर होंगे। मैं साफ कहना चाहता हूं कि सरकार प्रतिगामी है। कहती दूसरी बात है और करती दूसरी बात है। श्रीमन्, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यह लोग अपने को गांधी जी का वारिस कहते हैं और साफ कहते हैं कि हम लोग सही माने में गांधी जी के वारिस हैं। आपको मालूम होगा कि जमींदारी उन्मूलन आन्दोलन शुरू नहीं हुआ था कि एक बहुत बड़े विद्वान गांधी जी से मिले। उन्होंने पूछा कि गांधी जी बताइये कि अंग्रेजों के जाने के बाद जमीन के बारे में सरकार का क्या रवैया होगा, आप क्या निर्णय करेंगे ? गांधी जी ने उस समय कहा था कि जमीन का जोतने वाला किसान जमीन का मालिक होगा। इस पर उन्होंने पूछा कि जमींदारों को बिना मुआवजा दिये जमीन किसानों को दिला देंगे। इस पर गांधी जी ने कहा कि किसान जमीन पर कब्जा कर लेंगे और मुआवजा देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन क्या हुआ ? मैं पूछना चाहता हूं कि आप गांधी जी के वारिस बनते हुये इस तरह का संशोधन विधेयक लाकर किसान को कौन-सा हक दे रहे हैं ? छोटे-छोटे किसान जो हमारे वहां करोड़ों की तादाद में हैं, ५ एकड़ को जोतने वाले किसान ८० प्रतिशत हैं उनके खेत निकल जायेंगे और मिलेंगे किस को ? उनको मिलेंगे जो गांव में बड़े-बड़े किसान लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वह उनके गाढ़े समय में पैसा देकर उनकी जमीन ले लेंगे और कोआपरेटिव के नाम पर बड़े-बड़े फार्म बनेंगे।

श्रीमन्, दूसरी तरफ कहा गया है कि उद्योग धंधों को चलाने के लिये उद्योगपतियों को जमीन खरीदने का इसमें अधिकार है। मैंने तो उद्योगपति कहा था लेकिन माननीय दीपनारायण जी ने टाटा, बिड़ला का नाम ले लिया जिससे मंत्री जी के दिमाग में जो सारी खुराफात थी वह मेरे ऊपर आ गई। हम उनकी बात नहीं करते। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं उसको जरा ठंडे दिल से सोचिये। मैं कहना चाहता हूं कि जमीन आप किसानों की लेते हैं और उद्योगपतियों को देना चाहते हैं।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, हमारा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने कहा कि जितनी खुराफात माननीय मंत्री जी के दिमाग में थी वह हम पर उड़ेल दी, तो यह श्रीमन्, अनपार्लियामेंटरी लैंगुएज है।

श्री अध्यक्ष—यह बहुत अनुचित है। असंसदीय न भी हो, अशोभनीय जरूर है। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, जमीन किसानों की ली जाती है और मिल मालिकों को उद्योग स्थापित करने के लिये दी जाती है। ऐसा क्यों नहीं करते कि जिन गांवों के किसानों की जमीन लेते हैं उनको ही मिलाकर उनके द्वारा उद्योग धंधे क्यों नहीं चलवाते। मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि कानपुर में सरदार इन्द्रसिंह को १५० एकड़ जमीन सरकार ने दी है लोहे और बंगन के कारखाने के लिये। इसी तरह से लाला रामरतन गुप्त को १०० बीघा जमीन मिली है और सिंहानिया जी को ५०० एकड़ जमीन मिली है.....

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि.....

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, क्या मैं बैठ जाऊं ?

श्री अध्यक्ष—अगर आप उनको सुनना चाहते हों तो बैठ जाइये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मैं नहीं सुनना चाहता। कल इन्होंने ही रास्ता दिखाया।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

श्रीमन्, जब सरकार ने इन्द्रसिंह को १५० एकड़ जमीन और ७५ लाख रुपया दिया, बैंगन और लोहे का कारखाना खोलने के लिये, लाला रामरतन को १०० बीघा जमीन और ४५ लाख रुपया और सिंहानिया साहब को ५०० एकड़ जमीन और ९० लाख रुपया दिया, तो मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जिस प्रकार आप किसानों की जमीन लेकर मिल मालिकों को दे रहे हैं, साथ-साथ रुपया भी दे रहे हैं किसानों में भी अक्लमंद हैं, उनको भी सहायता देने वाले मिल सकते हैं, तो अगर कारोबार चलायें तो उसी गांव में चलायें ।

श्री अध्यक्ष—रामसुन्दर जी, जो आप मिल मालिकों की मिसाल दे रहे हैं यह तो शहरों की जमीनें हैं । लेकिन यहां प्रश्न यह है कि रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज को कैसे इनकरेज किया जाय और रूरल एरियाज में किसी इंडस्ट्री को देंगे तो साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा देना पड़ेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं यह कह रहा हूं कि गांव की उसी जमीन पर उसी गांव में, उसी गांव वाले उद्योग धंधा चलायें । जमीन शहर में भी वह ले सकते हैं, देहात में भी ले सकते हैं, कहीं भी उद्योग धंधा चला सकते हैं । कोई ऐसा प्राविजन नहीं है कि देहात में नहीं चला सकते हैं । मेरा जो सुझाव है उससे जिस किसान का खेत निकल जायगा उसको राहत मिलेगी और लाखों परिवारों की गुजर हो सकेगी ।

माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह भी कहा कि इधर वाले लोग सुझाव नहीं देते और विधेयक को पढ़ते नहीं । माननीय मुरलीधर जी ने पढ़ा है और सुझाव दिया है । बात सही है । माननीय मुरलीधर का सुझाव माननीय राजस्व मंत्री को पसन्द हो सकता है । लेकिन माननीय कमलासिंह का पसन्द नहीं हो सकता ।

श्री हुकुमसिंह बिसेन—पसन्द की बात तो मैंने नहीं कही थी ।

श्री, रामसुन्दर पांडेय—माननीय कमलासिंह काबिल आदमी हैं । श्री माधोप्रसाद त्रिपठी, आप स्वीकार करेंगे कि काबिल हैं । हम अपने लिये मान लेते हैं कि हम तो अपढ़ आदमी हैं लेकिन माननीय कमलासिंह यादव और श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी का सुझाव भी सरकार नहीं मानती अगर मैं यह कहूं तो मुझे माफ किया जायगा कि माननीय कमलासिंह यादव और माननीय माधोप्रसाद जी जिस प्रकार अपनी अक्लमंदी का इजहार करते हैं अगर माननीय मंत्री जी उस कुर्सी को छोड़ कर अक्लमंदी का इजहार करें तो शायद उससे ज्यादा अक्लमंदी का इजहार न कर सकें । इस प्रकार विरोधियों की योग्यता पर आक्षेप करना अनुचित है और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने दिल में इतना ध्यान तो रखिये कि विरोधी दल के लोग भी अच्छे सुझाव दे सकते हैं। आपका विचार, आपकी कांग्रेस पार्टी का विचार वह नहीं है जो इस तरफ के लोग चाहते हैं । आपका रवैया यह है कि एक बार ३० एकड़, फिर साढ़े १२ एकड़ और तीसरी बार फिर संशोधन आ गया कि साढ़े १२ एकड़ की सीमा नहीं मानी जायगी । सहकारिता के नाम पर या औद्योगीकरण के नाम पर अधिक से अधिक कितनी जमीन मिलेगी, इसका विधेयक में कहीं प्राविजन नहीं है । कहीं आप कह देते हैं कि २० एकड़ या ४० एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं मिलेगी । अगर कोई कारखाना खोलना चाहता है तो उसके लिए जमीन, मजदूरों के क्वार्टर बनाने के लिये जमीन चाहता है तो उसके लिये जमीन ले लें । आप जानते हैं कि एक दिन माननीय रामचन्द्र विकल जी ने इसी हाउस में कहा था कि मोदीनगर को इस सरकार ने जमीन दी है और वह उस जमीन पर फार्म बनाकर खेती कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यही आपके इस संशोधन विधेयक का इरादा है? क्या यह इरादा है कि गरीब लोगों की खेती छीनकर के उनको लालच देकर के बड़े-बड़े मिल मालिकों को वह जमीन बिलायें और वह उन पर खेती बाड़ी करें? अगर यह इरादा है तो यह बिलकुल साफ है। लेकिन अगर यह नहीं है तो इस संशोधन विधेयक में उसकी सफाई होनी चाहिये जो कि नहीं है। इसीलिये इसको प्रवर समिति में जाना चाहिये।

श्रीमन्, इस विधेयक में यह भी प्राविजन करने की आवश्यकता थी कि गाँव का कोई व्यक्ति अगर कोआपरेटिव के नाम पर या उद्योग धंधे के नाम पर उस गाँव की जमीन लेना चाहता है तो उसी को प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन इस विधेयक में इसकी कोई चर्चा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कानपुर का रहने वाला कोई आदमी आपके गाँव में गोसाईंगंज में जाय, वहाँ कोई गरीब आदमी अपनी जमीन बेचने वाला हो और गाँव का आदमी उसे १०० रुपये बीघे दे रहा हो, लेकिन कानपुर का मिल मालिक कहे कि हम २ हजार रुपया बीघे देंगे तो कौन उस जमीन को खरीदेगा? गाँव का रहने वाला तो फिर वह जमीन नहीं खरीद सकेगा। लेकिन अगर गाँव का रहने वाला कोई उद्योग धन्धा खोलेगा तो वह अपने गाँव की सही माने में भलाई कर सकेगा। इसलिये उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिये। लेकिन उसको प्राथमिकता देने का कोई प्राविजन इस विधेयक में नहीं है।

एक और प्राविजन इसमें होना चाहिये था। अच्छी-अच्छी जमीन श्रीमन्, मिल मालिकों को दे दी जाती है। मेरा सुझाव है कि उन स्थानों पर जो उद्योग धंधे चलाये जायं उसके लिये जो ऊसर जमीन पड़ी हो वह उनको दी जाय.....

(व्यवधान)

श्री एस० जी० दत्त—व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, सेलेक्ट कमेटी के लिये इनका अमेंडमेंट है, तो उसकी बात वह करें। यह जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं यह नहीं होनी चाहिये। जो बातें कही गई हैं उनका जवाब देना चाहिये कि क्यों सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—देखिये, व्यवस्था तो मुझे देनी है। अब जिस वक्त बहस हो रही थी उस वक्त मैं तो था नहीं लेकिन मैं समझता हूं, माननीय रामसुन्दर जी, जो यहाँ बहस हुई है उसी का उत्तर दे रहे हैं। अगर वह उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि वह अपने को उसी तक सीमित रखें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—बिल्कुल उसी का उत्तर दे रहा हूं। मैंने एक-एक बात नोट कर रखी है जो माननीय राजस्व मन्त्री ने कही है। जो माननीय सदस्य जिन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, वह सुनते नहीं हैं.....

(व्यवधान)

श्री एस० जी० दत्त—आप जो इधर-उधर की बात कह रहे हैं....

श्री अध्यक्ष—देखिये माननीय दत्त जी, आप उनसे नहीं कह सकते हैं, मुझसे कह सकते हैं।

श्री एस० जी० दत्त—मैं आप ही से कह रहा हूं। उनसे नहीं कह रहा हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, आपसे एक और निवेदन करूंगा कि कल माननीय कमलासिंह जी ने आपके जरिये इस बिल को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में ज्ञापन की माँग की थी और माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने इनकार किया था कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप १९५४ की कार्यवाही मंगाकर देख लें। जमींदारी एबालिशन की धारा ३१ में चौधरी चरणसिंह ने जब संशोधन प्रस्तुत किया था तो राजा वीरेन्द्र शाह जो उस समय इस सदन के सदस्य थे और इन कुर्सियों पर बैठे थे उन्होंने सवाल उठाया था कि माननीय राजस्व मन्त्री किस आधार पर यह संशोधन विधेयक लाये हैं जिससे गलत इन्दराज को प्रदेश में दुरुस्त कराना चाहते हैं। दूसरे दिन श्रीमन्, सारे हाउस में चौधरी चरणसिंह ने वितरित किया था कि यह माननीय रामसुन्दर पांडेय, माननीय राजनारायण और इन-इन लोगों ने हमको लिखा था और गाँव के लोगों की दरख्वास्तें वितरित कीं जिसमें उन्होंने इसकी माँग की थी।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]
इस प्रकार उन्होंने कहा था कि लाखों किसानों की माँग है कि जमींदारी एबालिशन की इस धारा में परिवर्तन किया जाय। मैं राजस्व मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वह साफ बतलायें कि पूंजीपतियों में और कोआपरेटिव सोसाइटी का काम करने वालों में वे कौन-कौन से व्यक्ति हैं इस प्रदेश में जिन्होंने आपसे माँग की है कि अगर सरकार इस तरह से इस कानून के अन्दर १५४ में संशोधन कर दे तो वे सब लोग सहकारिता के आधार पर खेती करने को तैयार हैं या सहकारी आधार पर उद्योग चलायेंगे? मैं चाहता हूं इसकी डिटेल सदन के सामने आ जाय।

मैं ज्यादा समय सदन का नहीं लेना चाहता हूं, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। वह यह है कि आपको शायद याद होगा कि ५३–५४ में माननीय राजस्व मन्त्री जिस वक्त इस सरकार के सम्मानित सदस्य थे.....

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—मैं एक बात निवेदन कर दूं। कल हम लोगों ने १३१ की तरफ श्रीमान् जी का ध्यान दिलाया था.....

श्री अध्यक्ष—अब उनको खत्म कर लेने दीजिये तब आप कहियेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय होरीलाल जी यादव यहाँ पर बैठे हुए हैं, वे जानते हैं कि पश्चिमी जिलों में सरकार ने यकायक सिंचाई का रेट बढ़ाने के लिये कानून पास कर दिया था और आपको यह भी याद होगा कि उस समय हमारी पार्टी के करीब ५, ६ हजार लोग जेल गये थे। माननीय गुप्त जी उस समय नियोजन मन्त्री थे। उस समय लोग जेल गये। मैं आपको यह भी बतला दूं कि सम्मानित वकील की सलाह से हमारी पार्टी के नेता ने हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल किया था। उस समय न्यायाधीशों ने फैसला दिया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो यह कानून लाई है यह उत्तर प्रदेश की जनता पर बिल्कुल अन्याय है और दूसरे न्यायाधीश ने यह राय दी कि इस प्रदेश के हरएक नागरिक को पूरा अधिकार है कर के सम्बन्ध में अपनी राय देने का और लोगों को समझाने का। तीसरे न्यायाधीश ने यह राय दी कि सरकार ने इन बन्दियों को जेलखाने में रखकर इनके अधिकार को छीना है और वकीलों के लिये पैसा खर्च करने को मजबूर किया है। इसलिये सरकार की ओर से ५०० रुपये इनके वकीलों को मिलना चाहिये। आप जानते हैं कि हजारों दावे सरकार के ऊपर होते रहते हैं और सरकारी कर्मचारी करते रहते हैं। मैं श्रीमन्, यह भी निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—आप बिल पर बोलिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं उसी का जवाब दे रहा हूं जो उन्होंने अपने भाषण में कहा है। मन्त्री जी ने कहा कि कोई सुझाव दिया जाय। रामसुन्दर पांडेय सुझाव नहीं जानते मैं इसको कबूल करने के लिये तैयार हूं लेकिन कमलासिंह जी यादव ने सुझाव दिया, माननीय माधोप्रसाद जी त्रिपाठी ने सुझाव दिये हैं, भीखालाल जी ने सुझाव दिये हैं तो उनके सुझावों को आप क्यों नहीं मानते? उन सुझावों को आप नहीं मानेंगे। जो सुझाव मुरलीधर जी कुरील देंगे उनको आप मानेंगे। जो सरकार की नीति के अनुसार संशोधन होता है उसको वह मानने के लिये तैयार हो जाती है।

यह जो बिल है यह खिचड़ी है। इसमें ५ विधेयक शामिल किये गये हैं। ५ विधेयकों में संशोधन है। मैं तो सिर्फ यह चाहता हूं कि ५ बिलों के स्थान पर ७ बिल हो जायं तो कोई हर्ज नहीं होगा। परिधि बढ़ाकर आप ५ के ७ कर दीजिये कोई हर्ज नहीं है। यह सरकार एक धारा के अन्दर संशोधन कर रही है तो उसके स्थान पर दो धाराओं में संशोधन कर दें। फैमिन कोड जो अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है और आपत्कालीन जो राहत देने की सरकार बात करती है उसके लिये इसमें संशोधन करने की कोई बात नहीं है। जब यह सरकार

लैण्डएक्सटैन्शन की बात को जोड़ती है और अपने प्रदेश में मुआविजे की दर को कम करने की बात सोचती है तो किसानों की सहायता के लिए इसमें जोड़ने की बात क्यों नहीं करती है? इस संशोधन विधेयक में उसको जोड़ने में क्या दिक्कत है?

श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि ग्राम समाज आदि के सम्बन्ध में बहुत से सुझाव हो सकते हैं, दिये जा सकते हैं। अगर सरकार सही मानों में चाहती है कि किसान को खेती बारी में मदद मिले और इस सम्बन्ध में उसे न्याय देना चाहती है, कानून उसके हित में बनाना चाहती है, खेत जोतने वाले को उसका मालिक बनाना चाहती है तो इस विधेयक द्वारा ही यह सब बातें पूरी की जा सकती हैं और इस प्रदेश की जनता को राहत दी जा सकती है। इसलिये मैं आप के जरिये माननीय राजस्व मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारा संशोधन स्वीकार करें। दो-चार दिन और ले लें। प्रवर समिति में कोई पार्टीबन्दी की बात नहीं होती है, वहाँ अपने मतभेद भुलाकर किसानों के हित की बात पर विचार किया जा सकता है और उस के बाद इस सदन में प्रस्ताव लायें। उससे किसानों का लाभ होगा और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह विधेयक रखा गया है वह पूरा हो सकेगा। इसलिये अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि सरकार यह संशोधन स्वीकार करे।

*समाज कल्याण मन्त्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझको इस बात की बहुत खुशी है कि राजस्व मन्त्री जी के ऐसा कहने पर कि लोगों ने इस विधेयक को पढ़ा नहीं है, मुझे इस बात का पूरा-पूरा आश्वासन दिला दिया गया है कि हर सदस्य ने इस विधेयक को पढ़ लिया है और इसकी भी खुशी है कि हमारे कई साथी जो हम बिरादर हैं यानी वकील हैं, उन्होंने भी इस पर व्याख्यान दिया है। जब वकीलों के साथ यह बात कि क्या रेलिवेंट है और क्या इर्रेलिवेंट है, क्या की जाय और इसलिये मैं केवल वही बात निवेदन करूंगा जो इस से रेलिवेंट है। दूसरी बातें कि यह विधेयक बन सकता है, इस इस तरह से कानून बना दिया जाय तो बहुत अच्छा हो जाय, आदि की इस वक्त आवश्यकता नहीं है। इस वक्त केवल प्रश्न यह है कि इस विधेयक पर इस सदन में विचार किया जाय या इसको एक प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

प्रवर समिति में भेजने का जहाँ तक सम्बन्ध है, हमारे नियमों में यह नहीं लिखा कि किस हालत में विधेयक प्रवर समिति को भेजना चाहिये। लेकिन पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस यह है कि अगर कोई ऐसा विधेयक हो कि जिस पर यहाँ ठीक तौर से विचार न हो सकता हो और उस में कुछ लोगों के बयानात वगैरह लेने की जरूरत हो तो उसे प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है। प्रवर समिति के सम्बन्ध में हमारे यहाँ नियम २५२ से २६० तक, नियमावली में दिये हुए हैं और उसमें जाने के बाद वह प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट यहाँ पेश करती है। यह बात देखने में जरूर है कि इसमें हम ५ अधिनियमों में संशोधन करने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे और आप सब लोगों ने इसको पढ़ ही लिया है, तो जहाँतक यह चार अधिनियम हैं—जमींदारी विनाश अधिनियम, रामपुर पट्टेदारी अधिनियम, अरबन एरिया जमींदारी अधिनियम और सीलिंग—इन में तो केवल दो चार लफ्ज बढ़ाये गये हैं और जिन माननीय सदस्यों ने इस पर व्याख्यान दिये हैं उन्होंने भी जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की दफा २ और १५४ के सम्बन्ध में कहा है। क्योंकि जो कुछ हम संशोधन दफा ११७ में करने जा रहे हैं वह हम कर चुके हैं, अपने क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम में, उस से उठा कर इसमें केवल रख दिया गया है। अब जिन दो चीजों पर विचार करना है वह एक है दफा २ और एक है दफा १५४। अब धारा २—क का जहाँतक सम्बन्ध है, मैं यह प्रार्थना करूंगा कि उसको वैसे पढ़ें तो सब लोगों ने लिया ही है, मुझे भी इजाजत दी जाय कि उसको पढ़ कर सुना दूं। इसमें यह लिखा हुआ है कि :—

"यदि किसी नदी की क्रिया से उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्र बढ़ जाय तो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम को उक्त क्षेत्र में प्रसारित कर सकती है।"

(२) "राज्य सरकार, उसी या किसी अनुवर्ती विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम में, उक्त क्षेत्र में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव]

इसकी (अधिनियम की) प्रवृत्ति के सम्बन्ध में ऐसा परिष्कार कर सकती है जिसे वह उक्त क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों में आवश्यक समझे :"

श्रीमन्, उसके बाद फिर यह है कि "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस क्षेत्र में अधिनियम के प्रसारण के दिनांक से १ वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उक्त कोई परिष्कार न किया जायगा और न वह दो वर्ष से अधिक से लिये प्रचलित रहेगा"।

श्रीमन्, अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें यह है कि जो जमीन उत्तर प्रदेश राज्य में आ गई है उस पर कोई न कोई कानून तो लागू होना ही चाहिये। इस धारा के द्वारा हम इसे अपने यहाँ शामिल नहीं करते हैं। वह चीज तो अलग है। जब एक सीमा हमारी कायम की गई तो आई हुई जमीन पर कोई न कोई कानून लागू होगा ही।

श्री अध्यक्ष—मौजूदा कानून के अनुसार कोई जमीन आ जाय।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इसलिये कानून का लागू होना आवश्यक है। जो हमने ऐक्ट पास किया था उससे जो जमीन थी उसके ऊपर लागू होता है। आप देखें कि यह एक विज्ञप्ति द्वारा जारी हो जायगा। जो काश्तकार उसको जोतता है उसका वह क्या करेगा। इसलिये कोई न कोई कानून उसके लिये होना ही चाहिये। हवा में तो वह जमीन टंगी रहेगी नहीं। इसलिये कानून का लागू होना अति आवश्यक है।

श्री कमलासिंह यादव—क्या माननीय मन्त्री जी मेरी एक शंका का समाधान करेंगे कि कौन-सा विधेयक इस पर लागू होगा ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—यह अधिनियम जब हम विज्ञप्ति लगा देंगे तब लागू हो जायगा।

श्री कमलासिंह यादव—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि वह बंगाल वाली धारा इस पर लागू होगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—वह धारा किस बात के लिये लागू होगी। मुख्य चीज यह है कि उत्तर प्रदेश में माना जाय या न माना जाय। उत्तर प्रदेश में मानने के बाद यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, या आगरा टेनेन्सी ऐक्ट उस पर लागू होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कोई न कोई ऐक्ट तो उस पर लागू होगा ही। वह ब्लैन्क तो रहेगा नहीं। इसके द्वारा हम यह कहते हैं कि हम जमींदारी उन्मूलन अधिनियम (१)—५१, को लागू कर देंगे। उन विशेष परिस्थितियों में कुछ संशोधनों की जरूरत है तो हम संशोधन भी कर देंगे . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—यदि मन्त्री जी जरा सुन लें तो मैं कुछ कह दूं। पोजीशन यह है कि जब यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमायें मिलती हैं और बीच में गंगा है, सरजू है या घाघरा है, तो अगर कुछ जमीन उत्तर प्रदेश की तरफ निकल आई तो क्या होगा ? अब रूल यह है कि डीप स्ट्रीम दोनों प्रान्तों को डिवाइड करती है, तो एल्यूवियन और डेल्यूवियन ऐक्ट के द्वारा, अगर कोई जमीन इस तरफ आ जाये तो क्या होगा ? कानून की दृष्टि से वह भाग उत्तर प्रदेश का बन जायगा। अगर रूल एल्यूवियन और डेल्यूवियन है तो जितनी भी भूमि डीप स्ट्रीम के कारण उत्तर प्रदेश की तरफ आ जायेगी वह इस प्रदेश का अंग बन जायेगी। इसलिये एक प्रश्न यह पैदा होता है कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम तो केवल उस भूमि पर लागू होता है जो उत्तर प्रदेश में उस समय थी, न कि नयी जमीन पर। इसलिये यह विज्ञप्ति इस विधेयक द्वारा जारी होगी, और इस पर वह नियम लागू होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं एक जानकारी चाहता था कि जो उत्तर प्रदेश की जमीन उधर चली गयी तो वह उत्तर प्रदेश की मानी जायगी या नहीं. . . .

श्री कमला सिंह यादव—इसका काश्तकार कौन होगा ?

श्री अध्यक्ष—अब मन्त्री जी को बोलने दीजिये। हम तो उसकी बात कर रहे हैं जो इधर आयेगी।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—दूसरी धारा जिस पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये, वह है १५४। इस विधेयक के खंड ८ को अगर आप देखें तो पहली जो धारा १५४ थी उसमें यहाँपर लिखा हुआ था कि किसी भूमिधर को कोई जमीन बेचने का अधिकार नहीं होगा। अगर्चे जो बेचे उसके पास साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा होती हो तो बेच सकता है। अब इस विधेयक द्वारा उस धारा की उपधारा (१) के शुरू में "उपधारा (२) और (३) में की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए" इतना और बढ़ाया है, उसके बाद वही पुरानी धारा है। उपधारा (२) और (३) इस प्रकार हैं—

"(२) भूमिधर किसी भूमि को निर्दिष्ट औद्योगिक प्रयोजन के लिये विक्रय या दान द्वारा किसी भी व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त भूमि का क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल से अधिक न हो जो औद्योगिक प्रयोजन के लिये उक्त व्यक्ति द्वारा अपेक्षित निर्दिष्ट किया जाये।"

उपधारा (३) में यह है कि अगर्चे कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड हो और उसके पास काफी जमीन नहीं है और पब्लिक इंटरेस्ट में आवश्यक है तो वह बेच सकता है। तो ये उपधारायें पूरी तरह से भूमिधर को अधिकार देती हैं। जमीन लेने का कोई प्रश्न नहीं है। उसके नीचे यह है कि अगर्चे कोई कारोबार करना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसके लिये सार्टिफिकेट डायरेक्टर से लेने के बाद जितनी उसको जरूरत हो उतनी जमीन भूमिधर अगर अपनी बेचना चाहे तो बेच सकता है। इसमें कोई एक्वीजीशन की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई बात नहीं है, मुकदमेबाजी की बात नहीं है। एक अधिकार हम देते हैं, उसको भूमिधर इस्तेमाल करे चाहे न करे, उसको पूरा अधिकार है। तो १५४ धारा के द्वारा हम कोई जमीन छीनते नहीं हैं।

उसके बाद यह भी देखना है कि सिवाय माननीय मुरलीधर कुरील के किसी ने कोई संशोधन नहीं दिया था कल तक। आज कुछ संशोधन आये हुए हैं। जहाँ तक परिधि बढ़ाने की बात है तो सेलेक्ट कमेटी में वही विधेयक सुपुर्द किया जाता है, उससे यह नहीं समझा जा सकता या उसका स्कोप यह नहीं हो सकता कि सेलेक्ट कमेटी यह बताये कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में फलाँ-फलाँ संशोधन और कर दिये जायं। या यह कि सीलिंग ऐक्ट में फलाँ-फलाँ संशोधन कर दिये जायं, तो जो संशोधन सेलेक्ट कमेटी के सामने होंगे उन्हीं पर विचार हो सकता है और उसकी परिधि सीमित हो जाती है इस तरह से। ठीक यह होगा कि माननीय सदस्य इसमें हमारे साथ कोआपरेट करें और जो संशोधन वह भेजें उस पर माननीय राजस्व मन्त्री जी विचार कर लें। अभी एक बिल हिन्दू संस्थाओं वाला था जिस पर कि प्रवर समिति में भेजने की माँग की गयी थी, उसको प्रवर समिति में जरूर भेजने की जरूरत थी और हमने उसको प्रवर समिति में भेजा भी और उसने अपनी रिपोर्ट दी। तो जहाँ सरकार जरूरत समझती है प्रवर समिति में भेजने की वहाँ वह भेजती भी है और आगे भी जो विधेयक ऐसे होंगे जिन्हें वहाँ जाना चाहिये, उनको सरकार भेजेगी।

अब जहाँ तक इस विधेयक की इन दो धाराओं का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं जितना विवाद अब तक हो गया है, अगर उतना समय इन धाराओं पर विचार करते समय लगाया गया होता तो ज्यादा अच्छा होता। हमने इन दोनों धाराओं पर अच्छी तरह से विचार कर लिया है और ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय। फिर भी अगर कोई धारा ऐसी है जो अनकान्स्टीट्यूशनल है, तो उस पर हम विचार अभी करेंगे और धारा १५४ में अगर कोई नुक्स है तो उसको निकाल देंगे। उस वजह से यह नहीं होगा कि कुल का कुल विधेयक अवैधानिक करार दे दिया जाय। अतः मैं निवेदन करूंगा कि यह सदन अब इन धाराओं पर

[श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव]
विचार कर लें और जिन्हें उचित न समझा जाय उन्हें निकाल दें और जो संशोधन आवश्यक हों उन्हें कर दिया जाय, लेकिन इसे प्रवर समिति में भेजने की जरूरत नहीं है। इसलिये इस को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६२, जसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जिसे परिधि बढ़ाने का अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६२, पर, जसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

*श्री कमलासिंह यादव---अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम १३१ की तरफ कल भी आपका ध्यान दिलाया था और आज भी दिलाना चाहता हूं कि यह विधेयक जो इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, उसकी धारा ३ में यह दिया हुआ है "यदि किसी नदी की क्रिया से उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्र बढ़ जाय," तो मैं यह जानना चाहता था कि यह कितने क्षेत्र का सवाल है, जिसके लिये यह विधेयक लाया गया है। इसकी जानकारी माननीय मन्त्री जी हमको नहीं कराना चाहते हैं, यह बात समझ में नहीं आती है।

श्री अध्यक्ष---मैंने यह कहा था कि जब इस खंड पर विचार हो तब तक माननीय मन्त्री जी सदन के सामने, यदि उनके पास इस सम्बन्ध में कोई पत्रावली हो अथवा लेखपत्र हों, उनको रख दें। अतः कोई पत्र या लेख, अगर उनके पास हों तो मन्त्री जी सदन की मेज पर रख दें।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---मेरे पास ऐसे कोई कागजात नहीं हैं। नियम १३१ को आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि वे कागजात जिन पर कोई विधेयक आधारित हो, लेकिन ऐसे कोई कागजात नहीं हैं जिनके ऊपर यह विधेयक आधारित किया गया हो। इसके किसी भी खंड को देखा जाय तो यही मालूम होगा कि ऐसी किसी भी पत्रावली की आवश्यकता इसमें नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव---श्रीमन्, इसकी जानकारी प्राप्त करने का हमें अधिकार है। विधेयक यह है कि जितनी जमीन दूसरे राज्य की कट कर आ रही है, उसके लिये यह विधेयक बनाया जा रहा है लेकिन हमारी जमीन जो कट कर दूसरे राज्य में गयी है उसके लिये कोई विधेयक नहीं आ रहा है तो इस वक्त हम लोगों का यह जानना जरूरी है कि कितनी भूमि हमारी कट कर दूसरे राज्य में गयी है और इस प्रदेश में दूसरे राज्य की कितनी भूमि कट आयी है। जब तक हम लोगों को यह न मालूम हो---हो सकता है कि हमारी बहुत-सी जमीन दूसरे राज्य में चली गयी हो और उस राज्य की जो जमीन आ गई हो वह बहुत कम मात्रा में हो। ऐसी हालत में इस विधेयक के पास करने से हमारे राज्य का बहुत नुकसान होगा और यहां के जो नागरिक व काश्तकार हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिये जरूरी है कि माननीय मन्त्री जी हम लोगों को इस बात को बतलावें कि कितनी भूमि इस राज्य में और राज्यों से कट कर आयी है और कितनी भूमि इस राज्य की कट कर दूसरे राज्यों में गयी है। इस विधेयक पर विचार करने से पहले यह जरूरी है कि पूरी जानकारी हमें दी जाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—जहां तक मैं समझा हूं २–क में इस प्रकार दिया हुआ है—

"(१) यदि किसी नदी की क्रिया से उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्र बढ़ जाय तो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम को उक्त क्षेत्र में प्रसारित कर सकती है।"

यह कंडीशनल है, तथा इस वक्त, निश्चित रूप से कोई बात नहीं कही जा सकती कि नदी की डीप स्ट्रीम कौन सा शेप लेगी। तो इस प्रकार आप देखें, कि चूंकि यह बात नहीं निश्चित हो सकती, तो विज्ञप्ति जो इसके अन्तर्गत जारी होगी वह भी एक शार्ट पीरियड के लिये होगी। इस विधेयक का ध्येय केवल इतना ही है। अगर उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र रिवर ऐक्शन से दूसरी तरफ चला जाता है तो उसके लिये हम क्या करें यह तो दूसरा प्रश्न है। इस उत्तर प्रदेश की भूमि कट कर दूसरे प्रदेश में कितनी गयी है, कितनी नहीं गयी है, उसके सम्बन्ध में हम यहां इस विधेयक द्वारा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसका प्रश्न ही नहीं उठता और इस सम्बन्ध में कोई बतला भी नहीं सकता कि रिवर ऐक्शन से हमारा उत्तर प्रदेश कितना बढ़ा।

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन्, १९०१ का ऐक्ट ३ जो लैंड रेवेन्यू ऐक्ट है उसमें दिया हुआ है कि जो मौजूदा प्रोसेस है....

श्री अध्यक्ष—आपका प्रश्न इतना है कि कितनी भूमि आ गयी है। This is not the proposition that we are dealing with.

श्री कमलासिंह यादव—अगर हमें बतलाया नहीं जाता तो फिर इस कानून को बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी?

खण्ड २

२—यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में—

(१) धारा १४–ए–की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(3) An Additional Collector shall exercise such powers and discharge such duties of a Collector in such cases or classes of cases as the Collector concerned may direct."

(२) धारा १६० में शब्द "previous sanction of the State Government" के स्थान पर शब्द और अंक previous sanction of the Commissioner, or, in the case of an ancestral land within the meaning of section 20 of the Oudh Laws Act, 1876, of the State Government", रख दिये जायं।

(३) धारा १६१ की उप–धारा (३) में शब्द "State Government" के स्थान पर शब्द""authority sanctioning tht sale" रख दिये जायं, और

(४) धारा २१० की उप-धारा (६) में अंक "33" के स्थान पर अंक और कामा "28,33" रख दिये जायं।

यू०पी०ऐक्ट संख्या ३, १९०१ की धारा १४–ए, १६०, १६१ और २१० का संशोधन

Act no. XVIII of 1876.

श्री अध्यक्ष—खण्ड २ के सम्बन्ध में मेरे पास कुछ सूचनायें आयी हैं। शायद वे आपको दे दी गयी हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे अभी–अभी इसी वक्त मिली हैं।

श्री कमलासिंह यादव—कोई एतराज नहीं है उधर से, इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि वे ले ली जायं।

श्री हुकुमसिंह बिसेन---श्रीमन्, ३६ घंटे का समय होता है, उस समय के अन्दर वे नहीं आये हैं इसलिये मैं उन सबका विरोध करता हूं। न तो उनको एक्जामिन किया जा सका है और न मैं उन्हें पढ़ सका हूं, तथा उसकी मन्जूरी नामंजूरी की जवाबदेही मेरे ऊपर आती है, इसलिये मैं इस को स्वीकार नहीं करता।

श्री कमलासिंह यादव---मेरे कहने के बाद यह बात कही जा रही है। पहले किसी ने इसका विरोध नहीं किया लेकिन जब मैंने स्वयं सरकार का ध्यान इधर आकृष्ट किया तब उसका विरोध किया गया है। इसलिये मैं श्रीमन् से प्रार्थना करता हूं कि नियम १३८ के अनुसार....

श्री अध्यक्ष---मेरी बात सुन लीजिये, और कोई माननीय सदस्य आपत्ति करता तो उसपर मैं सोचता लेकिन जब अमेंडमेंट की नोटिस निर्धारित समय के अन्दर न दी गयी हो और उसके ऊपर अगर सरकार ने विचार न किया हो तो मैं कैसे कह दूं कि यह ले लिया जाय। यह तो ठीक नहीं है। एक बात और कह दूं। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि उनकी ओर से भी कभी-कभी इस किस्म की परेशानियां मालूम हुई हैं कि मुझे रूल आउट करना पड़ा। कोई भी ऐसा संशोधन नहीं आना चाहिये कि जिसमें सदन के आदरणीय सदस्यों को मौका न मिले कि वे उसपर विचार करके एक संतुलित मंत्रणा हमें दे सकें।

श्री कमलासिंह यादव---श्रीमन्, दो दिन हम लोगों को इस प्रश्न पर बहस करने का मौका मिलना था। कल जब प्रश्न उपस्थित किया गया तो श्रीमन्, हम लोग भी कुछ बोल नहीं सके और श्रीमन् के ऊपर ही छोड़ दिया और श्रीमन् ने यह कहा था....

श्री अध्यक्ष---वह हो गया, वह तो समाप्त हो गया।

श्री कमलासिंह यादव---तो हम कहते हैं कि....

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जायं, वह तो आउट आफ आर्डर रूल हो गये।

श्री कमलासिंह यादव---इतना तो आप सुन लें कि इस नियम १३८ में दिया हुआ है है कि "unless the speaker allows the amendment to be moved" तो आप अगर एलाउ कर दें तो उनका आब्जेक्शन कोई चीज नहीं है।

श्री अध्यक्ष---अगर मैं वकील न होता तो एलाउ कर देता। अब, आल डिसएलाउड। न्याय सबके साथ होता है आप के साथ न्याय है कि मैं आप को संशोधन पेश करने दूं और इनके साथ न्याय है कि इन को उन्हें एग्जामिन करने का मौका हो।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---श्रीमन्, इस सम्बन्ध में माननीय उपाध्यक्ष जी की व्यवस्था हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष---नहीं, आप बैठें, मैं प्रश्न रख रहा हूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---श्रीमन्, सुन तो लें....

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जांय, वे सब समय के बाद आये हैं इसलिये अस्वीकार हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि....

श्री अध्यक्ष---अब आप बैठ जायं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---मैं आप के सामने वह रूलिंग रखना चाहता हूं जो इस सम्बन्ध में चयर से दी जा चुकी है....

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, आप बैठें।

प्रश्न यह है कि खंड २ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई।)

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--अध्यक्ष महोदय, आपने जो फरमाया कि मैं वकील हूं और इसलिये मजबूरी है....

श्री अध्यक्ष--आप बैठ जायं, इस समय वोटिंग हो रही है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--क्या श्रीमन्, आपने कोई व्यवस्था दी है कि ३६ घंटे के बाद के आये संशोधन स्वीकार नहीं होंगे ?

श्री अध्यक्ष--फायदा तो यही है।

श्री यादवेन्द्रदत्त--लेकिन परिपाटी यह रही है कि बाद के भी मान लिये जाते हैं जो परिपाटी रही है उसको भंग न किया जाय तो उचित होगा, इतनी जल्दी परिपाटी का तोड़ना उचित न होगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--८९,

विपक्ष में--७१।)

श्री अध्यक्ष--माननीय नेता विरोधी दल, संशोधनों की सूचना के सम्बन्ध में नियम १३८ इस प्रकार है--

"यदि विधेयक के किसी खंड या अनुसूची में किसी संशोधन की सूचना उस दिन से ३६ घंटे पूर्व न दी गयी हो, जिस दिन कि विधेयक पर विचार किया जाना हो तो कोई भी सदस्य संशोधन के प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा, और यदि अध्यक्ष संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति न दे दें तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।"

मैं सदन से निवेदन करूंगा कि कोई संशोधन जिसका नोटिस इस सदन के सदस्यों को न मिला हो वह किसी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता और अगर नोटिस मिल गया हो तो आपत्ति करने पर मैं अपने विवेक का प्रयोग करूंगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त--आप आज्ञा दें तो मैं एक निवेदन कर दूं। आपकी रूलिंग मान्य है। अभी नागर क्षेत्र भूमि और भवन कर विधेयक जब आया था, उसमें ऐसी ही आज्ञा दी थी तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अब इस रूलिंग का जो परिणाम होगा उससे जो परिपाटी थी वह समाप्त मानी जाय और इस रूलिंग के आधार पर नई परिपाटी चलेगी ?

श्री अध्यक्ष--परिपाटी से अन्याय होता है तो नहीं चलना चाहिये। जैसा निवेदन किया माननीय सदस्यों को नोटिस हो जाय तो थोड़ी देर के लिये उस नियम को शिथिल किया जा सकता है, लेकिन जिसका नोटिस ही न हो तो उसके सम्बन्ध में, मैं बिलकुल विचार नहीं करूंगा। जिसका नोटिस हो जायगा उस पर मैं विचार करूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--मेरा एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष--इस सम्बन्ध में, मैं अब अधिक नहीं सुनना चाहता। आर्डर, आप बैठ जायं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--मैं एक निवेदन करना चाहता था....

श्री अध्यक्ष--आप बैठ जायं।

खंड ३

१९५१ ई० अधिनियम संख्या १ में नयी धारा २-क का रखा जाना

३--"१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था के उत्तर प्रदेश अधिनियम" (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में धारा २ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय--

"२-क--(१) यदि किसी नदी की क्रिया से उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्र बढ़ जाय तो राज्य सरकार बजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम को उक्त क्षेत्र में प्रसारित कर सकती है।

(२) राज्य सरकार, उसी या किसी अनुवर्ती विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम में, उक्त क्षेत्र में इसकी (अधिनियम की) प्रवृत्ति के सम्बन्ध में, ऐसा परिष्कार कर सकती है जिसे वह उक्त क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों में आवश्यक समझे:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस क्षेत्र में अधिनियम के प्रसारण के दिनांक से १ वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उक्त कोई परिष्कार न किया जायगा और न वह दो वर्ष से अधिक के लिये प्रचलित रहेगा।"

श्री काशीनाथ मिश्र--खंड ३ के सम्बन्ध में अधिष्ठाता की तरफ से नोटिस हो चुका है। वह संशोधन मैंने दिया था।

श्री अध्यक्ष--उसे मैं देख लेता हूं। खंड ३ में प्रस्तावित धारा २(क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, यह आपने संशोधन दिया है कि आपत्ति की है।

श्री काशीनाथ मिश्र--अधिष्ठाता महोदय ने कहा था संशोधन दे दीजिये, हमने तो आपत्ति की थी, अतः उनके कहने से संशोधन दे दिया।

श्री अध्यक्ष--नहीं, अब नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--एक व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष--अभी कोई कार्यवाही सदन के सामने नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--कार्यवाही शुरू हो रही है उसी के सम्बन्ध में है। आपके कार्यालय में यह संशोधन कल शाम ६ बजे दिया गया था, उसकी कापी मेरे पास है। तो ६ बजे का दिया हुआ, संशोधन राजस्व मन्त्री ने अभी कहा अभी-अभी मिला है, मैं जानना चाहता हूं जब कल शाम को दे दिया गया था तो इस समय कैसे उनके पास पहुंचा, उसको सबेरे जाना चाहिये था। अभी-अभी नगर भूमि संशोधन विधेयक में उपाध्यक्ष जी ने उनके संशोधन को स्वीकार किया था और समय दिया था। तो जरा-सी हम लोगों को भी सहूलियत दी जाय जिससे हम लोग अपने विचार प्रकट कर सकें।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद—५ बिलों वाला वही समय अभी बाकी है जिसमें आपने दो घंटे उनको दे दिये और आपने अदरवाइज डायरेक्ट भी नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं।]

सूचना जो सायंकाल के समय दी जाय उसके लिये नियम यह है कि यह समझा जायगा कि दूसरे दिन दी गई। एक बात तो यह हो गई।

दूसरी बात यह है कि जब तक मेरे सामने वह न रखे जायं कि क्या किया जाय इनके सम्बन्ध में तब तक सचिव अपने मन से तो नहीं भेज सकते, मेरे चाहे मौखिक आदेश लें या लिखित आदेश लें। उन्होंने जब आज सबेरे मेरे सामने रखे तो मैंने कहा कि यह मेरी समझ में नहीं आता जब तक मन्त्री जी से न पूछ लूं। मन्त्री जी से पूछा तो उन्होंने कहा हमारी दिक्कत यह है कि हम इसके ऊपर बिल्कुल विचार नहीं कर सकते हैं, हम इस सम्बन्ध में कानूनी मन्त्रणा नहीं ले सकते। ऐसी अवस्था में हम इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं और इसको स्वीकार नहीं करेंगे। यह जब स्थिति हुई तो मैंने कहा अच्छा अपनी तरफ से भेज देते हैं अगर वह सदन में आपत्ति करेंगे तो देख लिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—वह तो कहते हैं अभी-अभी मिला है।

श्री अध्यक्ष—कृपया आप बैठें।

श्री कमला सिंह यादव—श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है जब तक खंड ३ आपके सामने न आ जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, हम खंड ३ का विरोध करते हैं।

श्री अध्यक्ष—अभी संशोधन आने दीजिये।

माननीय मुरलीधर कुरील अपना संशोधन पेश करें।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—मैं पेश नहीं करना चाहता।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, हम विरोध करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—ठीक है मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। आप बोलें।

श्री काशीनाथ मिश्र—खंड ३ के उपखंड २-क(१) में यह कहा गया है कि "यदि किसी नदी की क्रिया से उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्र बढ़ जाय तो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम को उक्त क्षेत्र में प्रसारित कर सकती है।" कल भी इस सिलसिले में सदन के अन्दर यह आपत्ति जाहिर की गई कि अगर किसी भी तरीके से राज्य का क्षेत्र बढ़ जाता है तो वह इस सदन के अधिकार के परे होगा इस तरह के अधिनियम या कानून पर विचार करना . . . . .

(इस समय १२ बजकर ५३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

मैं चाहता हूं इस तरह के विधेयक पर मन्त्री जी दूसरी तरह से गौर करें और खास करके उत्तर प्रदेश का वह पूर्वी जिला जहां पर नदियों के कटान से इस राज्य का क्षेत्र बढ़ता है या घटता है उस सिलसिले में मैं आपका, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बलिया जिले में, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, दो नदियां—घाघरा और गंगा—इस राज्य की सीमा बनाती हैं। अभी तक स्थिति यह है कि वहां पर नदियों की धारा ही दो राज्यों के बीच की सीमा मानी गयी है। सबसे बड़ी आपत्ति तो यह है कि दो राज्यों के बीच में किसी ऐसी स्थिति को सीमा नहीं माना जाना चाहिये जो हर साल बदला करती हो। गंगा और घाघरा की बीच धारा को लेकर हर साल दोनों राज्यों में झगड़ा होता है और काफी पैसा

[श्री काशीनाथ मिश्र]

खर्च किया जाता है। इस स्थिति से वहां के किसानों में जो झंझट पैदा होता है वह तो अलग है, दोनों राज्यों के अफसरों पर काफी पैसा सरकार का खर्च होता है यह तय करने के लिये। इसलिये मेरा यह कहना है कि जो यह धारा में सीमा मानने की बात है यह खत्म की जाय और कोई निश्चित मुकाम दोनों राज्यों की सीमा होना चाहिये चाहे कितनी ही जमीन नदी के कटाव से एक राज्य की दूसरे राज्य में क्यों न चली जाय। लेकिन यह स्थिति अभी तक निश्चित नहीं हो पायी है। साथ ही साथ इस विधेयक में जो यह धारा ३(क) रखी गयी है यह जो आजतक एल्यूवियन और डेल्यूवियन का कानून बना हुआ है उसके भी खिलाफ जाती है। क्या उत्तर प्रदेश के किसानों की जमीन नदी की प्रक्रिया से कट कर बिहार में चली जाती है तो बिहार सरकार को इस तरह का कानून बनाने का हक होगा कि वह उस जमीन पर कब्जा कर ले। इस तरह का कानून नहीं बन सकता है और मैं समझता हूं कि हमारे संविधान के भी यह खिलाफ है कि हमारी किसी तरह की प्रापर्टी अगर दूसरे राज्य में चली जाती है तो उस हक से हम बेदखल हो जायेंगे। तात्कालिक ढंग से तो ऐसा लगता है कि हमारे प्रदेश के लोगों को इस नियम के बन जाने से लाभ होगा लेकिन फिर इसकी प्रक्रिया बिहार में भी होगी और स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की हजारों एकड़ जमीन कट कर बिहार में चली गयी है और बिहार की बहुत कम जमीन इधर आई है। मैं सूचना के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि आज की हालत यह है कि करीब दो-ढाई हजार एकड़ जमीन बिहार की कट कर बलिया जिले में आया है जबकि २५-३० हजार एकड़ जमीन इस प्रदेश की कट कर बिहार के छपरा और आरा जिलों में चली गयी है।

जब यह कानून बन जाता है तो उनको कहने का मौका मिलेगा कि आपके यहां की सरकार तो कानून बनाकर हमारे यहां की जमीन ले रही है तो हमारे यहां अगर आपकी जमीन चली आय तो झगड़ा क्यों करते हैं? इस तरह का सवाल उत्पन्न हो सकता है। बजाय इसके कि कानून में संशोधन करें इससे पहले आप बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बलिया जिले को सामने रख कर निश्चित कर दें जिससे जो जमीन कट कर आती जाती है उसको लेकर किसानों में जो झगड़ा होता है, वह हालत ही बदल जाय और इस तरह की चीज न रहने पाये।

इसके साथ ही साथ श्रीमन् मैं सदन का ध्यान संविधान की ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर राज्य का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो भी गड़बड़ी पैदा हो सकती है। आज अखबारों में छपा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के अधिकृत करने वाले कानून को रद्द कर दिया है। अगर यह कानून पास करते हैं और जाहिर है कि जब डेढ़ दो हजार एकड़ जमीन पर कब्जा होगा तो बिहार सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने से वह अल्ट्रावायरस डिक्लेअर हो सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि पहले सीमा निश्चित कर दें जिससे झगड़ा बाकी न रहे। इसलिये इस खंड को निकाल दिया जाय। हां, साल दो साल के लिए टेम्पोरेरी इन्तजाम कर सकते हैं। अगर जमीन कट कर चली जाती है तो जिस गांव के सामने आती है उस गांव समाज को हक दे दें कि वह टेम्पोरेरी इन्तजाम कर सकता है, जब तक बलिया और बिहार के बारे में सीमा तय नहीं कर देते हैं। वरना इस तरह कानून बनाने से बलिया और बिहार के किसानों के बीच में झगड़ा खड़ा करना होगा।

श्री उपाध्यक्ष—आप और बोलना चाहते हैं?

श्री काशीनाथ मिश्र—जी हां।

श्री उपाध्यक्ष—अब हम उठते हैं और २ बजे फिर मिलेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजे कर ७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री काशीनाथ मिश्र—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जैसा कि जिक्र कर रहा था धारा ३ के बारे में, धारा ३ का (क) जो है वह भारतीय संविधान की अवहेलना भी करती है और उस धारा के पास हो जाने से खास कर बलिया जिले के किसानों पर ज्यादा बुरा असर पड़ेगा ।

अभी तक जो वहां की स्थिति है उसके बारे में मैं स्पष्टीकरण कर दूं । जो कुछ जमीन बलिया जिले की कट कर बिहार में जाती है उसमें वह बिहार सरकार से कुछ न कुछ सुविधा पा जाते हैं । अभी बाढ़ के सिलसिले में जब मैं उस इलाके में गया था तो जो जमीन बिहार में कट कर गयी है बिहार सरकार की तरफ से जो सहायता बाढ़ पीड़ितों को दी जा रही थी उसमें हमने देखा कि बिहार सरकार की तरफ से हर गरीब परिवार को पन्द्रह दिन का या एक सप्ताह का मुफ्त राशन दिया जा रहा था । वहीं पर—मैं गोपालनगर और वशिष्ठनगर का जिक्र कर रहा हूं, जो गांव कटान से आधार बिहार में चला गया है और आधा उत्तर प्रदेश में है, तो एक ही गांव के आधे हिस्से में जो उत्तर प्रदेश में है एक एक दियासलाई और आधा सेर चना और नमक और थोड़ा तेल दिया जा रहा था, उसी गांव के दूसरे हिस्से में जिसका इन्तजाम बिहार सरकार के हाथ में है, एक परिवार को पन्द्रह दिन का मुफ्त राशन दिया जा रहा था । साथ ही साथ नीचे से ऊंची जगह पर बसाने की लिए आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे थे । बिहार सरकार के डाक्टर मौजूद थे । वह दरवाजे-दरवाजे घूम रहे थे । वहीं पर हमारी सरकार की तरफ से कोई इन्तजाम डाक्टर का नहीं था, न कोई नाव वगैरह की व्यवस्था थी । आधे गांव के लोग यह भाव व्यक्त कर रहे थे कि मिश्र जी, आप हमारे नुमाइन्दे हैं, हमारी आवाज वहां तक पहुंचा दीजिये कि हम लोगों को सरकार बिहार में कर दे । मुझको इससे कोई वास्ता नहीं कि कोई आदमी बिहारी कहा जाता है या उत्तर प्रदेश का । मुझ को दिलचस्पी केवल इस बात में है कि हमारे देश का रहने वाला व्यक्ति सुखी है या नहीं । अगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला बिहार में रह कर सुख सुविधा प्राप्त कर सकता है तो वह बिहार में रहे । उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रति आत्मीयता तो जरूर दिमाग में है इसलिए जब हमने यह देखा कि हमारी सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है और बिहार सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है तो हमारा सर शर्म से झुक जाता था । श्रीमन्, अगर धारा ३ पास हो जाती है तो दो सरकारों के बीच तनाव होगा ही । साथ ही साथ जो दोनों तरफ के लोग हैं उनके बीच भी तनाव हो जायगा । झगड़ा फसाद होने का ज्यादा अन्देशा रहेगा ।

ठाकुर साहब कल जवाब में कह रहे थे कि अगर हम बिहार की जमीन ले लेते हैं, हमारे यहां वह कट कर आती है, तो क्या बुरा है ? बात बहुत ठीक है और हमको भी ऐसा लगता है कि तत्काल तो कुछ फायदा हो सकता है लेकिन लम्बे अरसे में इसका क्या असर होगा इसकी तरफ आप ध्यान दें । एक तो संविधान की धाराओं के यह खिलाफ होगा । बिहार सरकार के लोग इतने बुद्धू तो हैं नहीं, या जिनके स्वार्थ पर इससे कुठाराघात होगा वह इतने बेवकूफ तो हैं नहीं कि वह उसको छोड़ देंगे । सर्वोच्च न्यायालय में अगर यह सवाल उठा दिया गया तो यह धारा अल्ट्रावायरस हो जायगी । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि उस क्षेत्र के लिए कोई मुकम्मिल इन्तजाम करें ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय काशीनाथ जी, आप बार-बार वही आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—उस सीमा के लिए बिल्कुल सदैव के लिए एक फिक्स्ड बाउन्ड्री निश्चित कर दें । उसमें एक दिक्कत रहेगी क्योंकि नदी तो अपना काम चालू रखेगी, नदी की क्रिया मुतवातिर, सतत होती रहेगी, इसलिए इसके लिए आवश्यक है कि नदी के उस क्षेत्र में एक निश्चित कानून हो कि इस पार की, जैसे बलिया की जमीन अगर कट कर बिहार में जाती है तो बलिया के किसान का यह हक होना चाहिए कि वह जाकर बिहार में भी खेती बाड़ी कर सके और यह हक तभी हो सकता है जब कि आप अपने यहां इस कानून को लागू रखें कि बिहार की जमीन अगर कट कर के आपके यहां आती है तो आप बिहार के किसानों को वही हक देंगे जो कि आप बिहार में अपने यहां के किसान को दिलाना

[श्री काशीनाथ मिश्र]

चाहते हैं। यह संविधान के अनुकूल होगा और वह जो आप रख रहे हैं वह संविधान के प्रतिकूल होगा कि अगर बिहार की जमीन कट कर आपके यहां आ जाती है तो उस पर से वहां के किसान बेदखल कर दिये जायं। माननीय कमलासिंह जी ने भी कल इस तरफ आपका ध्यान दिलाया था। एल्यूवियन और डिल्यूवियन की बात आपके सामने रखी थी कि अगर किसी की जमीन कट कर किसी दूसरे प्रदेश में चली जाती है तो ओरिजिनल प्रोप्राइटर का हक कहीं जाता नहीं है। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी से खास तौर से प्रार्थना करूंगा कि और इस बिल से मुझे कोई खास एतराज नहीं है, लेकिन धारा ३ इस बिल में बिल्कुल असंगत है और जहां पर नदी की प्रक्रिया होती है वहां के लिए एक निश्चित और मुस्तकिल ढंग का कोई इन्तजाम कायम करें।

*श्री कमलासिंह यादव—उपाध्यक्ष महोदय, जो क्लाज सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं, इस माने में नहीं कि जैसा कि विरोध होता है बल्कि इसलिए कि यह बिल्कुल अनकांस्टीटयूशनल है और उसके लिए श्रीमन्, मेरा यह कहना है जैसा कि इस विधेयक की धारा ३ के अन्दर दिया हुआ है कि यदि किसी नदी की क्रिया से उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्र बढ़ जाय तो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम को उक्त क्षेत्र में प्रसारित कर सकती है, तो इसमें यह सवाल है कि आया यह सरकार जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार के नाम से है इसका कोई अख्तियार इस प्रकार का है या नहीं? यही एक प्रश्न इस सदन के सामने है। इसके लिए मेरा यह कहना है कि अभी तक नदी के कटाव के जरिये जितनी जमीन इस प्रदेश के अन्दर आती थी या इस प्रदेश की जितनी जमीन जाती थी उसके लिए कोई कानून यहां पर नहीं था। उसका केवल एक कानून था जो कि बंगाल का एल्यूवियन ऐंड डिल्यूवियन रेगुलेशन १८२५ का है। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस धारा को मानती है।

श्री उपाध्यक्ष—वह तो रेगुलेशन है ही।

श्री कमलासिंह यादव—तो मैं यही बता रहा था कि यहां भी यही लागू है और इसलिए लागू है कि जो १९०१ का लैंड रेवेन्यू ऐक्ट है उसकी धारा २९ में भी लैंड मार्क या फिक्सेशन आफ स्टोन या बाउंड्री मार्क का जहां तक सम्बन्ध है उसमें इसका जिक्र किया गया है।

मैं आपके सामने सेक्शन २९ के मुताल्लिक जो कमेन्ट्री हैं उसको ही पढ़ देना चाहता हूं। उसमें यह दिया हुआ है कि :—

"The boundaries of the village on the banks of the rivers are governed by the provision of the Bengal Alluvion and Diluvian Regulation XI of 1825, and Sections 29 and 41 of the U. P. Land Revenue Act, and Section 29(2) directs that it shall be the duty of the Gaon Sabha to maintain and keep in repair at its costs the permanent boundary marks within its jurisdiction.'

तो श्रीमन्, जहां तक इस बंगाल के एलूवियन डेलूवियन का सवाल है उसके मुताल्लिक' धारा ३ में यह दिया हुआ है कि :—

"Where there may be no local usage of the nature referred to in the preceding section, the general rules declared in the following section shall be applied to the determination of all claims and disputes relative to lands gained by alluvion or by dereliction (either) of a river or by the sea."

मान लीजिये कि एक हजार बीघा जमीन बिहार गवर्नमेंट की उत्तर प्रदेश में कट कर चली आई या हमारे यहां की २ हजार बीघा जमीन बिहार में चली गई। दोनों में डिस्पूट है तो यह हमेशा का नियम है कि एक किनारे से कट कर जमीन दूसरे किनारे पर जाती है तो उस वक्त जिसकी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जमीन में यह जमीन जाकर मिल जाती है वही आदमी उसका मालिक हो जाता है और उसमें कोई भी डिस्पूट नहीं होता लेकिन उस वक्त जब कि हजार दो हजार बीघा ऐसी जमीन जिसको हम रिकेग्नाइज मौके पर कर सकते हैं तो ऐसी जमीन के लिये सरटेन ला बने हुये हैं। उसमें यह है कि उत्तर प्रदेश की जितनी जमीन कट कर दूसरे प्रदेश में जायगी तो उस जमीन का जो ओरिजिनल टेनेन्ट रहा होगा वही उसका टेनेन्ट होगा। अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि बिहार गवर्नमेंट की एक हजार बीघा जमीन कट कर जो हमारे प्रदेश में आई तो उसका क्या होगा? जैसा कि यह विधेयक है या रेगुलेशन है उस रेगुलेशन के मुताल्लिक यह है कि बिहार का जो टेनेन्ट उस जमीन का रहा है वही उसका मालिक होगा। लैंड के लिये यह नियम है कि "लैंड मूव्स विद दि टेनेन्ट" जहां भी वह जमीन जायगी टेनेन्ट उसके साथ रहेगा और वही उसका मालिक होगा। अब प्रश्न यह रह जाता है कि उस जमीन का लगान उत्तर प्रदेश की सरकार वसूल करेगी या बिहार सरकार वसूल करेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार के यहां जो कानून है, जमींदारी अबालिशन ऐक्ट वह उस पर लागू होगा या बिहार सरकार के जो कानून हैं जमीन के मुताल्लिक वह उस पर लागू होंगे? यह दोनों बहुत बड़ी चीजें हैं कि किसका कानून एप्लीकेबिल हो। इस सदन को यह देखना पड़ेगा कि कौन ला उसके ऊपर एप्लीकेबिल होता है। साथ ही साथ यह सवाल उठेगा कि गांव समाज कौन सा होगा। आप अगर उत्तर प्रदेश के कानून में लाते हैं तो बिना संशोधन के ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कौन गांव समाज के अन्दर वह होगा। गांव समाज वही होगा जो उस एरिया का होगा। अपने यहां के रहने वाले लोगों पर बिहार के जो कानून हैं वे लागू नहीं हो सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि जहां लैण्ड ला का मसला है जैसा कि इसमें दिया हुआ है धारा ४ के (२) में कि :

"The above rule shall not be considered applicable to cases in which a river, by a sudden change of its course, may break through and intersect an estate, without any gradual encroachment, or may by the violence of stream separate a considerable piece of land from one estate, and join it to another estate, without destroying the identity, and preventing the recognition, of the land so removed.

In such cases the land, on being clearly recognized, shall remain the property of its original owner."

(1825 ; Ben. Reg. XI Alluvion and Diluvian, Sec. 4)"

तो इस तरीके पर जब ला डिस्टिक्ट है और जिससे आप और बिहार की सरकार, दोनों गवर्न होते हैं तो उस जमीन का मालिक कौन होगा, रेंट कौन लेगा। मेरा यह खयाल है कि जब टेनेन्ट बिहार का होगा और भूमि का मालिक वही होगा तो मैं नहीं समझ पाता कि हमारी क्या पोजीशन होगी। बिहार की सरकार उससे कर वसूल करेगी और यह ला है कि टेनेन्ट मूव्ज विद दि लैंड। तो सारे कर और लैंड रेवेन्यू बिहार की सरकार लेगी। इसी तरह जो हमारी जमीन कट कर बिहार में गयी है और जैसा काशीनाथ जी ने कहा, जितनी जमीन हमारे प्रदेश में आयी है उससे कही ज्यादा वहां कट कर गयी है--उसके साथ ही हमारा टेनेन्ट भी वहां गया है। उनकी क्या पोजीशन होगी यह आपको देखना पड़ेगा। जब हमारी ज्यादा जमीन दूसरे प्रदेश में गयी है ऐसे समय में आप इस प्रकार का विधेयक ला कर अपना एरिया सीमित कर रहे हैं।

दूसरे, धुरधारा का जो कानून है उससे उल्टे आप जा रहे हैं। कानून बिल्कुल इसका उल्टा है। धुरधारा के मुताबिक जो जमीन दूसरी जगह गयी उसका लगान हम वसूल करेंगे। हमारा जमींदारी एबालिशन ऐक्ट उस पर लागू होगा। लेकिन यहां आप उसके विपरीत कानून बनाने जा रहे हैं। मंत्री जी कहते हैं कि दूसरे प्रदेश की जमीन हमारे यहां कट कर आ रही है, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वे उस जमीन के बारे में क्या करने जा रहे हैं कि जो हमारे यहां से कट कर दूसरे प्रदेश में चली गयी है। आज भी हमारा काश्तकार उस पर काबिज है और उस जमीन को जोत रहा है और आप को लगान दे रहा है। इस परिस्थिति में लैंड लाज

[श्री कमलासिंह यादव]

के मुताल्लिक भी झगड़ा है। जब दूसरे प्रदेश की जमीन हमारे यहां आ गयी तो बिहार का ला उस पर एप्लीकेबिल होगा? उस पर आप दूसरा कानून एप्लीकेबिल करने जा रहे हैं तो हमको सोचना पड़ेगा कि सही क्या है। जहां तक संविधान का सवाल है, मैं फिर मंत्री जी का ध्यान उसकी धारा ३ की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें दिया हुआ है कि "संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी या किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकेगी", यह तीन चीजें हैं। यह सदन जो काम इस विधेयक द्वारा करने जा रहा है यह एक कठिन समस्या है। प्रदेश का एक सर्टेन ला है जो जमीन पर लागू है, और आप उस पर दूसरा कानून रखने जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि वहां की जमीन पर वहां का कानून लागू है और आप उस पर दूसरा कानून लागू करेंगे तो पोजीशन क्या होगी। अगर यह मान लिया जाय कि ओनर्स वही न रहेंगे तो कौन तरीका है उसके लिये? मैं जानना चाहता हूं कि अगर जमींदारी एबालिशन ऐक्ट उस जमीन पर लागू भी हो जाय तो अपने यहां तीन चार तरह के काश्तकार हैं—भूमिधर, सीरदार, असामी और अधिवासी—आप उनको किस प्रकार छांटेंगे कि वे किस श्रेणी के काश्तकार हैं। वह जमीन जो आयी है हमारे यहां कट कर, उसकी क्या पोजीशन होगी। आप देखें कि जो टेनेन्ट की पोजीशन है वह आप कैसे निश्चित करेंगे। आपकी गांव सभा के लोग हैं उसका कब्जा उस पर है नहीं कि कौन भूमिधर, कौन सीरदार और कौन अधिवासी होगा? यह सब आप कैसे निश्चित करेंगे? यह एक बड़ा गंभीर मसला इस सदन के सामने है और इस पर बहुत ही गंभीरता से गौर करने की जरूरत है।

दूसरी चीज यह है कि जहां तक संविधान का सवाल है, वह एक बड़ा भारी प्रश्न इस सदन के सामने है। यह सीमा निर्धारित करने का सवाल है, क्योंकि यह जो विधेयक इस सदन के सामने लाये हैं, उसके जरिये एक सीमा निर्धारित करने जा रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि यह आपके हाथ के बाहर की चीज है। अभी तक तो एल्यूवियन और डेल्यूवियन का प्रश्न था और वह नदी की धारा के ऊपर निर्धारित था। नदी की धारा के मुड़ने से जो कटाव होता था तो उसके दूसरी तरफ जो जमीन जाती थी, आपका टेनेन्ट उसका मालिक हो जाता। इसी तरह से दूसरे प्रदेश का काश्तकार भी उस जमीन का मालिक हो जाता है। लेकिन आप इसके जरिये इसको लिमिटेड करने जा रहे हैं। परन्तु आपको इसका अधिकार नहीं है, इसका अधिकार तो संसद को है। जहां तक धारा ३१ का सवाल है, उसमें आप देखें कि १, २, ३, में इस प्रकार दिया हुआ है—"३१ (१) कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा"।

श्रीमन्, आप देखें कि जहां तक बंगाल का यह कानून है, उसके मुताबिक जितनी जमीन इस प्रदेश के अन्दर आई है, उसका मालिक वह ओरिजिनल ओनर है। आप जब अपने प्रदेश के अन्दर उसको ले रहे हैं तो क्या तरीका होगा कि आप उसको अपनी बनायेंगे। आप उसके लिये कोई कम्पेनसेशन तो देते नहीं हैं इसलिये आप उस जमीन के मालिक नहीं हो सकते।

धारा में नम्बर दो इस प्रकार से दिया हुआ है —

"(२) कोई स्थावर और जंगम सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम में या उसकी स्वामिनी किसी कम्पनी में कोई अंश भी है, ऐसी विधि के अधीन जो ऐसा कब्जा या अर्जन करने का प्राधिकार देती है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये कब्जाकृत या अर्जित तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि वह विधि कब्जाकृत या अर्जित सम्पत्ति के लिये प्रतिकर का उपबन्ध न करती हो।"

श्रीमन्, आप देखें कि अगर बिहार के टेनेन्टस की चीज है तो जब तक आप प्रतिकर नहीं देंगे तब तक आप उसके मालिक नहीं होंगे। इस सदन के सामने जमींदारी एबालिशन ऐक्ट प्रस्तुत है। अगर किसी की जमीन लेना चाहते हैं तो उसकी सम्पत्ति को तब तक नहीं ले सकते जब तक कि उसको उचित मुआवजा न दें। चूंकि कोई प्रतिकर देना इस विधेयक के अन्दर नहीं है इसलिये यह मेरी राय में अगेन्स्ट दि कान्सटीटयूशन है।

आप देखें कि धारा के नंबर ३ में इस प्रकार दिया हुआ है—"(३) राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनाई गई कोई ऐसी विधि, जसी कि खंड (२) में निर्दिष्ट है, तब तक प्रभावी नहीं होगी, जब तक कि ऐसी विधि को, राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित किये जाने के पश्चात्, उसकी अनुमति न मिल गई हो ।"

श्रीमन्, इसमें आप देखें कि प्रतिकर आपने दिया नहीं है परन्तु कानून आप बनाने जा रहे हैं । यह आपने कभी नहीं सोचा कि इसका क्या नतीजा होगा । इसके लिये राष्ट्रपति की आज्ञा और स्वीकृति आवश्यक है । ऐसी दशा में नतीजा यह होगा कि यह बेकार की चीज होगी। मैं सदन का मूल्यवान समय अधिक नहीं लेना चाहता हूं ।

एक चीज और है कि इस प्रदेश के अन्दर अभी जोतकर विधेयक लागू हो रहा है और वह आ भी गया है इस सदन के सामने । जोतकर विधेयक के जरिये जितनी मालगुजारी होगी वह टेनेन्ट जो लगान देते हैं, उस पर टैक्स वसूल करेंगे ।

एक सवाल यह प्रस्तुत होता है कि ऐसी जमीन. . . . .

श्री उपाध्यक्ष—अभी तो वह पेश नहीं हुआ है, उसका क्यों जिक्र कर रहे हैं ?

श्री कमलासिंह यादव—इस सदन में तो प्रस्तुत हो चुका है । तो हमें देखना है कि उसका क्या असर होगा । अगर मान लें कि ४,००० एकड़ जमीन बिहार गवर्नमेंट की इधर आगयी तो जमींदारी आबालीशन ऐक्ट तो आप लागू करके ही रहेंगे या फिर बिहार गवर्नमेंट का लैंड ला लागू होगा । तो लैंड टैक्स किस तरीके से वसूल करेंगे ? क्योंकि जो विधेयक प्रस्तुत है उसमें कोई जिक्र नहीं है तो फिर लैंड का इवैलुएशन किस प्रकार से लगायेंगे ? कौन भूमिधर है, कौन किस किस्म का है, किस प्रकार निर्धारण करेंगे कि किससे कितना टैक्स लिया जाय । काशीनाथ जी ने भी जिक्र किया कि हमारी जमीन का काफी क्षेत्रफल बिहार में चला गया है तो विधि के अन्दर काश्तकार भी उसके साथ मूव करते हैं तो उनका भी प्रोटेक्शन जरूरी है जब उस एरिया की सीमा बांध रहे हैं तो उन काश्तकारों की क्या पोजीशन होगी यह बहुत बड़ा अहम सवाल है । यह तय करना है कि लैंड टैक्स उनसे भी लें जिनकी जमीन दूसरे प्रदेश में चली गयी और जो इधर आ गयी उनसे भी लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—यह बात आप कई दफा कह चुके हैं ।

श्री कमलासिंह यादव—अब तो कनक्लूजिवली कह रहा हूं । तो आप बिहार गवर्नमेंट से बात कीजिये और यह तय होना चाहिये कि जिसकी सीमा में जो जमीन आजाय वही कर वसूल करे । जब तक यह तय नहीं होता तब तक झगड़े हमेशा रहेंगे इस बिल के जरिये से जिस झगड़े के निपटारे की बात कर रहे हैं उससे तो झगड़े और बढ़ेंगे ।एक कानून जब तक एक जगह लागू है उसकी जगह दूसरा लागू करने से क्या प्रतिक्रिया होगी यह भी देखना जरूरी है । इसलिये इस क्लाज को इस वक्त वापस लें और बिहार गवर्नमेंट से बात करके तय करें कि नदी के कटाव की जमीन पर किस प्रकार से कर निर्धारित होगा । उसके बाद संसद से बात करें और एक नियम सब जगह लागू हो। अगर अलग-अलग नियम अलग-अलग राज्य बनायेंगे तो झगड़े हमेशा रहेंगे। आप तो जबरदस्ती कानून बनाने जा रहे हैं वह इस देश के लिये भी अहितकर है और प्रदेश तो खतरे में है ही । आप देखिये कि गाजीपुर और बनारस की सीमा का झगड़ा बराबर चल रहा है ।

नतीजा यह हो रहा है कि रोज बलवे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, फसल कभी कोई काट लेता, है, कभी कोई काट लेता है । तो अगर इस तरह से आपने काम किया तो बड़ी अव्यवस्था कायम हो जायेगी । इसलिये माननीय मंत्री जी इस पर फिर से विचार करें, वरना यह बड़ा अहितकर होगा । इन शब्दों के साथ मैं इस क्लाज का, जो इस समय सदन में प्रस्तुत है, घोर विरोध करता हूं ।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—पिछले दो दिनों से, उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा के संबंध में बुद्धिमत्तापूर्ण विवाद सुनने को मिला । यदि रामसुन्दर जी और काशीनाथ जी इस धारा का विरोध करते उसमें कुछ शंका हो सकती थी, लेकिन जब माननीय कमलासिंह जी जो कानून के विशेषज्ञ हैं उन्होंने इसका विरोध किया तो अवश्य आश्चर्य हुआ । मैं समझता हूं कि उन धाराओं का जिनका उल्लेख उन्होंने किया या तो उनकी व्याख्या करने में, उनको समझने में, वे भूल कर रहे हैं या जानबूझकर वह गलती कर रहे हैं क्योंकि हम और वे दोनों ही इस पेशे में हैं और अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई कमजोर मुकदमा भी आ जाता है तो अपने मुवक्किल को खुश करने के लिये कुछ अधिक इधर-उधर की किताबें निकाल कर हवाला दे दिया करते हैं । श्रीमन्, वह चीज वहां ठीक हो सकती है किन्तु यहां विधान सभा में इस चीज से कोई लाभ होने वाला नहीं है । यदि इस धारा को पढ़ें तो इसमें तो सिर्फ यह है कि यदि किसी नदी की क्रिया से उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्र बढ़ जाय तो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के उक्त क्षेत्र में प्रसारित कर सकती है । इसका अर्थ नदी की प्राकृतिक क्रिया से नहीं बल्कि उस क्रिया से है जो कि बंगाल एलूवियल ऐक्ट में विहित है । उस ऐक्ट के अनुसार अगर उसका क्षेत्र बढ़ जाय तभी यह विधेयक लागू होगा, वरना नहीं होगा । आखिर, बंगाल एलूवियल ऐक्ट जिसको इतना बड़ा हौआ बना रखा है वह इतना ही तो है कि जब नदी की प्रक्रिया इस ढंग से हो कि कोई जमीन अपनी आइडेन्टिटी को बिलकुल समाप्त करके किसी दूसरे क्षेत्र में चली जाय तो उस क्षेत्र के नियमों के अनुसार वह उसका अंग बन जाती है, किन्तु यदि नदी की क्रिया कुछ इस ढंग से हो कि उसकी आइडेंटिटी शेष रह जाय तो उस पर टेनेन्ट का कब्जा रहा जाता है । बस इतना ही तो वह है । यदि उस बंगाल एलूवियल ऐक्ट की व्याख्या के अनुसार कोई जमीन उत्तर प्रदेश में आकर शामिल हो जाती है तो उसमें हमारे लायक दोस्त को घबराने की क्या जरूरत है । लेकिन यदि नदी कि प्रक्रिया से वह जमीन देखने में आती है और बंगाल एल्यूवियल ऐक्ट की धारा के अनुसार नहीं आती हो, तो यह व्यवस्था लागू नहीं होगी क्योंकि बंगाल ऐल्यूवियल ऐक्ट को हम संशोधन नहीं कर सकते हैं ।

मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि संविधान का आर्टीकल ३ कैसे बाधक है । यदि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बढ़ाया जाता है तो यह प्रश्न जरूर पैदा होता है कि उसका निपटारा संसद करे । हम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को बढ़ाने नहीं जा रहे हैं । लेकिन अगर नदी की प्रक्रिया के साथ-साथ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बढ़ जाय तो उसमें यहां की भूमि-व्यवस्था लागू होने में हमारे दोस्तों को क्या एतराज हो सकता है ?

श्री कमलासिंह यादव—जो जमीन कट कर दूसरे प्रांत में चली गई, उसकी क्या पोजीशन होगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह इसमें रेलेवेन्ट नहीं है ।

श्री कृष्णानन्द राय—संविधान के सेक्शन ३ की व्याख्या हमारे दोस्त बड़े गलत ढंग से कर रहे हैं । बंगाल ऐल्यूवियल ऐक्ट अपनी जगह पर है । हमारे संविधान के लिस्ट २, क्लाज १३ में है कि कोई भी जमीन जो नदी की प्रक्रिया से या बंगाल ऐल्यूवियल ऐक्ट की प्रक्रिया से हमारे क्षेत्र में आ जावेगी—हो सकता है कि क्लाज १३ गलत हो मैं क्षमा चाहूंगा—उस जमीन पर हम कानून बना सकते हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—अगर जमीन कट कर बिहार में चली गई हो ?

श्री कृष्णानन्द राय—भाई काशीनाथ जी कह रहे हैं कि यदि जमीन कट कर बिहार में चली गई हो, तो केवल प्रकृति की प्रक्रिया की बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन यदि कानून के अनुसार वह बिहार का अंग हो गई हो तो बिहार का कानून उस पर लागू होने से हम रोक नहीं सकते हैं । इसी प्रकार अगर जमीन कट कर उत्तर प्रदेश में आ गई हो तो हमारा कानून लागू होने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जब इस विधान सभा में हमारे कमलासिंह जी, माननीय काशीनाथ मिश्र और रामसुन्दर पांडेय जी बहुत ही जोर से और बहुत ही विद्वत्तापूर्ण शब्दों में भाषण देते हैं कि बिहार की जमीन हमारे प्रदेश में आ गई हो तो उस पर उत्तर प्रदेश का कानून लागू नहीं होना चाहिये. . . .

श्री काशीनाथ मिश्र---सवाल यह है कि हमारा मालिकाना हक बना रहे, यह तो हम चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---बंगाल रेग्यूलेशन के मुताबिक होगा ।

श्री कृष्णानन्द राय---यदि अखबारों में हमारे दोस्तों की बहस छपे, कम से कम प्रोसीडिन्ग्स में छपेगी ही, और बिहार के लोग उसे पढ़ेंगे, तो वह कहेंगे कि ये माननीय सदस्य बड़े इमानदार हैं क्योंकि जिस जमीन पर उत्तर प्रदेश की सरकार अपना कानून लागू करना चाहती है वे उसे बिहार की चीज कहते हैं। इसलिये केवल विवाद की दृष्टि से यह बात कहना अच्छा नहीं है । यदि सचमुच बिहार की जमीन उत्तर प्रदेश में आ गई हो तो इस धारा का स्वागत करना चाहिये। विरोध का कोई अर्थ नहीं है ।

इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस विवाद को समाप्त करें ।

(श्री राम सुन्दर पांडेय का नाम पुकारा गया)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विवाद समाप्त किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं अब रामसुन्दर जी का नाम ले चुका हूं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमान्, मैं इस प्रश्न में नहीं जाना चाहता कि यह धारा रहनी चाहिये या नहीं । माननीय कृष्णानन्द राय माहिर वकील हैं, उनकी बात सही हो सकती है । मैं उनसे यह सवाल जरूर करूंगा कि जमीन के कट जाने के बाद और बंगाल का कानून लागू हो जाने के बाद भी अगर वह गांव उत्तर प्रदेश के हाथ में रहे तो वहां गांव समाज की जमीन जो होगी उस पर उत्तर प्रदेश का कानून लागू होगा यानी हमारा जमींदारी एबालीशन ऐक्ट लागू होगा या बिहार का कानून लागू होगा । मुरलीधर जी कुरील ने जो संशोधन वापिस लिया है मैं समझता हूं कि वह वापिस नहीं लेनी चाहिये ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---पेश ही नहीं किया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---पेश करने या न करने की स्वीकृति तो सदन देगा । लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी को जरा सा इसमें विचार करना चाहिये । श्रीमन्, मैं भुक्तभोगी स्थान से आता हूं । घाघरा नदी के कटाव से और गंगा नदी के कटाव से हजारों घर बरबाद होते चले जा रहे हैं, खेती बरबाद हो रही है । आश्रयहीन और खानाबदोशों की भांति लोग जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं । इस विधेयक में कहीं भी चर्चा नहीं है कि सरकार ऐसे लोगों के लिये क्या करेगी । मैं केवल यह चाहता था कि सरकार इस मामले में जरा संजीदगी और गंभीरता से विचार करे । श्रीमन्, आप जानते हैं और माननीय राजस्व मंत्री जी भी जानते होंगे कि एक बार नहीं, हजारों बार कहा गया और फिर भी जमींदारी एबालीशन कानून में कोई प्रावीजन नहीं है कि अगर जमीन कट जाय तो मालगुजारी आप कैसे और कब माफ करेंगे । ८,१० साल की बात मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह हमारे यहां घाघरा का कटाव हुआ । सरकार की ओर से मालगुजारी वसूल होनी शुरू हुई । जमीन बालू हो गयी लेकिन सरकार मालगुजारी वसूल करती है । बाढ़ की समस्या पर विवाद उपस्थित करते हुए हमने कहा था कि जिसका घर और जमीन कट गये हैं सरकार उनसे भी मालगुजारी वसूल करती है । इस विधेयक में चर्चा होनी चाहिये थी कि अगर जमीन कट जाय तो उसकी मालगुजारी कब मुल्तवी या माफ करेंगे । आज की व्यवस्था यह है कि बंगाल का कानून लागू है । उसमें यह है कि लेखपाल जब परताल करने जाय तो कहे कि यह जमीन कट गई है, कटी हुई है, तो जमाबन्दी में मालगुजारी

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

खत्म कर दी जाय । लेकिन अपने प्रदेश के लेखपाल की हालत यह है कि वही सब कुछ है, वही राजस्व मंत्री है जबकि नियम यह है कि जमीन कट जाय या ऐसी आपदा आ जाय तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर को बहुत ही जल्दी उसका निरीक्षण करने के लिये जाना चाहिये । लेकिन यहां होता उल्टा है । यहां लेखपाल जाता है और पड़ताल करने के बाद भी जमाबंदी में उसका नाम आ जाता है । एक नहीं ऐसे हजारों उदाहरण पेश कर सकता हूं । १३ तारीख को भी मैंने कहा था कि जमीन कट गयी है, झोंपड़ी बह गयी है लेकिन उससे भी मालगुजारी बेरहमी के साथ वसूल की जा रही है ।

अगर सरकार को इस धारा में इस प्रकार का कोई संशोधन करने में मजबूरी हो तो माननीय राजस्वमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम नियमावली में इस प्रकार का कोई नियम अवश्य रखें जिससे ऐसे लोगों को राहत मिल सके ।

इसके अलावा इसके लिये कुछ समय भी निर्धारित होना चाहिये । केवल कानूनगो और लेखपाल के ऊपर इसको छोड़ना नहीं चाहिये । नियमावली में यह होना चाहिये कि सितम्बर अक्तूबर के महीने में अगर खेत कट जाय तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिये यह लाजिमी कर दिया जाय कि वह दो महीने के अन्दर यानी नवम्बर या दिसम्बर में इसके बारे में अपनी रिपोर्ट सरकार के पास भेज दे । मालगुजारी साल में दो बार वसूल की जाती है । इसलिये अगर सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट नहीं भेजी जायगी . . . .

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्तावित खंड में तो यह बात नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मेरा कहना तो यह है कि कम से कम नियमावली में इस प्रकार का प्रावीजन कर दें जिससे किसानों को राहत मिले ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—श्रीमान्, हमारी पार्टी का अभी कोई भी नहीं बोला है ।

श्री मैनेजरसिंह—श्रीमन्, हमारे क्षेत्र का तीन-चौथाई भाग प्रभावित हुआ, है, हमको बोलने के लिये थोड़ा समय दें ।

श्री उपाध्यक्ष—मैनेजरसिंह जी, आपकी पार्टी के तो बोल चुके हैं । अब केवल श्री हरिनाथ तिवारी जी बोलेंगे उसके बाद मैं प्रश्न उपस्थित करूंगा ।

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन्, हम लोग बिल की जनरल बहस के समय भी नहीं बोल पाये, हम लोगों के साथ कुछ तो न्याय होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—आप विराजिये । क्यों आप इतना टाइम ले रहे हैं ?

श्री हरिनाथ तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, अभी उधर से माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि उनको बड़ा आश्चर्य हुआ । जब वकील अपना वीक केस आर्ग्यू करता है तो उसके आर्ग्यूमेंट्स को सुनने पर आश्चर्य होता है । कोई वीक केस को आर्ग्यू करता हो लेकिन कोई ऐसा प्वाइन्ट मिल जाता है, या कोर्ट ही उसको बता देती है और फिर उसको सफलता मिल जाती है । वे वकील हैं इसको भलीभांति जानते हैं । लेकिन इससे तो बहुत मौलिक प्रश्न उत्पन्न होते हैं । इसके लिये यह कह देना भूल होगी कि यह एक वीक केस है । आप स्वयं ही वीक केस को आर्ग्यू करते हैं और ऐसा कहते हैं । आप यहां दो चीजों को एक साथ मिला कर कन्फ्यूज करते हैं । या तो आप यही कहिये कि धारबुरा का कानून वहां लागू होगा । अगर वह लागू होगा तो उसी को लागू होने दें, फिर इस कानून की क्या जरूरत है । एक ही जमीन के लिये दो कानून ?

जरा समझने की कोशिश करें कि जब इस पर बंगाल रेगुलेशन ऐक्ट लागू होगा तब आपका ऐक्ट कहां जायगा ? इसी तरह से जो आपने कहा था—"नदी की क्रिया से जब जमीन किसी प्रदेश में बढ़ जाय तो नदी की उस क्रिया के लिये बंगाल रेगुलेशन ऐक्ट है।" उसमें यह कहीं नहीं है कि नदी की जो क्रिया होगी वह ग्रेजुअल एकरीसन की होगी या सडेन एकरीसन की होगी। कहना बहुत आसान है, जैसा कि मंत्री जी भी अक्सर कह देते हैं कि माननीय सदस्य ने इस विधेयक को पढ़ा नहीं है। अगर हमने नहीं पढ़ा है तो आपने ही क्या पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है।

श्री उपाध्यक्ष—दोनों ने पढ़ा है, लेकिन आप अपनी बात कहें।

श्री हरिनाथ तिवारी—माननीय दीपनारायणसिंह के लिये उस दिन यहां तक कह दिया कि "तुलसी बुरा न मानिये"। माननीय कृष्णानन्द राय जी की क्या राय है उसे मैं आपके सामने बतला देना चाहता हूं। "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है), को उस पर लागू करने जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि वह भूमि किसकी है, वहां पर क्या अधिकार था और आप उस अधिकार का क्या करेंगे ? केवल आपके कह देने से वह भूमि जो दूसरे की है आपको मिल जायगी ? वहां केवल धारधूरा वाला नियम ही लागू होगा।

श्री कृष्णानन्द राय—जब हमारी जमीन हो जायगी तब लागू होगा।

श्री हरिनाथ तिवारी—धारधूरा वाला रेगुलेशन लागू होते हुए वह आपकी नहीं हो सकती, इसको आप समझ लें।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह अनकांस्टीट्यूशनल है, जिस समय किसी अदालत के सामने यह जायगा तो अल्ट्रावायरस हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—यह आर्गुमेंट हो चुका है, कोई नयी बात बतावें। हर बात को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं होगा। कांस्टीट्यूशन के बारे में तो सभी ने कहा है।

श्री हरिनाथ तिवारी—मूल प्रश्न यह है कि जिस तरह का अधिकार बंगाल रेगुलेशन ऐक्ट में दिया गया है उसके अनुसार जिसके पास जमीन होगी, वही उसका अधिकारी होगा। आपके एक विधेयक पास कर देने से उसमें अन्तर हो जायगा और न कोई अधिकार हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष—उनका कहना है कि जब जमीन अपनी हो जायगी तब कानून लागू होगा। वे यह नहीं कहते कि इस कानून के जरिये जमीन आ जायगी। इसका जवाब दीजिये आप। बंगाल रेगुलेशन ऐक्ट के मुताबिक जो जमीन उत्तर प्रदेश में आ जायगी, उस पर कौन सा कानून लागू होगा ?

श्री हरिनाथ तिवारी—तब वही बंगाल रेगुलेशन ऐक्ट लागू होगा, आपका नहीं लागू होगा। पुराने टिनेंट के साथ जो कानून लागू था वही कानून लागू होगा, आपका यह कानून नहीं लागू होगा।

कारागार मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री मैनेजरसिंह—श्रीमन्, मुझे भी तो कुछ बोल लेने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जायं।

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री मैनेजरसिंह--इतने में तो श्रीमन्, हम बोल लिये होते।

श्री उपाध्यक्ष--इस खंड पर ५ भाषण हो चुके हैं, अब और ज्यादा मैं एलाऊ नहीं करूंगा। अगर २ भाषण के बाद ही प्रश्न उठता तो मैं आप की बात पर गौर करता।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--वकील के अलावा किसी किसान को भी समय दिया करो....

श्री उपाध्यक्ष--आप बैठ जायं लखीसिंह जी।

इन ४ भाषणों में ही मैंने देखा कि रिपीटिशन बहुत हुआ है....

श्री मैनेजरसिंह--वह तो श्री कृष्णानन्द राय जी ने किया है।

श्री उपाध्यक्ष--अब आप विराजिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त--श्रीमन्, अभी ३ सदस्य उस तरफ की लाबी से आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--लाबी से आ सकते हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त--जब घंटी इतनी देर बजी तो वह क्यों नहीं आये।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--९६,

विपक्ष में--६५।)

*श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक का खंड ३ जिस के ऊपर विचार किया जा रहा है उस के द्वारा केवल यह किया गया है कि जो भूमि उत्तर प्रदेश सरकार की हो जायगी उस के ऊपर जमींदारी अबालिशन ऐक्ट लागू हो जायगा। अब आप अगर विचार करें तो यह बात मानी हुई है कि बिहार और यू० पी० की सीमा गंगा और घाघरा के रहते हुए बदलती ही रहेगी और अगर उसको बदलने की कोशिश करते हैं तो संविधान की धारा ३ का विरोध पड़ता है और जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं कि गंगा और घाघरा ऐसी नदियां हैं कि जिन की धारा बदलती रहती है, तो कोई हदबन्दी कर दी जाय या मुस्तकिल पिलर्स बना दिये जायं जो कभी न हटें। लेकिन यह बात विधान की धारा ३ के खिलाफ पड़ती है। जब तक हम बाउन्डरी चेन्ज नहीं करते तबतक हम धारा ३ के खिलाफ नहीं जाते। अब जब यह चीज मौजूद है तो आप देखें इसमें दिया हुआ है, इसके पहले आर्टिकिल में कि :

"India, that is Bharat shall be the union of all States. The territory of India shall comprise the territories of the states." और स्टेट की टेरीटरी दी हुई है कि जो पुराना यूनाइटेड प्राविन्स था वही उत्तर प्रदेश है। तो सवाल यह है कि यह हमारी सीमा है। अगर्चे गलत है, ठीक नहीं है, संतोष नहीं है तो हम को पार्लियामेंट को मूव करना पड़ेगा वह कोई ऐसी मुस्तकिल सीमा बना दे। फिर यह दिक्कत न हो। यह सूरत हो सकती है कि दरिया के बहाव की वजह से ऐसी बात हो कुछ जमीन उत्तर प्रदेश का अंश हो जाय। बंगाल रेगूलेशन के हिसाब से, जैसा माननीय सदस्य कहते हैं, कुछ जमीन बिहार की रहती है, रहती है। अगर कुछ जमीन उत्तर प्रदेश की हो जाती है तो उसके लिये आप क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश की जो जमीन है अगर वह हो गई, अब उसमें विरोध नहीं है। बंगाल रेगूलेशन ऐक्ट के लिहाज से अगर वह बिहार की जमीन है तो हमारी यह धारा लागू नहीं होगी क्योंकि इसमें लिखा हुआ है "यदि किसी नदी की क्रिया से उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्र बढ़ जाय...." । तो जब बढ़ गया यह मानने के बाद अब उसमें क्या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहते हैं हम कौन सा कानून लागू कर दें, तो कहते हैं जमींदारी उन्मूलन कानून को लागू कर देंगे। जब तक वह जमीन उत्तर प्रदेश में शामिल नहीं होती तब तक इसके लागू होने का सवाल ही नहीं है। तो जो संशोधन करना चाहते हैं वह बहुत सीधा सादा है। न उसमें कोई वैधानिक प्रश्न है न कांस्टीयूशन का सवाल पैदा होता है।

श्री काशीनाथ मिश्र---ओरिजिनल जो ओनर होगा उसकी क्या पोजीशन होगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---जब वह उत्तर प्रदेश में आ जायगी तो बिहार की नहीं रहेगी। लेकिन जब तक यू० पी० में न आवे वह रेगूलेशन लागू रहेगा और उसके हिसाब से वह बिहार को देते रहेंगे तो देते रहें। अगर यू० पी० में जमीन आती है बाई प्रेजुअल ऐक्वीशन, जो बंगाल रेगूलेशन के स्कोप के बाहर है, उसके लिये कोई कानून बनावेंगे ? इस समय आपके पास कोई कानून है ? कोई कानून आपको बनाना है। इसमें हम तो यह कहते हैं कि हमारे प्रदेश का अंश हो जाती है तो हम कौन सा कानून लगावें। हम सदन से कहते हैं आप आज्ञा दें इस कानून को विज्ञप्ति द्वारा मुनासिब संशोधन करके लागू कर सकें और १, २ साल की मुद्दत ले ली है इस ख्याल से आज है, कल चली जाय, न रहे हमारे यहां।

श्री कमलासिंह यादव---जो जमीन कट कर चली गई है और आपके काश्तकार जोत रहे हैं उनकी क्या पोजीशन होगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---इस अमेंडमेंट से जो जमीन हमारी चली गई है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। बंगाल रेगूलेशन के हिसाब से अगर वह हमारी जमीन है तो बिहार सरकार हमसे नहीं छीन सकती। और अगर उस रेगूलेशन की वजह से बिहार की हो गई तो महज इस वजह से हमने पास नहीं किया जो जमीन हमारे यहां आ गई थी यह हम नहीं कह सकते कि नहीं साहब, कुछ हो वह जमीन आप हमारी वापस कर दें।

श्री मैनेजरसिंह---हम भी समझते हैं तथा मंशा नहीं है वह जमीन बिहार की हो जाय। जो मौजूदा कानून है बंगाल एल्युवियल ऐक्ट उसके हिसाब से जमीन उत्तर प्रदेश की होती है। मैं पूछना चाहता हूं आपका जो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम है क्या वह पूरे उत्तर प्रदेश पर लागू है या कोई ऐसी व्यवस्था है कि जिस तारीख....

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---कानून केवल यही है जब जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू किया गया तो उस समय जितनी उत्तर प्रदेश में जमीन थी उस पर वह लागू है। अब जो जमीन आगे बढ़ती है....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में यह लिखा हुआ है कि रीवर का जो "इन ऐक्शन" होगा उससे जमीन बढ़ेगी और इस अधिनियम के जरिये आप उसे उत्तर प्रदेश में शामिल करना चाहते हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---इस अधिनियम के जरिये जो भूमि हमारे उत्तर प्रदेश की अंश हो जायगी उसमें हम यह कानून लागू करेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---जब जमींदारी उन्मूलन कानून बना तो उस समय सूबे की जमीन देखते हुए तमाम व्यवस्थायें की थीं और इस अधिनियम के जरिये नई एरिया ही तो आप बढ़ाने जा रहे हैं तो यह क्या आपको हक है ?

श्री उपाध्यक्ष---आप स्पीच नहीं दे सकते।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय---मैं क्लेरिफिकेशन चाहता हूं।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---हम यह चाहते हैं कि इस समय जितनी जमीन उत्तर प्रदेश में है उस पर यह अधिनियम लागू हो । अब जो जमीन आती है उस पर कोई न कोई कानून लगाना ही है । या तो सदन और कोई कानून पास करता कि जो ऐसी जमीन आयेगी उस पर वह कानून लागू होगा या हमको यह अधिकार दे दे कि इसी अधिनियम के जो उचित संशोधन हैं उनको करके उस जमीन पर लागू कर दें । लिहाजा इस धारा के जरिये, मैं यह चाहता हूं कि यह अधिकार दे दिया जाय । इससे ज्यादा हम कोई अधिकार नहीं चाहते हैं और हम यह नहीं चाहते कि इस संशोधन के जरिये, इस धारा के जरिये बिहार की जमीन, बंगाल की जमीन ले लें ।

श्री कमलासिंह यादव---क्या बिहार सरकार आपकी बात मानने को तैयार है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह तो मुस्तकिल बाउन्डरी का सवाल आर्बिट्रेशन को दे दिया गया है ।

श्री मैनेजरसिंह---आपने कहा, जमींदारी उन्मूलन जिस दिन लागू हुआ उस दिन जो रकबा उत्तर प्रदेश के अन्दर था उसी पर वह लागू है । तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन-सी धारा उस अधिनियम में है जिसमें यह व्याख्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---धारा पढ़ लीजिये, किताब में लिखी हुई है ।

श्री मैनेजरसिंह---मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठें । वह जवाब नहीं देना चाहते । आप मजबूर नहीं कर सकते ।

श्री मैनेजरसिंह---आप सुन लें । मैं यह जानना चाहता था कि माननीय मन्त्री ने यह कहा कि जमींदारी उन्मूलन जिस दिन से लागू हुआ उस दिन जो क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में था उसी पर वह लागू होता है लेकिन मैंने इस अधिनियम को पढ़ा और उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है । तो मैं यह जानना चाहता था कि कौन सी धारा उस अधिनियम में है जिसमें यह प्राविधान है ?

श्री उपाध्यक्ष---जवाब देना चाहेंगे तो दे देंगे ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---१११,
विपक्ष में---७४ ।)

खंड ४

१९५१ ई० के उ० प्र० अधिनियम संख्या १ की धारा ११७ का प्रतिस्थापन

४---मूल अधिनियम की धारा ११७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

कुछ भूमि आदि का गांव सभा में निहित होना

"११७---(१) धारा ४ में उल्लिखित विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाने पर किसी समय राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकती है कि निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से (जो इस अध्याय में आगे निर्दिष्ट दिनांक कहा जायगा)---

(१) तत्समय किसी खाते या बाग के अन्तर्गत भूमि को छोड़ कर अन्य सभी भूमि चाहे वह कृषि-योग्य हो या न हो,

(२) गांव की सीमाओं के भीतर स्थित सब जंगल,

(३) सभी पेड़ (खाते में या खाते की सीमा पर या बाग या आबादी में स्थित पेड़ों को छोड़ कर),

(४) मीनाशय,

(५) ऐसी भूमि पर, जिस पर धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (क) से (ग) तक के उपबन्ध लागू होते हों या धारा ९ में अभिदिष्ट भूमि पर लगने वाली हाटों, बाजारों और मेलों से भिन्न, हाट, बाजार और मेले और

(६) तालाब, पोखर, निजी नाव घाट, जल प्रणालियां (water channels), रास्ते और आबादी के स्थल (abadi sites), जो मंडल में स्थित हों और इस अधिनियम के अधीन राज्य में निहित हुए हों, उस मंडल के लिये स्थापित गांव सभा में निहित हो जायेंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि वह खंड (१) से (६) तक में उल्लिखित सभी या किसी वस्तु के सम्बन्ध में पूर्वोक्त प्रख्यापन करे और ऐसा करने में वह ऐसे अपवाद करे अथवा ऐसी शर्तें लगाये जिन्हें वह विज्ञप्ति में निर्दिष्ट करे।

(२) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकती है कि निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से उपधारा (१) के खंड (१) से (६) तक में निर्दिष्ट सभी या कोई भी वस्तुएं जो, गांव के किसी ऐसे भाग के सम्बन्ध में जो ७ जुलाई, १९४९ ई० के बाद, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९, यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६, यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ अथवा कन्टोनमेंट्स ऐक्ट, १९२४ के उपबन्धों के अधीन, यथास्थिति, किसी नगर, नगर पालिका, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया, या छावनी में सम्मिलित हो गया हो, इस अधिनियम के अधीन राज्य में निहित हुई हों, उस गांव सभा में निहित होंगी जो उस गांव के शेष भाग के लिये स्थापित की गयी हो।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २, १९५९

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६, यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१४, ऐक्ट संख्या २, १९२४

(३) यदि उपधारा (१) के खंड (१) से (६) तक में निर्दिष्ट प्रकार की कोई वस्तु उप-धारा (२) के अधीन किसी गांव सभा में निहित कर दी गयी हो तो, यथास्थिति, वह गांव सभा या उसकी भूमि प्रबन्धक समिति गांव के उस भाग के लिये उस वस्तु के सम्बन्ध में तथा गांव के उस भाग में स्थित खातों के क्षेत्रों के सम्बन्ध में ऐसे कृत्यों का संपादन, कर्त्तव्यों का पालन तथा अधिकारों का प्रयोग करेगी जो कि ऐसी वस्तु या क्षेत्र के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गांव सभा या भूमि प्रबन्धक समिति को अभ्यर्पित या उस पर आरोपित या उसे प्रदत्त हों।

(४) राज्य सरकार, किसी भी समय गजट में विज्ञप्ति द्वारा उपरोक्त किसी वस्तु के सम्बन्ध में या तो सामान्य रूप में, या किसी गांव सभा के सम्बन्ध में

उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति को संशोधित या रद्द कर सकती है और ऐसी वस्तु वापस ले सकती है, और जब कभी राज्य सरकार इस प्रकार कोई वस्तु वापस ले तो गांव सभा केवल किसी ऐसे विकास के लिये, यदि कोई हो, जो उसके द्वारा वस्तु में या उस पर किया गया हो, प्रतिकर पाने की हकदार होगी और उसे इस प्रतिकर का भुगतान किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

१९५१ ई० के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १ की धारा ११७–क का प्रति-स्थापन।

५—मूल अधिनियम की धारा ११७–क के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

कतिपय भूमि आदि का स्थानिक अधिकारी की में निहित होना

"११७–क—(१) धारा ११७ में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकती है कि ऐसे दिनांक से जो निर्दिष्ट किया जाय किसी गांव में स्थित उक्त धारा की उप-धारा (१) के खण्ड (१) से (६) तक में निर्दिष्ट सभी या कोई वस्तु जो इस अधिनियम के अधीन या अन्य रूप से राज्य में निहित थी, उक्त पूरे गांव के लिये स्थापित किसी भी अन्य स्थानिक अधिकारिकी (local authority) में निहित होगी।

(२) यदि धारा ११७ की उप-धारा (१) के खंड (१) से (६) तक में निर्दिष्ट प्रकार की कोई वस्तु, इस धारा की उपधारा (१) के अधीन या उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की उपधारा १२६ के अधीन किसी स्थानिक अधिकारिकी में निहित कर दी गयी हो तो ऐसा स्थानिक अधिकारिकी उस पूरे गांव के लिये उस वस्तु के सम्बन्ध में तथा उस पूरे गांव में स्थित खातों के क्षत्रों के सम्बन्ध में ऐसे कृत्यों का संपादन, कर्तव्यों का पालन तथा अधिकारों का प्रयोग करेगा जो कि ऐसी वस्तु या क्षेत्र के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन गांव सभा या भूमि प्रबन्धक समिति को अभ्यर्पित या उस पर आरोपित या उसे प्रदत्त हों।

(३) स्थानिक अधिकारिकी इस धारा के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन, कर्तव्यों के पालन और अधिकारों के प्रयोग में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। जो नियत की जाय।

(४) धारा १२६ और १२७ के उपबन्ध, ऐसे अपवादों और परिष्कारों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, उपधारा (१) में अभिविष्ट स्थानिक अधिकारिकी पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

(५) धारा ११७ की उपधारा (४) के उपबन्ध, उपधारा (१) के अधीन स्थानिक अधिकारिकी में निहित वस्तुओं के वापस लेने पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।"

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)---श्रीमन्, हमें इसका विरोध करना है।

श्री उपाध्यक्ष---आप पहले तो करते नहीं हैं।

प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---श्रीमन्, मैंने कहा था कि मुझे खंड ५ का विरोध करने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---आप खड़े नहीं हुए। अब आप विराजिये। अगर आप ठीक वक्त पर विरोध करने के लिये खड़े हों तो मैं अवश्य पुकारूंगा।

प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्न मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---१२१,

विपक्ष में---७९।)

खंड ६

६---मूल अधिनियम की धारा १२७-ख के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय--

१९५१ ई० के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १ में नयी धारा १२७-ग का रखा जाना

"१२७-ग---(१) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ द्वारा संशोधित होने के पूर्व इस अधिनियम के अधीन संगठित समस्त गांव समाज समाप्त हो जायेंगे और तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम या उक्त विधि के अधीन जारी की गयी किसी विज्ञप्ति नियम या आज्ञा में अथवा किसी संविदा या अन्य लेख में किसी गांव समाज का निर्देश, यथासम्भव उस गांव समाज के क्षेत्र के लिये स्थापित गांव सभा का निर्देश समझा जायगा।

गांव सभा के सम्बन्ध में संक्रमणकालीन उपबन्ध

(२) इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमिति या किसी संविदा के अधीन किसी गांव समाज में निहित या उसकी अपनी, सभी प्रकार की संपत्ति, कोष तथा अधिकार और उस पर आरोपित समस्त दायित्व, उनसे सम्बन्धित सभी शर्तों और प्रासंगिक बातों (incidents) के अधीन रहते हुए, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ द्वारा इसके संशोधित किये जाने के दिनांक से, गांव समाज के क्षेत्र के लिये संघटित गांव सभा की सम्पत्ति, कोष, अधिकार तथा दायित्व हो जायेंगे।

(३) सभी वादों तथा कार्यवाहियों में, जिनमें गांव-समाज एक पक्ष हो, उक्त गांव समाज के क्षेत्र के लिये संघटित गांव-सभा एक पक्ष के रूप में गांव समाज के स्थान पर प्रतिस्थापित की जायगी और की गयी समझी जायेगी और वह ऐसी सभी कार्यवाही करने की हकदार होगी जिससे करने की हकदार वह उस दशा में होती जब वह प्रारम्भ से ही वाद या कार्यवाही का एक पक्ष होती।"

श्री मैनेजरसिंह—श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता। खंड ६ आपके सामने है। कोई साहब विरोध करना चाहें तो खड़े हो जायं। वे विरोध कर सकते हैं।

श्री मैनेजरसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, हमारी जो प्रक्रिया नियमावली है उसकी धारा १३१ में यह व्यवस्था है कि माननीय सदस्यों को यह अधिकार है कि किसी भी बिल के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण मांगें जिस समय यह सवाल उठाया गया तो उस वक्त कहा गया कि इसमें जो जमीन आयेगी उसके सम्बन्ध में संशोधन है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि वह जमीन आ गयी है। लेकिन इसके उद्देश्य पर आप गौर करें।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह तो जो चीज पास हो गयी उसके बारे में आप व्यवस्था का प्रश्न कर रहे हैं। खंड ५ के बारे में व्यवस्था नहीं हो सकती।

श्री मैनेजरसिंह—खंड ५ के बारे में नहीं। मैं विधेयक के बारे में कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—उसके बारे में भी नहीं हो सकती।

श्री मैनेजरसिंह—इसमें माननीय राजस्व मन्त्री ने गलतबयानी की है। अब मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाऊंगा। आप इसे नोटिस समझिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, ...

*श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—एक बात मैं आपको बतला दूं। खंड ६ के जो हमने उपखंड (१), (२), (३) लिखे हैं, वह सदन में पास हो चुके हैं, आलरेडी। यह जिला परिषद् विधेयक जो है इसको अगर आप देखें, इसमें शेड्यूल ८ जो है इसमें दिया हुआ है, धारा ११७ को आपने संशोधन किया है और इसकी उपधारा (३), (४) और (५) हैं, वह हमने यहां (१), (२) और (३) की सूरत में रख दी हैं। इसके बाद भी आपत्ति हो तो आप जरूर कह सकते हैं।

श्री मैनेजरसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने सामान्य विवाद में कहा था, एक जगह क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम में आपने पास करवा लिया। फिर उसी को आप यहां लाते हैं। आप खिचड़ी बना रहे हैं या क्या बना रहे हैं? आप का न दिल व दिमाग साफ है और न आपका विधेयक साफ है। जब हम उस पर विचार करने जा रहे हैं तो आप कहते हैं वह स्वीकार कर चुके हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब अधिनियम में आ गया है तो फिर दोहराने की क्या आवश्यकता है? क्या यह समय का अपव्यय नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष—कोई न कोई आवश्यकता होगी। उसे वह बतायेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—उपाध्यक्ष जी, यह बात सही है कि अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक में यह धारा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस की जरूरत क्या थी यहां लिखने की? सिर्फ कह देते कि क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक में जैसी व्यवस्था है वही यहां होगी। लेकिन जब यह धारा इस विधेयक में आ गयी है तो लोगों का विचार सुनना चाहिये। सरकार का बहुमत है उसमें शुबहे की बात है नहीं। इसमें भी शुबहे की बात नहीं है कि वह नामन्जूर करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, अभी जो इसी विधेयक की पिछली धारायें इस आदरणीय सदन ने पास कीं धारा ४ और ५ जिसमें गांव समाज को व्यापक अधिकार दिये गये हैं उसके साथ-साथ जो आपने ५ में उल्लिखित कर दिया लोकल एथारिटी, उस लोकल एथारिटी के सवाल को लेकर भी बहुत सी गड़बड़ी पैदा हो सकती है। ड्राफ्टिंग में साफ तरीके से यह कहना चाहिये था कि लोकल एथारिटी की जगह पर ग्राम प्रधान या गांव समाज, इस ढंग की चीज हो जाती तो यह लोकल एथारिटी से जो कठिनाई उत्पन्न होगी कानून की निगाह में या न्यायालयों में, उससे जो वकीलों को बहस करने का मौका मिलेगा, वह नहीं होता। लेकिन धारा ६ में जिस तरीके से माननीय मन्त्री जी ने भी कहा कि धारा ६ के उपबन्ध (१), (२) और (३) जो हैं ये जिला परिषद् और क्षेत्र समिति अधिनियम में पहले ही पास हो चुके हैं, तो एक ही चीज दो-दो, तीन-तीन जगह लायी जाती है, व्यवहार में जब यह चीज आयेगी तो शासन को उसमें बड़ी कठिनाई पड़ सकती है और एक तरह से गांव समाज, क्षेत्र समिति और जिला समिति के आपसी अधिकारों को लेकर के यह झगड़े वहां पर खड़े हो सकते हैं। तो साफ तौर पर इसे रखना चाहिये था। और यह धारा ६ में जो लिखा गया है यह धारा ५ और और ६ में खुद एक तरह का विरोधाभास है। एक तरफ तो धारा ४ और ५ में गांव समाज को पूरा हक देते हैं और वहीं धारा ६ में उस हक को काट देते हैं। तो यह विरोधाभास है धारा ४ और ५ से धारा ६ का। मैं चाहता हूं कि ग्राम समाज का हक बिलकुल बरकरार रहे और मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन का ध्यान भारतीय संविधान की धारा १४ की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जायगा। लेकिन हम जहां भी देखते हैं राज्य सरकार यह लिख देती है कि राज्य-सरकार विज्ञप्ति द्वारा....तो इस तरह की व्याख्या के इस सदन से पास हो जाने से या रूल्स वगैरह के बनाने में भी ठाकुर साहब कह देंगे कि बिना रूल बनाये कैसे होगा, सरकार को तो अधिकार होना ही चाहिये, लेकिन इस तरह की विज्ञप्तियों के लिये जो हर कानून में पास कर देते हैं कि राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा यह करेगी, यह हक जो सरकार हासिल करती है मैं समझता हूं कि यह व्याख्या हमारे भारतीय संविधान की धारा १४ का उल्लेख करती है। तो जहां कहीं भी इस तरह का अधिकार सरकार अपने हाथ में लेती है वह हमारे जनतन्त्र के अधिकारों का कुठाराघात है।

श्री उपाध्यक्ष—इसमें तो सिर्फ यह है कि....

श्री काशीनाथ मिश्र—इसमें नहीं है। वह तो हम समझते हैं कि क्या बात है। इसके ऊपर है इसलिये मैंने कहा।

श्री उपाध्यक्ष—तो क्लाज ६ पर कहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर धारा ६ न भी रहेगी तो मन्त्री जी का मकसद पूरा हो जायगा। धारा ४ और ५ काफी हैं। इसलिये धारा ६ की हम कोई जरूरत नहीं समझते हैं।

श्री मैनेजरसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक धारा ६ का प्रश्न है मैं इसे अनावश्यक समझता हूं और मैं चाहता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री जी इसको वापस ले लेवें। जहां तक इसके उद्देश्य और महत्व का सवाल है उसे मैं स्वीकार करता हूं और मैं इसकी भावना को भी स्वीकार करता हूं। हमारे इस प्रदेश की जनता की एक मांग थी कि इस प्रदेश में गांव समाज का जो मौजूदा ढांचा आज तक चला आ रहा है वह समाप्त हो जाय और गांव समाज गांव सभा के मातहत हो जायं और भूमि प्रबन्धक समिति गांव पंचायत की सब कमेटी हो। जन-भावना के दबाव के कारण सरकार ने इसे स्वीकार किया लेकिन मैं खेद के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार ने इसको हृदय से स्वीकार नहीं किया।

[श्री मैनेजरसिंह]

यदि सरकार ने इसको इस भावना से स्वीकार किया होता तो मैं इस आदरणीय सदन में माननीय राजस्व मन्त्री को इसके लिये धन्यवाद और बधाई देता। मैं यह कहने के लिये इस लिये विवश हो रहा हूं कि क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम के स्वीकृत हो जाने के बावजूद और इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद भी आज तक गांव समाजों का वही रूप है जो पहले था। आज भी उसके रूप में परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्व मन्त्री जी इस धारा को यहां पर जोड़कर समय और पैसे का दुरुपयोग करना चाहते हैं। अब तो आवश्यकता इस बात की है कि राजस्व मन्त्री या उनकी सरकार यह आदेश जारी करे कि जो संशोधन जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धाराओं के सम्बन्ध में क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है उसको कार्यान्वित किया जाय। मैं राजस्व मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वे जब जवाब देने के लिये खड़े हों तो इस बात को साफ रखें कि कब इसको लागू करने जा रहे हैं। इस नियम को, इस कायदे को कब से लागू किया जायगा? जब यह कायदा स्वीकृत हो चुका है और माननीय सदन ने स्वीकृत किया है तो फिर उसको लागू करने का सवाल है न कि उसको दुबारा पास करने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर मुझे एक अभिभावक की बात याद आ गई। उसका लड़का दर्जा ४ से पास हो गया। उस लड़के ने अपने पिता से कहा कि अब मुझे दर्जा ५ में दाखिल करा दो। उसका पिता टालता गया। लेकिन जब लड़के का बहुत दबाव पड़ा तो उसके पिता ने कहा कि नहीं, अभी एक वर्ष और इसी कक्षा में रहो। उसके पिता का कहना था कि अभी दर्जा ४ में ही रहो ताकि दर्जा ४ से तुम मजबूत होकर निकलोगे और तब तुमको दूसरे स्कूल में भेजेंगे। उसी अभिभावक की हालत हमारे राजस्व मन्त्री जी की है। वे योग्य मंत्री हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि यह दोबारा पास हो ताकि मजबूती के साथ यहां से निकले। इसी वजह से मुझे उस अभिभावक की बात याद आई। मुझे मन्त्री जी क्षमा करेंगे। मैं आपके द्वारा श्रीमन्, मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि धारा ६ अनावश्यक यहां पर रखी गई है, इसको वापस लेने की कृपा करें। क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम में जो संशोधित धारा है, वहां इसी रूप में हैं। उसको ही स्वीकार करें। हम सब की इच्छा है कि इस प्रदेश में जो गांव समाज का ढांचा है वह बदले और उस पर ग्राम पंचायत का पूर्ण नियन्त्रण हो। हमें इसकी भावना से विरोध नहीं है। लेकिन खेद इस बात का है कि प्रदेश की बदकिस्मती से रेविन्यू विभाग के अधिकारी का ही उत्तर प्रदेश में शासन चल रहा है। यह कोई अलग प्रश्न नहीं है। इस प्रदेश में माल विभाग के अधिकारियों का शासन चल रहा है इसका ज्वलन्त उदाहरण यह है कि आज गांव समाज की रचना उसी आधार पर है....

श्री उपाध्यक्ष—आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री मैनेजरसिंह—इसकी जो अहमियत है उसी पर मैं यह कह रहा हूं। अगर आप की आज्ञा होगी तो मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन मैं यह कह रहा था कि माल विभाग के अधिकारियों का यहां के राज्य पर नियन्त्रण है और राजनीति पर नियन्त्रण है। इसी वजह से आपके प्रदेश का यह मामला लटका हुआ है। माल विभाग के अधिकारियों के कहने के अनुसार ही आप यह संशोधन इसमें डाल रहे हैं और अगर इसके लिये दूसरा भी संशोधन करने के लिये वे कहेंगे तो और संशोधन कर दिया जायगा। इसलिये मैं कह रहा था कि यह अनावश्यक है। उधर राजस्व मन्त्री वकील हैं और इन वकीलों की वकालत में कहीं मुवक्किलों का गलान कट जाय। इसलिये मैं आपसे विशेष आग्रह करता हूं कि आप इधर भी अपना ध्यान ले जाइये और माननीय राजस्व मन्त्री जी से यह बात कहें कि वह इस बात की सफाई दें और आश्वासन दें कि अधिनियम की इन धाराओं को वह कब तक लागू कर रहे हैं, कब से गांव समाज का स्वरूप समाप्त हो रहा है और लेखपाल और तहसीलदार

का शासन जो चल रहा है और जिस तरह से वे जनता का रुपया अपव्यय कर रहे हैं वह कब से रुक रहा है। पंचायतें कब से पुष्ट हो रही हैं। इसलिये मैं इस धारा को अनावश्यक समझता हूं और आग्रह करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसे वापस करें।

श्री दीपनारायणसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम समय लूंगा, वजह यह है कि मैं टु दि प्वाइंट बोलना चाहता हूं। मैं अपनी आदत खराब नहीं करना चाहता क्योंकि बाहर अदालत में इसी प्रकार बोलने की आदत बनी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, उधर जो मन्त्री लोग इकट्ठा हैं उनमें हाई कोर्ट तक के वकील हैं और मैं उनके सामने एक बात रखता हूं। जब यू० पी० जमींदारी एबालिशन ऐक्ट बना उसका संशोधन है खंड ६....

श्री उपाध्यक्ष—जी नहीं।

श्री दीपनारायणसिंह—न सही। गांव सभा बनायी गयी। पहिले उस समय जितने मुकदमे थे सब गांव सभा फरीक बनायी जाती थी। गांव पंचायत के चुनाव हुये थे और उसके करों में भूमि प्रबन्धक समितिया गांव समाज का निर्माण हुआ। फिर गांव सभा की जगह गांव समाज फरीक मुकदमा हुआ। फिर गांव सभा फरीक मुकदमा होकर आ रही है। तो लौट के बुद्धू घर को आये। तो गांव सभा से गांव समाज और फिर गांव समाज से लौट कर गांव सभा आ गयी। तभी तो लौट के बुद्धू घर को आये। जब अभी खटाई में पड़ी हुई है क्षेत्र समिति वाली बात। अभी तो एक-एक के मानकार प्रमुखों के ही चुनाव हुए हैं और इसी में संशोधन लाने की जरूरत आ पड़ी।

श्री उपाध्यक्ष—आप विषय पर ही रहिये।

श्री दीपनारायणसिंह—मेरा खयाल यह है कि शायद आगे चुनाव न हों। तो इस हेर-फेर करने से क्या फायदा? लोग हंसेंगे कि यह अजीब प्रजातन्त्र है, अजीब मिनिस्टर्स हैं, अजीब सरकार है। एक नहीं दस बार संशोधन करते हैं और फिर घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं। यह तकलीफदेह बात है। चाहे वहां गांव सभा रहे या गांव समाज, उसमें कोई खास अन्तर नहीं पड़ता। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री वही व्यवहार कर रहे हैं कि लौट के बुद्धू घर को आये। अगर यह बात है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं उनको बुद्धू नहीं समझता, मैं उनको होशियार समझता हूं....

श्री दीपनारायणसिंह—वह मेरे बड़े भाई हैं, लोग यह न कहें कि लौट के बुद्धू घर को आये, इसीलिये मैं यह निवेदन कर रहा हूं। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री धर्मदत्त वैद्य—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि....

(व्यवधान)

इसमें कोई ऐसी बात या चीज नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था....

श्री उपाध्यक्ष—इसमें कोई चीज नहीं है, इसलिये मैंने ३ भाषणों के बाद इसको लिया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि उधर के माननीय सदस्यों को तो कोई जरूरत नहीं है। यदि जरूरत होती तो संशोधन वापस नहीं होता। इससे जो सरकार के मन में है वह उनके लिये काफी है। लेकिन हम लोग भी कुछ जिम्मेदारी लिये हैं। उसको भी हम लोगों को वहन करने की छूट दी जाय। अभी जिस धारा पर बहस हुई और जिस पर केवल ३ ही माननीय सदस्य केवल ५-५ मिनट बोले हैं, मैं नहीं समझता हूं कि इस पर क्लोजर मूव करने की क्या आवश्यकता है। अभी आपने कोई फैसला लिया नहीं है।

श्री धर्मदत्त वैद्य—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न उपस्थित करने का प्रस्ताव कर चुका हूं। इसलिये यह कैसे बोल रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—आप विराजिये माननीय रामसुन्दर जी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं माननीय धर्म दत्त वैद्य जी के प्रश्न का विरोध कर रहा हूं। जब आपने इस सदन में यह फैसला नहीं लिया है या आपका आदेश नहीं हुआ है धारा पर विचार करने के सम्बन्ध में, तो आप कैसे....

श्री उपाध्यक्ष—आप जरा विराजिये। मैं कह रहा हूं। यह आपकी तरफ से गलती बताई गई कि केवल यह एक दफा पास होगा और दूसरी दफा नहीं आना चाहिये। आप देखें कि ऐसी मामूली बात पर भी ३ स्पीचेज हो चुकी हैं। इसके बाद मैं समझता हूं कि इसमें क्लोजर का टाइम है। सदन का समय बहुत कीमती होता है इसलिये उसका ठीक-ठीक उपयोग करना चाहिये। आपका अगर गम्भीर प्रश्न होता तो मैं और एलाउ कर देता जैसा मैंने पहले भी किया है। मैंने क्लोजर मूव करने की मंजूरी दे दी है और यह ठीक है।

(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि इस उपस्थित विवाद को समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई)

श्री उपाध्यक्ष—मैं चाहता हूं कि सही तरीके पर काम चले। जहां जरूरत हो वहां आप ज्यादा लोग बोलें और अपना मत व्यक्त करें और जहां जरूरत न हो वहां समय न नष्ट करें।

श्री कृष्णपालसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, आज की बहस में उधर के लोगों को कोई दिलचस्पी तो है नहीं परन्तु इधर के लोग बोलना चाहते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि घंटी बजती है और बजने के बीच में माननीय सदस्य बाहर से दौड़कर आते हैं, जिनको यह मालूम नहीं होता कि किस लिये घंटी बजी है और कौन सा विधेयक पेश है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से जो लोग घंटी बजने पर आते हैं उनको बिना जाने-बूझे हाथ नहीं उठाना चाहिए जिस प्रकार से उठाते हैं। इस पर आपकी व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्यों को यह कहना कि वह जानते नहीं हैं, यह अनुचित बात है और ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। माननीय सदस्य जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे।

प्रश्न यह है कि उपस्थित विवाद बन्द किया जाय। (व्यवधान)

एक सदस्य—बिला वजह लोग खड़े हो जाते हैं, यह आप की शोभा के खिलाफ है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मुझे आपत्ति है, हमें पता होना चाहिए कि किसके पक्ष में 'हां' कहें और किसके पक्ष में 'नहीं' कहें।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—११७

विपक्ष में—७८।)

*श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २७३ के अनुसार यह था कि अनुसूची ८ में दिये गये अधिनियमों का संशोधन उक्त अनुसूची में उल्लिखित रूप से तथा समय तक किया जायगा....

श्री उपाध्यक्ष—आप यह समझा दें कि इसे इस विधेयक में क्यों लाए ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—अनुसूची जो ८ है उसमें धारा ११७ का संशोधन खंड ३, ४, और ५ के द्वारा कर दिया गया और इस वक्त यह समझा जायगा कि जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट में वह संशोधन मौजूद है। अब हम यह कर रहे हैं कि इनके जरिये से ३ धाराओं की एक धारा बना करके उसको बजाय ११७ धारा की जगह रखने के उसको १२७ के बाद १२७ (बी) के अनुसार जगह दे रहे हैं जो मुनासिब जगह है। तो ये दोनों चीजें इस वक्त मौजूद हैं और चूंकि ११७ धारा का आज हमने संशोधन किया है तो ३ खंड हमारे पास हैं। या तो उन्हें यहीं रहने दें या इसकी एक धारा बनाकर उचित जगह पर इसको रख दिया जाय। धारा १२७—बी के बाद यदि हम इन उपखंडों की एक धारा बना कर रख दें तो वह उसकी उचित जगह है। इसलिये इस संशोधन द्वारा हम उन उप-खंडों की एक धारा बना कर रख रहे हैं, इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है। जो संशोधन हमने स्वीकार किये हैं उसके बाद यह आवश्यक हो जाता है कि उनकी एक धारा बनायें। उसको कहां रखें, यह सवाल है। उसके लिये यही जगह उचित है और इसलिये हमने यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

७—मूल अधिनियम की धारा १३७ में—

१९५१ ई० के उ० प्र० अधिनियम सं० १ की धारा १३७ का संशोधन

(१) उपधारा (२) में शब्द "उसके दिनांक से" के स्थान पर शब्द तथा अंक "उस दिनांक से जब धारा १३४ में अभिदिष्ट धनराशि जमा कर दी गयी हो" रख दिये जायं, और

(२) उपधारा (२—क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(२—क) यदि उपधारा (१) में अभिदिष्ट धनराशि कृषि-वर्ष के प्रथम दिनांक से भिन्न किसी दिनांक को जमा की जाय तो भूमिधर द्वारा उपधारा (२) के खंड (ख) के अधीन उस कृषि वर्ष के अवशिष्ट भाग के लिये, जिसमें धनराशि जमा की जाय, देय मालगुजारी उस रीति से अवधारित की जायगी, जो नियत की जाय।"

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

८—मूल अधिनियम की धारा १५४ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाये:—

१९५१ ई० के उ० प्र० अधिनियम सं० १ की धारा १५४ का प्रतिस्थापन

भूमिधर द्वारा संक्रमण पर प्रतिबन्ध

"१५४—(१) उपधारा (२) और (३) में की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये, किसी भी भूमिधर को चाय के बागान से भिन्न कोई भूमि (दानोत्तर प्रयोजन के निमित्त स्थापित संस्था से भिन्न) किसी व्यक्ति को विक्रय या दान द्वारा संक्रामित करने का अधिकार न होगा यदि वह व्यक्ति उक्त विक्रय या दान के परिणामस्वरूप अपने द्वारा पहले से धृत भूमि को, यदि कोई हो तो, मिलाकर अथवा अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश में १२ १/२ एकड़ से अधिक भूमि का हकदार हो जाय।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(२) भूमिधर किसी भूमि को निर्दिष्ट औद्योगिक प्रयोजन के लिये विक्रय या दान द्वारा किसी भी व्यक्ति को संक्रामित कर सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त भूमि का क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल से अधिक न हो जो औद्योगिक प्रयोजन के लिये उक्त व्यक्ति द्वारा अपेक्षित निर्दिष्ट किया जाय।

(३) राज्य सरकार उपधारा (१) में नियत सीमा से अधिक का संक्रमण करने का प्राधिकार दे सकती है यदि उसकी यह राय हो कि ऐसा संक्रमण किसी ऐसी निबंधित (रजिस्टर्ड) सहकारी समिति के हक में है, जिसके पास उसकी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त भूमि नहीं है, अथवा संक्रमण सर्वसाधारण के हित में है।

(४) यदि कोई भूमि जो निर्दिष्ट औद्योगिक प्रयोजन के लिये संक्रमित की गई हो, या ऐसी भूमि का कोई भाग, जो उपधारा (१) में नियत सीमा से अधिक हो, निर्दिष्ट औद्योगिक प्रयोजन के निमित्त, निर्दिष्ट अवधि या ऐसी बढ़ायी गई अवधि, जिसकी अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी जाय, उपयोग में न लाई जाये, या उसे किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जाय, तो धारा १६३ के प्रयोजन के लिये ऐसी अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में संक्रमण इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करके किया गया समझा जायगा।

स्पष्टीकरण १—इस धारा के प्रयोजनों के निमित्त परिवार के अन्तर्गत गृहीता स्वयमेव, उसकी पत्नी या पति, जैसी भी दशा हो, तथा उसके अल्पवयस्क बच्चे होंगे।

स्पष्टीकरण २—"निर्दिष्ट" का तात्पर्य उद्योग निदेशक, (Director of Industries), उत्तर प्रदेश द्वारा नियत आकार-पत्र में अनुदत्त प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट से है।

*श्री कमलासिंह यादव—उपाध्यक्ष महोदय, जिस रूप में यह खंड ८ सदन में प्रस्तुत है, मैं उसका घोर विरोध करता हूं। घोर विरोध इसलिये करता हूं कि इसकी धारा, जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की, १५४ की डिफिनीशन को देखा जाय। वह इस प्रकार है—

"No Bhumidhar shall have the right to transfer, by sale or gift, any land other than tea gardens to any person (other than an institution established for a charitable purpose) where such person shall, as a result of the sale or gift, become entitled to land which together with land, if any, held by himself or together with his family, will in the aggregate, exceed 12 1/2 acres in Uttar Pradesh.

Explanation—For the purposes of this section a family shall include the transferee himself, his wife, or husband, as the case may be, and his minor children."

श्रीमन्, इस धारा में भूमिधरों के जो राइट्स हैं ट्रान्सफर के उस पर एक सीलिंग की गयी है और एक सीमा निर्धारित की गयी है कि कोई भी भूमिधर अपनी जमीन को उस सीमा से बाहर किसी को नहीं बेच सकता, या ट्रान्सफर नहीं कर सकता है। वह इसलिये कि अगर कोई भी आदमी किसी के हाथ जमीन बेचता है और उस आदमी के पास कुछ लैंड है जिसको मिला कर साढ़े १२ एकड़ हो जाती है तो उसके परे जो जमीन होती है वह नाजायज तौर पर ट्रान्सफर की गयी समझी जायेगी। मेरा मतलब यह है कि अगर किसी आदमी के पास साढ़े १२ एकड़

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भूमि हो तो वह जमीन और नहीं खरीद सकता है। इस सीलिंग का ध्येय था कि यह कांग्रेसी सरकार और गांधी जी कहा करते थे कि खेत उसी का है जिसके हल के नीचे वह हो। मंशा यह थी कि जो खेत को जोतने वाला है उसी को खेत मिले लेकिन वाकया यह है कि खेत जोतने वालों के पास जमीन नहीं है, वह मजदूरी का काम करता है और खेतों का मालिक वह है जो खेती का काम करता नहीं है बल्कि मजदूरों के जरिये काम कराता है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास ज्यादा भूमि है और दूसरे ऐसे लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है। इसके लिये यह सोचा गया कि ऐसे लोग जब दूसरे को जमीन ट्रान्सफर करें तो साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा कोई अपने पास जमीन नहीं रख सकेगा और वह आदमी खरीद भी नहीं सकेगा जिसके पास इतनी जमीन पहले से मौजूद है। लेकिन अगर इस प्रावीजन के खिलाफ कोई आदमी ट्रान्सफर करता है तो वह ट्रान्सफर नाजायज समझा जायगा। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान धारा १८९, १९० जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की ओर दिलाना चाहता हूं। धारा १८९ (२) में दिया हुआ है—

"EXTINCTION OF THE INTEREST OF A BHUMIDHAR—

189. (*aa*) When the holding or part thereof has been transferred or let out in contravention of the provisions of this Act."

इसी तरह से १९० में यह दिया हुआ है—

"190. EXTINCTION OF THE INTEREST OF A SIRDAR."

उसके बाद १९१ में दिया हुआ है—

"191. EXTINCTION OF THE INTEREST OF ASAMI."

इसका नतीजा यह हुआ कि ऐसी सेल्स को नाजायज करार दे दिया गया। अगर कोई ऐसी जमीन को बेचता है तो उसका तो हक उस पर से खत्म ही हो जायगा लेकिन इसके साथ ही साथ वह प्रापर्टी भी गांव सभा में निहित हो जायगी क्योंकि गांव समाज का नाम आपने अब गांव सभा रख दिया है। उसमें यह भी दिया हुआ है कि किस प्रकार से इस प्रकार की भूमि का बटवारा होगा। नियमों में दिया हुआ है कि पहले भूमिहीनों को भूमि दी जायगी, उसके बाद दूसरों को दी जायगी। इस व्यवस्था पर इस सदन का एक मत था। लेकिन आज यह जो इस विधेयक में धारा रखी गयी है उसके द्वारा न केवल उन लोगों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है बल्कि उससे भी आगे जा रहे हैं। जहां तक संविधान का सवाल है उसके अनुसार भूमिहीनों और जिनके पास कोई काम धन्धा नहीं है, सरकार का फर्ज है कि उनको काम देने का कोई प्रबन्ध वह करे। और जितने गरीब हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है उनको काम देने का इन्तजाम करे। लेकिन आज इस विधेयक के जरिये क्या हो रहा है? जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की जो धारा २९५ है उसको मैं पढ़ देता हूं कि उसके जरिये क्या किया गया है। उसके जरिये कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी वगैरह बनती थी। उसके डिफिनिशन से साफ मालूम हो जायगा।

"295. FORMATION OF A CO-OPERATIVE FARM—Any ten or more members of a Gaon Samaj holding between the bhumidhari or sirdari rights in thirty acres or more in the circle and desiring to start a co-operative farm, may apply in writing to the registrar appointed under the Co-operative Societies Act, 1912 (hereinafter referred to as the Registrar) for the registration thereof."

यह चीज गांव समाज से अब गांव सभा को चली जायगी और वही कोआपरेटिव फार्मिंग वगैरह कर सकती है। उसके लिये यह धारा २९५ है। लेकिन जो यह विधेयक आ रहा है, उसमें अगर यह होता कि गांव समाज का कोई आदमी कोई उद्योग धन्धा खोलना चाहे, उसके लिये कोई प्रोविजन होता तो मुझे कोई एतराज नहीं होता क्योंकि वह उसी गांव का रहने वाला है। यह जरूरी है कि हर गांव में उद्योग धन्धे खुलें और हर आदमी को काम मिले। अगर हर गांव में उद्योग धंधे खोले जायं तो यह बड़ी अच्छी नीति होगी लेकिन आज यह हो रहा

[श्री कमलासिंह यादव]

है कि विदेशी व बाहरी आदमी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अगर किसी के पास पैसा है तो वह किसी की जमीन खरीद कर अपने गृह उद्योग-धंधे लगा सकता है, किसी की जमीन खरीद कर कोआपरेटिव फार्मिंग कर सकता है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उसकी क्या नीयत होगी, उसका क्या परिणाम होगा ?

श्रीमन्, मैं इस विधेयक की धारा १४३ आप की आज्ञा से पढ़े देता हूं जिसमें इंडस्ट्रियल व रेजिडेंशियल परपज के लिये होल्डिंग्स लेने की बात कही गयी है। श्रीमन्, अगर कोई भी भूमिधर इंडस्ट्रियल परपज के लिये अपनी जमीन का इस्तेमाल करना चाहे तो उसके लिये उसमें प्रोविजन दिया गया है। यह डेफिनिट प्रोविजन जब दिया गया है कि कोई भी आदमी अगर अपनी कृषि योग्य भूमि का इस्तेमाल एग्रीकल्चरल परपज के लिये करना चाहे तो कर सकता है तो फिर क्या जरूरत है कि इस विधेयक में इस तरह से चेंज करें कि इंडस्ट्रिअल परपज के लिये कोई बाहरी आदमी भी आ जाय तो उसे जमीन ले लेने दें, इस पर आप सोचें।

आज देश में खाद्यान्न की कितनी कमी है। आज पूर्वी जिलों व बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की क्या हालत है जहां बाढ़ की वजह से आदमी मर रहे हैं। सरकार उनको क्या दे रही है ? केवल एक सेर चना, दियासलाई और तेल बंटता है। फिर आप सोचें कि आज देश की क्या हालत है कि एक एक सेर चना, एक दियासलाई और तेल पर लोग अपनी जिन्दगी बिता रहे हैं। उनके रहने के लिये कोई साधन नहीं है जिससे वे खुले आसमान के नीचे व पेड़ों पर रह कर अपना समय बिता रहे हैं। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे आदमियों के लिये उद्योग धन्धा दे। अगर सरकार हर गांव में उद्योग धन्धे खोल दे तो वे गरीब बेचारे अपना घर बार छोड़ कर कहीं बाहर न जायं।

श्रीमन्, जब मैं बम्बई गया था तो वहां की हालत मैंने खुद अपनी आंखों देखी है। वहां जाने पर मेरी मुलाकात वहां के एक उच्च अधिकारी से हुई। उनके पूछने पर मैंने बतलाया कि उत्तर प्रदेश के मुकाबले में कोई प्रान्त नहीं है। शाम को अपनी कार से वे मुझे शहर की हालत दिखलाने ले गये और कहा कि आप भी जरा शहर की हालत देख लें। जब मैं शहर में गया तो मैंने देखा कि बहुत से लोग सड़क के किनारे पड़े हुए थे। पूछने पर उन्होंने बतलाया कि वे सब बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर व जौनपुर जिले के रहने वाले थे। और हालत उनकी क्या थी ? पटरी पर बोरे बिछा कर सो रहे हैं। इस प्रदेश से बम्बई और कलकत्ता भाग कर क्यों जाते हैं ? कोई वजह तो है। अगर सरकार उनके जरिये माश का कोई इन्तजाम करती तो बड़ी अच्छी बात होती। लेकिन यह देख कर मुझे ताज्जुब हुआ। हम लोग तो गर्व करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुकाबले में कोई सरकार नहीं है, पर जो सरकार अपने आदमियों को काम नहीं दे सकती, वह क्या अच्छी सरकार है ? हर साल नौजवान पढ़ कर निकलते हैं उनके लिये कोई रोजगार नहीं। विदेश अगर किसी को पढ़ने भेजा जाय तो उसको रास्ते के सफ़र का खर्चा चाहिये, उसके बाद उसको विदेश में इतना काम मिल जाता है कि उससे अपनी पढ़ाई चला लेता है। हमारे यहां ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है ?

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, मैंने कहा था कि मैं खंड का विरोध करूंगा।

श्री मुरलीधर कुरील—जो भाषण हो रहा है उसका धारा २९५ से क्या सम्बन्ध है ?

श्री उपाध्यक्ष—आप बातों को रिपीट न करें।

श्री कमलासिंह यादव—जो सर्कम्स्टांसेज हैं वह मैं बता रहा हूं। जब हमारे देश की ऐसी व्यवस्था है कि पढ़े लिखे लोगों की क्लर्की तक नहीं मिलती, आप सोच सकते हैं, देश की क्या हालत होगी। जहां तक धारा १५४ का सवाल है, मैं इसलिये नहीं विरोध कर रहा हूं कि इससे हमारा अनर्थ होगा, लेकिन एक नीति सरकार की अधिक अन्न पैदा करने की रही है, उसके

खिलाफ़ यह बात जाती है। अब तक जो साढ़े १२ एकड़ जमीन रखी गयी थी उसके खिलाफ़ यह बात जा रही है। श्री कुसुम नैयर ने कहा है—

"Since the elephant has been killed, the British and the Zamindar, how can the ant escape."

जब हाथी मार डाला गया, यानी ब्रिटिश और जमींदार, तो चींटी कैसे बचेगी। अंग्रेजों को और जमींदारों को मारना ठीक है लेकिन जब चींटी पर हथियार चला तो वह बरदाश्त के काबिल नहीं रहा। और वह ऐंट है छोटे काश्तकार जिसके पास कोई पूंजी नहीं है। यह हालत है। इस विधेयक के जरिये जो नया प्राविधान लाया गया है, जिस तरीके पर बदला गया है कि उद्योग धन्धे और कोआपरेटिव फार्मिग के लिये उसमें सीमा छोड़ दी गई है, साढ़े १२ एकड़ से अगर ज्यादा कोई जमीन अपनी ट्रांसफर कर देगा उद्योग धंधे के लिये या कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये तो कोई एतराज नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूं जहां तक उद्योग धंधों का सवाल है, इसमें प्राविजन दिया हुआ है भूमिधर या सीरदार के लिये, कि वह कर सकते हैं, किसी तरह का उद्योग धन्धा हो। तो आज हमारी जमीन जो कि बहुत बहुमूल्य है और खाद्य परिस्थिति ऐसी है कि जमीन को छोड़ नहीं सकते, अधिक अन्न उपजाना है, उस समय अगर जमीन उद्योगों के लिये चली जायगी और बाहरी आदमी को दे देंगे तो उस समय क्या हालत होगी।

जहां तक कोआपरेटिव फार्मिग का सवाल है अगर उसका रजिस्ट्रेशन मंत्री जी किसी तरीके पर धारा २९५ के अन्दर करा दें या इस नियम में रख दें कि २९५ के अन्दर जिन कोआपरेटिव फार्म्स का रजिस्ट्रेशन होगा हम उन्हीं को परमिट करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को कोई एतराज नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर आलरेडी धारा ३९५ है जिसमें यह दिया हुआ है कि गांव सभा के आदमी अगर मिलजुल कर कोआपरेटिव फार्मिंग करें तो हम लोगों को कोई एतराज नहीं है लेकिन यहां तो बिलकुल उल्टी बात की जा रही है। अगर मंत्री जी इतनी बात रखते कि अगर कोई गांव के बाहर का आदमी किसी किस्म का उद्योग-धंधा खोलना चाहता है तो गांव सभा के लोगों को भी उसमें शेयर दे तब तो हम समझ सकते थे कि उसमें गांव सभा का फायदा है क्योंकि गांव सभायें लगान वगैरह जो काश्तकार देता था उसी पर एक आना टैक्स लगाती थीं, लेकिन आज जब सरकार जोतकर विधेयक ला रही है और डबल टैक्सेशन इस प्रदेश के अन्दर हो रहा है तो क्या हालत होगी? जब सरकार खुद उससे ज्यादा टैक्स वसूल करेगी तो उन खेतिहर मजदूरों का क्या होगा? वे बेचारे हर तरह से बराबाद हो जायंगे और कोई भी इंडस्ट्री वगैरह नहीं चल सकेगी। अगर आपको वाकई कोआपरेटिव फार्मिग गांवों में करानी है तो जैसा कि माननीय जवाहरलाल जी ने एलान किया है कि वालंटियरी बेसिस पर होना चाहिये, वैसा ही आप करें। श्रीमन्, आज यहां चकबन्दी हो रही है। अगर आपने भूमिधरों को रुपया लेकर अपनी जमीन को ट्रांसफर करने का हक दे दिया तो क्या पोजीशन होगी? एक तरफ तो आप मना कर रहे हैं कि जमीन का बंटवारा छोटे छोटे टुकड़ों में न हो और दूसरी तरफ आप बाहर के आदमियों को रुपये के बल पर जमीन खरीदने देंगे तो क्या उस चकबन्दी का मजाक नहीं होगा? जो जमीनें आज चक के रूप में हैं उनका फ्रैगमेन्टेशन होगा चाहे वह किसी के हाथ में जायं। इसी तरीके से कोआपरेटिव फार्मिग के लिये अगर आप बाहर वालों को एलाउ कर देंगे तो गांव की सारी जमीन खरीद लेंगे और गांव के किसान मजदूर बन जायेंगे। नतीजा यह होगा कि जो आज अन्न की समस्या को हल करने की जरूरत है वह ज्यों की त्यों बनी रहेगी। अगर जिस रूप में यह विधेयक लाया गया है उसी रूप में इसे पास कर दिया गया तो मैं समझता हूं कि किसानों के हित पर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा।

इन शब्दों के साथ जो संशोधन नयी धारा १५४ के रूप में किया गया है उसका मैं घोर विरोध करता हूं।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम १४२ की ओर ले जाना चाहता हूं। माननीय कुरील जी ने संशोधन दिया था और उन्हें वापस लेने की स्वीकृत दे दी गयी जब कि हाउस से पूछा भी नहीं गया कि उन्हें वापस लेने की स्वीकृत दी जाय अथवा नहीं।

श्री अध्यक्ष—आप गलती कर रहे हैं। उन्होंने मूव ही नहीं किया। वापस लेने का सवाल कहां है ?

*श्री कृष्णानन्द राय—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख हुआ कि हमारे विरोधी दल के आदरणीय सदस्य एक-एक धारा पर ४, ५ सदस्य बोलते हैं और हम लोग बहुत धैर्य से सुनते हैं लेकिन हम लोग बोलने खड़े होते हैं तो वे अपना धैर्य खो देते हैं और एतराज करने लगते हैं।

मैं इस पर बोलना नहीं चाहता था लेकिन धारा ३ के विवाद के समय कमला सिंह जी से यह निवेदन किया गया था कि जब वह कानून का उल्लेख करके यहां विधान सभा में कोई वक्तव्य देना चाहें तो उसकी धाराओं को पढ़ तो लिया करें और बिना पढ़े ही इतना विद्वतापूर्ण वक्तव्य उन्होंने दे दिया, इसे देख कर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि पहले जो विधेयक था उसमें यह नियम था कि साढ़े १२ एकड़ तक जिसके पास खेत है उससे अधिक जमीन खरीदने के लिये रुकावट थी। अब उनका कहना है कि इस संशोधन के जरिये उस रुकावट में कुछ कठिनाई पैदा हो रही है और जो ट्रान्सफर्स गैरकानूनी हो जाया करते थे, वे कुछ नियमित हो जाते हैं। उन्होंने शायद धारा ८ की उपधारा २ को ही पढ़ा है और धारा १५४ की उपधारा १ को नहीं पढ़ा है। उसमें स्पष्ट है कि पुराना विधेयक अपनी जगह पर है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि पुराने नियम में इस संशोधन के द्वारा संशोधन किया जा रहा है और जो सीलिंग साढ़े १२ एकड़ की रखी गयी थी उसे तोड़ा जा रहा है।

श्री कमलासिंह यादव—क्या मन्त्री जी आपसे एग्री करते हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय—मुझे पता नहीं कि एग्री करेंगे अथवा नहीं। मैं भी उन्हीं की तरह से सदस्य हूं। १५४ की उपधारा १ में जो प्रतिबन्ध है वह इस संशोधन में भी मौजूद है कि कोई व्यक्ति अपनी जमीन विक्रय नहीं कर सकेगा जबकि उस व्यक्ति के पास जमीन साढ़े १२ एकड़ से अधिक हो। कोई संशोधन उसमें नहीं हुआ है। जो विवाद उन्होंने किया उसे भी सुन कर ताज्जुब हुआ श्री काशी नाथ मिश्र और राम सुन्दर पांडेय जी ने विशेष तौर से....

श्री रामसुन्दर पांडेय—हम तो इस पर बोले भी नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठें। उन्हें कहने दीजिये। जब आपकी बारी आयेगी तो आप कहियेगा।

श्री कृष्णानन्द राय—श्रीमन्, विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय। यह संशोधन माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने रखा था और उसका उत्तर देने में तथा शुरू में वे करीब तीन घंटे बोले थे और उन्होंने उपधारा २ और ३ का विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि औद्योगिक कार्यों के लिये जो जमीन देने की व्यवस्था की जा रही है वह प्रतिक्रियावादी है। अब वे अपने वक्तव्य को भूल जायं तो क्या किया जाय। वह यह कहें कि मैं विरोध नहीं कर रहा हूं तो यह कैसे हो सकता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री उपाध्यक्ष—इस तरह से आप लोगों को नहीं बोलना चाहिये। जब आप लोग बोलते हैं तो उधर से कोई उठता है। इधर से १०, १२ आदमी उठ चुके हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों को इसका सख्त विरोध है जो कि औद्योगिक कार्यों के लिये भूमि खरीदने की सुविधा दी जा रही है। मैं समझता था कि अगर थोड़ा सा गम्भीरतापूर्वक विचार किया होता तो राजस्व मन्त्री जी को धन्यवाद दिया होता। लेकिन ये जल्दी में संशोधन ले आये।

(इस समय ४ बजकर २६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि विरोधी दल के सदस्य इसका घोर विरोध कर रहे हैं जो इस संशोधन द्वारा औद्योगिक कार्यों के लिये भूमि दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है और उन्हें डर है कि श्री रामरतन गुप्ता, सिंहानियां आदि उद्योगपतियों को भूमि दिलाने के लिये यह व्यवस्था की जा रही है। आज हमारे देश और प्रदेश में औद्योगिक क्रान्ति की नींव डाली जा रही है जिससे हमारे राष्ट्र की आय में वृद्धि की जा सके। केन्द्र में एक विधेयक आया था कि फैक्ट्रियों के लिये भूमि नहीं मिलती थी उसके लिये एक्वायर करके जमीन दी जाय। अगर इस तरह का विधेयक हमारे यहां आया होता कि भूमि एक्वायर करके दी जाय तब विरोध होता तो हम भी थोड़ी बहुत सहानुभूति जरूर रखते कि जो बड़े आदमी हैं उनको उद्योग खोलने के लिये जमीन एक्वायर करके देने की क्या जरूरत है? लेकिन राजस्व मन्त्री जी इसीलिये कि जमीन एक्वायर करने की प्रोसीडिंग्स न करनी पड़ें यह संशोधन ले आये कि अगर उद्योगपति भूमि क्रय करना चाहें तो उनको क्रय करने का अधिकार दिया जा रहा है। इस संशोधन के द्वारा अगर किसी उद्योगपति को लाइसेंस दिया जाय और अन्य सुविधायें दी जायं और कहा जाय कि तुम उद्योग स्थापित करो और वह प्रार्थनापत्र दे कि जमीन नहीं मिल रही है इसलिये एक्वायर करके दी जाय तो इस पर सरकार कहेगी कि हमने संशोधन ला दिया है और तुम चाहो तो अधिक से अधिक दाम देकर जमीन क्रय कर सकते हो और साढ़े १२ एकड़ के प्रतिबन्ध को भी छूट दे दी गई है। एक तो हमारे प्रदेश में एक्वीजीशन ऐक्ट को संशोधित करने की जरूरत नहीं रह जाती है। दूसरे भूमिधर अगर कोई जमीन बेचना चाहते हैं तो वे बेच सकते हैं। खास तौर से हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य जिनके पास अधिक भूमि है, वे सीलिंग ऐक्ट के डर से या जोतकर विधेयक के डर से अपनी जमीन बेचना चाहते हैं। आज भूमिधरों की यह स्थिति हो गयी है कि लैंड टैक्स बिल के कारण वह अपनी जमीनों को दूसरों को देना चाहते हैं लेकिन उन्हीं को दे सकते हैं जिनके पास साढ़े १२ एकड़ से कम जमीन हो। वह जमीन भी बेचना चाहते हैं, और पैसा भी नहीं पाते। इस संशोधन के द्वारा जो लोग जमीन बेचना चाहते हैं उनको सुविधा दी जा रही है कि साढ़े १२ एकड़ से ऊपर वाले लोग भी उनकी जमीन को ले सकते हैं। अतः उन भूमिधरों को पैसा मिल रहा है, नम्बर एक फायदा। एक्वीजीशन प्रोसीडिंग्स नहीं होने जा रही हैं, नम्बर दो फायदा।

अब जरा सहकारी खेती पर आ जाइये। प्रजा समाजवादी या समाजवादी दल के लोग जिनके समाजवाद के क-ख-ग-घ में लिखा है कि सहकारी खेती को प्रोत्साहन देना चाहिये यह लोग समाजवाद को सिखाना छोड़ कर कोई भी ऐसा संशोधन जो सहकारी खेती को प्रोत्साहन देने के लिये आए, इनको उसका स्वागत करना चाहिये। आप जानते हैं कि हमारे देश में वालंटरी बेसिस पर सहकारी खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। रूस की तरह जबरन नहीं करायी जा रही है। आपको अगर सहकारी खेती करवानी है, तो साढ़े १२ एकड़ में मैकेनाइज्ड फार्मिंग हो नहीं सकती। इस लिये अगर माननीय सदस्य इस पर गम्भीरता से विचार करें तो बजाय विरोध करने के वह इसकी प्रशंसा करेंगे।

श्री दीपनारायणसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इन संशोधनों पर दलगत भावना से विचार न करें तो ज्यादा अच्छा है। इस विधेयक में खास तौर से यह एक खंड है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान भूमि सम्बन्धी अभी तक के सुधारों पर दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस की हुकूमत १९३७ में आयी। इसके पहले जो हुकूमतें थीं उनको आप के नेता जमींदारों की हुकूमत कहते थे। उन्होंने आगरा टिनेंसी ऐक्ट पास किया था। इसके अलावा इनकमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट पास किया जिसमें जो बड़े-बड़े सेठ, मिल मालिक कर्जा दे कर जमींदारों को गरीब बना कर उनकी जमींदारियां ले लेने की कोशिश करते थे, उनके पास से जाने से रोकने के लिये ही उक्त इनकमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट बनाया गया था।

श्री अध्यक्ष—एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि १५४ धारा जो ओरिजिनल है उसमें एक एक्सेप्शन....

श्री दीपनारायणसिंह—जी हां, एक कोआपरेटिव के बारे में है।

श्री अध्यक्ष—एक और एक्सेप्शन किया है ....

श्री दीपनारायणसिंह—दूसरा इंडस्ट्रियल परपज के लिये।

श्री अध्यक्ष—तो सिर्फ आपको तो इतना ही कहना है कि इंडस्ट्रियल परपज के लिये जो एक्सेप्शन किया जा रहा है वह न होना चाहिये। उतने ही पर बोलिये।

श्री दीपनारायणसिंह—देहात की सारी सम्पत्ति जमीन है। वहां के पढ़े लिखे लड़के भी नौकरी नहीं पाते। अगर हमारे हाथ से जमीन चली गयी, चाहे वह किसी नाम से चली जाय तो हम कहां रहेंगे? यह बहुत बड़ा खतरा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब में यूनियनिस्ट सरकार बनी। सर छोटूराम जाट किसान थे। वह आपकी तरह किसान के नाम पर नहीं आये थे। वह किसान के खून के थे। उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े शहरों में रहने वाले लोग हमारी जमीन न ले सकें, वह देहातों की जमीन खरीद न सकें। यह प्रतिबन्ध था वहां पर। यू० पी० में भी बुन्देलखंड का एक ऐसा ही ऐक्ट था। उसमें लिखा था कि इतनी इतनी जातियां तो जमीन ले सकती हैं, लेकिन और फलानी फलानी जातियां (गैर किसान) नहीं ले सकतीं। अब जाति को हटा दीजिये। लेकिन देहात का आदमी अगर जमीन खरीद ले तो मैं मान लूं लेकिन देहात का किसान मजदूर आपका हलवाहा, चाहे वह किसी कौम का हो, वह अगर जमीन खरीदेगा तो साढ़े १२ एकड़ तक रख सकेगा। उसके पास इतना पैसा कहां कि कारखाना खरीदे या बनाये? सेठ साहब ने सोचा कि चलो कोआपरेटिव फार्म बना डालो। दो चार रिश्तेदारों, नातेदारों को ले लिया। कोआपरेटिव सोसाइटी बन गई और सेठ साहब ने कोआपरेटिव फार्मिंग के नाम से या सोसाइटी के नाम पर जमीन हड़पना शुरू किया। उनके बहनोई, दामाद, साले, साढ़ू सब इकट्ठा हो गए और एक कोआपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड हो गई। रजिस्टर्ड होने के बाद हमारे देहात में हमारे बाप दादों की कमाई हुई जमीन को लेने के लिये घुस आए। उस पर क्या बन्दिश आपने लगायी है? यह भी बन्दिश जरा बांध दीजिये कि गरीब किसानों की कोआपरेटिव सोसाइटी होगी तो वह ले सकेगी। क्योंकि कोआपरेटिव सोसाइटी शब्द तो बड़ा अच्छा है जैसे स्वराज्य है। स्वराज्य के लिये सेठ साहब भी लड़े। किसान मजदूर भी लड़े और बड़े-बड़े राजा महाराजा भी लड़े अपने अपने स्वार्थ के लिये। तो स्वराज्य जसे धोखे वाला आया, किसान मजदूर का स्वराज्य नहीं आया, वैसे ही कोआपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई, मगर किस की हुई, यही धोखा है। कोई भी कोआपरेटिव सोसाइटी बना सकता है और उसके नाम से कोई भी साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा जमीन हड़प कर सकता है। यह एक बहुत बड़ा खतरा है और देख लीजियेगा यही होगा और यही हुआ है। मैं दावे के साथ कहता हूं आप यह लिख लीजियेगा।

दूसरी बात इंडस्ट्रियल परपज वाली है। दफा १५४ में कोई आदमी खरीद सकता है और भूमिधर बेच सकता है। खरीदने वाला उतना ही रखेगा कि कुल साढ़े १२ एकड़ हो। वह तो काश्तकारों के लिये है कि हमारे किसानों में कोई मोटा असामी न हो सके, मालदार न हो सके लेकिन बाहर वाला जो इंडस्ट्रिअलिस्ट है, मिल मालिक है जिनकी थैलियों से किसान मजदूर के नाम पर गद्दियां हथियाने वाले बैठे हैं वह अपने इशारे से हमारे घरों में अपने दोस्तों को घुसा रहे हैं। आज सबसे बड़ा खतरा मुझे यही लग रहा है। कल भी मैंने कहा इसके ऊपर और आज भी बड़े जोरों के साथ इसीलिये कह रहा हूं। इंडस्ट्री अगर कोआपरेटिव की खोली जाय, छोटे आदमी खोलें तो बात समझ में आ सकती है। एक दिन माननीय सूचना मंत्री जी ने इस सदन में कहा कि प्राइवेट सेक्टर को हमने इसलिये ज्यादा महत्व दिया है कि वही काम कर सकते हैं। आप बतावें, मैं तो अपने जिले को लेता हूं, कौन सा सरकारी कारखाना आपने खोला है? इसमें आप लिख दीजिये कि इंडस्ट्रियल परपज के लिये सरकारी कारखाना खुले तो उसके लिये यह लागू हो। इतना संशोधन कर दीजिये इंडस्ट्रियल परपज में। लेकिन माननीय

अध्यक्ष महोदय, किसी बड़े पूंजीपति को समाजवाद के नाम पर, किसान मजदूर के नाम पर हम अपने देहात में नहीं घुसने देना चाहते। वह हमें खा डालेगा, हमें रुपयों से खरीदेगा जैसे यहां खरीदता है, भ्रष्ट करेगा हमारी राजनीति को, हमारे समाज को भी भ्रष्ट करेगा। यह लक्ष्मी नारायण भ्रष्ट हैं। जसे इंद्र के इंद्रासन को कायम रखने के लिये वृन्दा के पातिव्रत धर्म को लक्ष्मीनारायण ने भ्रष्ट किया था, वृन्दा के पति से इंद्रासन को बचाने के लिये, ठीक उसी तरह से यह लक्ष्मीनारायण पूंजीपति जो हैं वह आपके जरिये, आपके नेताओं के जरिये हमें भ्रष्ट कर रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष—यह तो कह चुके आप।

श्री दीपनारायणसिंह—मान लीजिये एक बेवा औरत है। बुधुआ किसान की औरत बेवा हो गई। तो गरीब भी अपनी इज्जत पेट के लिये खोता है। पेट सबसे खराब होता है। जो भूखा रहता है वह खराब होता है। जिसके पास रुपया नहीं है, जो गरीब है वह अपनी असमत बेच सकता है। उसकी जमीन झोपड़ी, घर सभी खरीदा जा सकता है क्योंकि वह गरीब है, भूखा है। उसको खाने के लिये और पेट भरने के लिये चाहिये....

श्री अध्यक्ष—आप इस बात को कह चुके हैं।

श्री दीपनारायणसिंह—वह मैं बता रहा था कि कौन ऐसा कर सकता है? विधवा बेच सकती है। आप उस पर कोई रुकावट नहीं लगा रहे हैं। लिमिटेड एयर जो होते थे वह पर्सनल ला से गवर्न होते थे और बेच नहीं सकते थे लेकिन जमींदारी अबालिशन के निर्माताओं ने, उस लिमिटेड एयर को, जो कि सीमित अधिकार रखता है जीवन भर के लिये उसको भी अधिकार दे दिया है कि वे बेच सकें। विधवा को भी जमीन बेचने का अधिकार दे दिया है। अगर विधवा को बरगला लिया जाय तो बस उसकी जमीन खत्म। उसके पोते नाती को नहीं मिलेगी। ऐसी बात आप कर रहे हैं। ऐसी शरारत आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष—ऐसे शब्द "शरारत" का प्रयोग न कीजिये।

श्री दीपनारायणसिंह—तो मैं इस शब्द "शरारत" को वापस लेता हूं। मैं यह कहता हूं कि सरकार के दिमाग में दूसरी बात भरी है। अगर ऐसा संशोधन होता कि इंडस्ट्रियल परपज के लिये गरीब लोगों को मिलेगी तो मैं समझता कि देहात के लोगों को लाभ होगा। उन देहात के लोगों को अगर जमीन मिले तो अच्छा है। इसको आप करें। ऐसा संशोधन इसमें रखें तो हम मानेंगे कि देहात के आदमियों के लिये यह आप कर रहे हैं। ऐसा होगा तो हमारे देहात के लोग इंडस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे लेकिन बाहर वाले अगर हमारे अन्दर घुसेंगे तो यह बात हम नहीं मानेंगे। या इन खंडों में आप यही करने जा रहे हैं। छोटा काश्तकार या भूमिधर खुद इंडस्ट्री के लिये या रेजिडेंशियल परपज के लिये इस्तेमाल करता है तो उसमें पर्सनल ला आ जाता है। दफा १४३ जमींदारी अबालिशन में यही चीज है। लेकिन दफा १५४ में यह नया सेक्शन जोड़ा जा रहा है। यह किसी और के लिये है जो हमारे घरों में घुसकर हमारी जिन्दगी को बेकार कर देगा जो कि हमारी जिन्दगी का अन्तिम आधार है खेती और जिसके आधार पर हम कह सकते हैं अकड़कर कि हम आजाद होकर वोट देते हैं, उसको भी आप लेना चाहते हैं। यह बहुत बड़ी अकड़ की चीज आप हमसे लेना चाहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। मेरा निवेदन है कि यह सदन इसको पास न करे।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन इसम लाया जा रहा है इसके बारे में ५ आपत्तियां उठाना चाहता हूं। उन पांचों आपत्तियों में से पहली आपत्ति के बारे में अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके बारे में मेरे से पूर्ववक्ता, कल भी और आज भी, बहुत अधिक विस्तार से बता चुके हैं। यह जो इंडस्ट्रियल परपज के लिये जमीन देने की छूट धारा १५४ में कर दी गई और १५४ धारा में जो ये २, ३ उप खंड जोड़े गये हैं उनसे यह परिवार के लिये भी ट्रांसफर हो सकेंगी। ऐसा नहीं रखा गया

[श्री रक्षपालसिंह]

है कि वह अगर इंडस्ट्री के लिये निकालना चाहता है तो किसी इंडस्ट्री के लिये भी वह नहीं निकाल सकेंगे । जहाँ तक मैं इसको समझ पाया हूं मैं यही समझता हूं कि किसी परिवार के लिये वह अलग नहीं हो सकती है । इस वजह से मैं इसका विरोध करता हूं कि यह इंडस्ट्री के चलाने वाले जो बड़े लोग हैं उनको ही देने की बात है । मेरे विरोध करने का कारण यह है कि सरकार की नीति, पता नहीं वह जाने में होती है या अनजाने में होती है या जानबूझकर होती है या सरकार का जो समाजवाद है उसमें यह मानते हैं कि बड़ा बड़ा होता जाय और छोटा बहुत छोटा होता जाय और समाप्त हो जाय ? देखने में यह आया है कि इंडस्ट्री के लिये जो छूट दी गई उस छूट से फायदा उठाकर अब इंडस्ट्री कौन खोलेगा ? जिसके पास थोड़ी जमीन है वह इंडस्ट्री नहीं चला सकता । यह तो बड़े लोग ही चलायेंगे या कोई बाहर का इंडस्ट्रियलिस्ट आ कर चलायेगा । तो इस प्रकार बड़े आदमी भी अपने परिवार के लिये इंडस्ट्री की स्थापना कर सकते हैं । छोटा आदमी ऐसा नहीं कर सकता । छोटा आदमी अपनी १२ एकड़ भूमि को १५ एकड़ नहीं कर सकता, लेकिन पैसे वाले को ऐसा करने की छूट होगी । तो एक कारण तो यह है । दूसरे यह कि अगर वह इंडस्ट्री कोआपरेटिव आधार पर हो तो भी ठीक था । अगर वह जमीन इस प्रकार गांव वालों के पास रह जाती, उससे गांव वालों को लाभ होता तो भी ठीक था, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है ।

दूसरा कारण यह है कि इसके द्वारा कोआपरेटिव फार्मिंग का श्रीगणेश होने जा रहा है । भारतीय जनसंघ ने सदा ही इसका विरोध किया है, जनसंघ चाहता है कि प्रदेश में और देश में कोआपरेटिव फार्मिंग का उसूल न अपनाया जाय और उसके लिये उसके अपने कारण हैं । उसमें किसान गुलाम बनेगा, देश की पैदावार गिरेगी । मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने सीलिंग का जो कानून बनाया है यह उसे भी इनएफेक्टिव करने वाला होगा । जिन काश्तकारों के पास अधिक जमीन होगी वह इस के द्वारा सोसाइटी बना लेंगे और इस प्रकार यह हमारे सीलिंग ऐक्ट को डिफीट करने वाला होगा । एक प्रकार से लालच देकर गलत बात मनवाने की जो यह स्कीम है उसके कारण भी मैं इसका विरोध करता हूं । कोआपरेटिव सोसाइटी के फार्म की सीमा जितनी सरकार चाहे, हो सकती है और उसके लिये छूट की व्यवस्था है । धारा ३ में कहा गया है कि इन दि इंटरेस्ट आफ पब्लिक सरकार जितनी चाहे छूट दे सकती है । तो सरकार किस के लिये छूट देगी, कब छूट आदि देगी बात इसमें डिफाइन नहीं की गयी हैं । सरकार इसके द्वारा यह अधिकार लेना चाहती है कि वह जिसको चाहे बनाये रखे और इस कारण भी मैं इसका विरोध करता हूं । इसके अतिरिक्त यदि सोसाइटी भी बने और वह जमीन गांव में ही रहे, गांव वालों के पास ही रहे तो भी ठीक है, दूसरे गांव समाज के पास भी रहे तो भी ठीक है, लेकिन वह कोआपरेटिव किस की होगी इसकी कोई व्यवस्था इस कानून में नहीं है । अगर घर के ही लोग कोआपरेटिव बना लें तो उनके पास ही जमीन रह सकती है ।

श्री तमेश्वरप्रसाद (जिला बस्ती)—एक व्यवस्था का प्रश्न है । धारा ३ में कहीं भी कोआपरेटिव फार्मिंग का जिक्र नहीं है और माननीय सदस्य इस प्रकार विषय के बाहर बोल रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—वह रजिस्टर्ड कोआपरेटिव सोसाइटी का जिक्र कर रहे हैं और उनका मंशा है कि वह रजिस्टर्ड फार्मिंग, एग्रीकल्चरल सोसाइटी भी हो सकती है ।

श्री रक्षपालसिंह—वह कोआपरेटिव सोसाइटी गांव समाज की होगी यदि यह भी सीमित कर दिया जाता तो भी ठीक होता ।

पांचवीं बात यह है कि सीलिंग के जरिये जहां आपने चाहा था कि हरिजन और लैंड-लेस लेबरर को कुछ जमीन मिल जाय, उनको बसाने की कुछ व्यवस्था हो जाय, वह इसके द्वारा नहीं हो पायेगा । बड़े आदमी जिनके पास ज्यादा जमीन है वे अपनी सोसाइटी बना लेंगे और इस प्रकार कोई भी जमीन हरिजनों और लैंडलेस लेबरर को नहीं मिल पायेगी । इस संशोधन द्वारा उन पर कुठाराघात होने वाला है । अध्यक्ष महोदय, मैंने यह जो ५ आपत्तियां

रखी हैं उनके आधार पर मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री महोदय इस संशोधन को जो वे करने जा रहे हैं, इसको वापस लें और और इसको आगे न बढ़ायें।

श्री अध्यक्ष—माननीय काशीनाथ जी, अब आप बोलेंगे लेकिन जो कहा जा चुका है वह न कहकर नई बात ही कहें तो अधिक उत्तम होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—अध्यक्ष महोदय, इसकी धारा ८ के विषय में जो बात यहां चल रही थी उसके सिलसिले में मैं बताऊं कि अगर यह धारा ८ पास हो गई तो इस प्रदेश के किसानों की क्या हालत होगी। यही सब मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं।

आज से ११ साल पहले जमींदारी एबालिशन ऐक्ट जब इस आदरणीय सदन में पास किया गया, उसमें व्यवस्था इस बात की रखी गई कि साढ़े १२ एकड़ के बाद कोई बेचेगा या कोई दान के द्वारा हासिल करना चाहता है तो साढ़े १२ एकड़ तक रहे। इसका मकसद यही था कि फ्रैगमेन्टेशन आफ होल्डिंग रोकी जाय। किसानों के पास खेत रहें। किसान सर्वहारा की स्थिति में न जाय। तो १९५१ में उत्तर प्रदेश सरकार यह सोच सकती थी कि इसके क्या नुकसान होंगे? उसने उस समय क्यों नहीं यह सोचा कि इससे किसानों की आर्थिक दशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शायद बगैर कुछ सोचे समझे पास कर दिया था। आज ११ साल के बाद यही सरकार जो उस वक्त भी थी और आज भी है, इसमें संशोधन लाने की आवश्यकता महसूस करती है और कहती है कि इसमें संशोधन होना चाहिये। क्योंकि उनको दिक्कत पड़ती है कोआपरटिव फार्मिंग के लिये और इंडस्ट्रियल परपजेज के लिये जमीन एक्वायर करने में। आपके द्वारा यह भी इशारा किया गया है कि जो बात एक बार कह दी गई हो, उसको दोबारा न कहा जाय। लेकिन आप बहुत बड़े वकील रहे हैं। आप खुद सोचें कि और लोग इन पढ़े लिखे आदमियों को और विधायकों को किस दृष्टि से देखेंगे जब कि इस सदन में इस तरह की बातें होंगी और अपनी ही की हुई चीज को दोबारा काटा जायगा। आप स्वयं विचार करें कि एक बार तो आप कानून बनाते हैं और फिर उसमें संशोधन लाते हैं और १–२–३ धारायें रखते हैं जो एक दूसरे से टकराती हैं, तो यह कहां तक उचित है? जो चीज आपने १९५१ में पास की है वही दोबारा फिर लाते हैं। आप कहते हैं कि अगर औद्योगिक क्षेत्र में साढ़े १२ एकड़ की सीमा उल्लंघित भी हो जाती है तो हम उसको छूट देते हैं। यदि आप किसी भी न्यायाधीश के सामने इन समस्याओं को रखें तो कोई भी आपका समर्थन नहीं करेगा।

यह जो ड्राफ्टिंग की गलती है वह तो अलग चीज है। अगर इस धारा को आप पेश करते हैं तो आगे आने वालों का क्या हाल होगा? यह भी आपने कभी सोचा है। एक सर्वहारा की फौज इस प्रदेश में बन जायेगी। यदि सरकार में खुद क्षमता होती तो वह इस बात का ऐलान कर सकती थी कि जितने भी उद्योग धंधे खुलेंगे वह सब सरकार खोलेगी। उसके लिये हम जमीन लेते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि यह सब उद्योग धंधे पूंजीपति लोग ही खोलेंगे। जो धारा ८ है उसकी २–३ उपधाराओं से यह साफ मालूम पड़ता है कि सरकार की उन पूंजीपतियों से सांठ-गांठ है। और पूंजीपतियों से मिलकर सरकार उत्तर प्रदेश में सर्वहारा की फौज खड़ी करना चाहती है। उनको छूट है कि सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदकर फार्म बनायें या कारखाने खड़ा कर। आदरणीय सदन में बहस हो चुकी है और माननीय संत सिंह यूसुफ ने सवाल खड़ा किया था कि कानपुर में कितनी जमीन उद्योग–धंधे के लिये ली गयी है, लेकिन वह बेकार पड़ी हुई है। हमारे प्रदेश का किसान गरीब होता जा रहा है, उसको जमीन बेचने की जरूरत होती है। आप साढ़े १२ एकड़ की क्षमता रखकर कानून पास करते हैं लेकिन किसान के यहाँ कोई शादी–विवाह पड़ता है तो वह जमीन बेचता है। दरिद्रता बढ़ रही है।

आज हमारे प्रदेश में कोआपरेटिव फारमिंग चल रही है। क्या उत्तर प्रदेश की सारी कोआपरेटिव सोसाइटियां घाटे में नहीं चलती हैं? क्या सहकारिता का आन्दोलन कामयाब

[श्री काशीनाथ मिश्र]

हुआ है ? एक तरफ आप कैपिटलिज्म को छूट देंगे और दूसरी तरफ सहकारिता चलायेंगे तो दोनों एक साथ नहीं चला करती हैं। स्वीडन और डेनमार्क में अगर सहकारिता सफल हुई तो उस समय पूंजीवादी व्यवस्था क अत्याचारों और शोषण के हथियारों को दबा दिया गया। सहकारिता, के नाम पर क्या हो रहा है उसका इशारा रक्षपाल सिंह जी ने किया था। कोई पूंजीपति गांव में जाकर देखता है कि गरीब लोग रहते हैं तो जमीन खरीद सकता है। कोआपरेटिव एग्रिकल्चरल सोसाइटियाँ आज इस प्रकार बनती हैं कि एक राजा साहब हैं, उनके साथ उनका बावर्ची और नौकर लोग मिल-मिलाकर सोसाइटी बना लेते हैं और सरकार से १५-२० हजार रुपया ट्रैक्टरों के खरीदने के लिये कर्ज ले रहे हैं। बस्ती जिले में केशव देव मालवीय कोआपरेटिव सोसायटी के ऊपर बीसों लाख कर्जे का पड़ा हुआ है और तमाम लोग हड़प कर गये। तो इस प्रकार धनी-मानी व्यक्तियों को छूट देकर सरकार सर्वहारा की फौज ही बढ़ायेगी। कौन मुल्क इसे बरदाश्त कर सकता है ? यूरोप के पूर्वी देश जहाँ शिक्षा अपनी चरम सीमा पर है, लोग ९० प्रतिशत पढ़े-लिखे हैं, उद्योग धंधों का काफी विकास है। "An underdeveloped country cannot bear the mobile population of the peasants." जिन देशों का विकास नहीं हुआ है वह सर्वहारा के मोबाइल फोर्स को बरदाश्त नहीं कर सकते। मैं सरकार के सच्चे मित्र होने के नाते उसका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि धारा ८ के पास होने के बाद आप जरूर महसूस करेंगे ८-१० साल बाद कि बगावत की हालत पैदा हो रही है और बेकारी और भुखमरी बढ़ रही है और चन्द लोग ऐशो आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपको फिर इसको बदलना पड़ेगा। इसलिये मुहम्मद तुगलकी नीति न अपनायी जाय, यही आपके द्वारा आदरणीय सदन से निवेदन करना है। एक बार कानून सरकार पास करती है तो फिर संशोधन करती है और फिर उसको बदलती है। मैं आप से अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आप इस धारा को वापस ले लें। जो कानून आपने पहले पास किया है वह बहुत सोच विचार करके किया है, इसकी आवश्यकता नहीं है। आज जो उद्योग धंधे चल रहे हैं, आपको पता है, उससे प्रदेश का भला नहीं हो रहा है। वह भला तभी होगा जब कि सरकार इतनी क्षमता रखे कि जो भी उद्योग धंधे चलेंगे वे सरकारी होंगे। चुर्क सीमेंट फैक्टरी का उदाहरण आपके सामने है। आज एक हजार टन का प्रोडक्शन बंद है। उसकी कीमत करीब एक लाख ८९ हजार होती है।

श्री अध्यक्ष—इसका उससे क्या सम्बन्ध है ?

श्री काशीनाथ मिश्र—औद्योगिक क्षेत्र का इसमें जिक्र है। खैर मैं उस पर नहीं आऊंगा।

मैं, इतना कह कर, माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस संशोधन को वापस ले लें अगर वे किसानों के हमदर्द हैं तो।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला पिठौरागढ़)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब विवाद बंद किया जाय।

श्री मैनेजरसिंह—यह बड़ी महत्वपूर्ण धारा है।

श्री अध्यक्ष—कल दिन भर इस पर आप लोगों ने जनरल डिस्कशन किया। इस धारा पर विचार करते हुये इसको जनरल डिस्कशन का रूप नहीं देना चाहिये। अब अगर आप दो-दो मिनट बोलना चाहें तो मैं इजाजत दे दूंगा।

श्री मैनेजरसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथियों की बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। एक बात कहना चाहता हूं। आज इस प्रदेश में अभाग्यवश पूंजीपतियों का सरकार के ऊपर नियंत्रण हो गया है। जैसा कि हमारे साथी माननीय काशीनाथ जी ने प्रश्न किया, यह अधिनियम १९५१ में सरकारी पार्टी के द्वारा ही बना, फिर आज इसमें संशोधन क्यों लाया गया ?

इसका कारण यह है कि इस प्रदेश के पूंजीपतियों ने अपने पैसे को व्यय करके कांग्रेस पार्टी की अन्दरूनी राजनीति में हाथ बटाया है और उसी से माननीय मुख्य मंत्री जी पदासीन हो गये।

श्री अध्यक्ष—ऐसी बात कहना ठीक नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह—श्रीमन्, उन्हीं को सुविधायें देने के लिये कुछ हथकंडे अपनाये जा रहे हैं और उन्हीं हथकंडों में से एक यह भी हथकंडा है। मैं सदन का और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, आपने लाल बत्ती जला दी है, यही कहना चाहता था।

*श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—अध्यक्ष महोदय, इस धारा पर विचार करने से पूर्व हमें इस पर विचार करना चाहिये कि इस समय हमारा कानून क्या है? जहाँ तक कोआपरेटिव फार्म की बात है वह जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के चैप्टर ११ में दी हुई है। उसमें धारा २९५-३१८ तक यह दिया हुआ है कि जब कोई कोआपरेटिव फार्म बनाया जायेगा और अगर वहाँ छोटे-छोटे काश्तकार हैं, अलाभकर जोते हैं, तो उनकी जमीन एक्वायर कर ली जायेगी और उनका कम्पेनसेशन दे दिया जायेगा। यह बात भी हमारे माननीय सदस्यों ने कही कि उत्तर प्रदेश के तमाम काश्तकार बम्बई और कलकत्ते में पड़े हुये हैं, फुटपाथ पर बोरी ओढ़े हुये। उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ औद्योगिक उन्नति नहीं है। अगर्चे हमारे देहात का एक आसामी या देहाती कानपुर या बम्बई में जाता है तो जितना वह कमाता है उतना खा डालता है। इसलिये जरूरत इस बात की है कि गाँवों में औद्योगिक उन्नति हो जिसमें वह काम करे, कुछ अपनी खेती भी करता रहे और एक दूसरे से मिलकर गुजर-बसर कर सकते हैं। इस समय अगर कोई वहाँ इंडस्ट्री कायम करना चाहे तो एक बड़ी बाधा यह है कि जमीन नहीं है। जमीन आप ले नहीं सकते। अगर सरकार चाहे किसी को पैट्रोनाइज करना कि हम उसका कारखाना यहाँ लगवा दें तो वह लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट आज कर सकती है और सस्ते दामों से जमीन ली जा सकती है। तब आप कसते हैं कि उनकी जमीन छीन ली गई। डालमिया और बिरला को पैट्रोनाइज करना है तो सरकार आज भी कर सकती है। जिसके पास जमीन है वह अगर १०० एकड़ है तो ८ आदमियों में अब भी बेच सकता है। उसके लिये यह रुकावट तो है नहीं कि वह बेच नहीं सकता। हम इस संशोधन के जरिये यह कर रहे हैं कि अगर्चे कोई आदमी बेचना चाहता है और फिर उसके बाद सरकार समझती है कि जरूरत है तो इसमें ऐसा प्रतिबन्ध लगाया गया है कि पहले वह डाइरेक्टर के पास जाय और कहे कि हम यह उद्योग यहाँ चालू करना चाहते हैं, उसके बाद गवर्नमेन्ट को यकीन दिलाये कि उसके पास जमीन नहीं है, तब वह इजाजत देगी कि वह ले सकता है। उसके बाद अगर वह इंडस्ट्री नहीं लगाता है तो वह चली जायगी और उसका रुपया भी जायगा। इतने प्रतिबन्ध के साथ अगर हम यह अधिकार भूमिधर को देते हैं तो इसमें किसी प्रकार भी पूंजीपतियों की सहायता का सवाल नहीं है। यदि बिला वजह काला चश्मा लगाकर भूत को देखने की बात है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। बिलकुल सीधा सा संशोधन है।

इसमें यह भी रखा गया है कि अगर्चे ट्रांसफर जरूरी होता है और जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेन्ट जरूरी समझती है तो यह एक्वायर हो सकती है और इसमें ट्रांसफर का राइट भी दे दिया गया है। इस हस्तान्तरण में उसे पूरे दाम मिलेंगे। तो यह एक इसमें फायदे की बात है।

इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि इस संशोधन को बिला संकोच के, और बिला यह सोचे कि इसमें कोई साँप छिपा है, पास होने दें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—हम लोगों ने श्रीमन्, कहा था कि नहीं की संख्या ज्यादा है, लेकिन आपने उसको किस कारण से अस्वीकार कर दिया। किस नियम के अनुसार आपने उसको नहीं माना?

श्री अध्यक्ष—आपने तब कहा जब मैं परिणाम डिक्लेयर कर चुका था।

खंड ९

१९५१ ई० के उ० प्र० अधिनियम सं० १ की धारा २०९ का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २०९ की संख्या बदल कर उसे उसकी उपधारा (१) कर दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय :—

"(२) उपधारा (१) के खंड (क) में अभिदिष्ट प्रत्येक ऐसे वाद में, जो भूमि से सम्बद्ध हो, राज्य सरकार को आवश्यक पक्ष के रूप में सम्मिलित किया जायगा।"

*श्री हरिनाथ तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, २०९ के साथ ही साथ २२९ भी इसमें एक धारा है जिसमें ए और बी दो सेक्शन ह जिसम स्टेट गवर्नमेन्ट को एक पार्टी बनाया गया है। वह इस प्रकार है कि ऐसे दो आदमी जो अपनी टेनेंसी के लिय डिक्लेरेशन चाहते हों वहाँ ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पर आप कम्पलसरी कर रहे हैं कि २०९ के सूट में भी उसको पार्टी बना दिया जाय। लेकिन ऐसी हालत में जब कि कोई शख्स यह मान लेता है कि हाँ मैंने ट्रैसपास किया है और उस पर से डिग्री हो जाती है तो फिर उस हालत में स्टेट गवर्नमेन्ट की क्या आवश्यकता होगी। हम स्पीडी रेमेडी चाहते हैं। लेकिन अगर इसके जरिये से दफा ८० का नोटिस दिया जाता है तो दो माह तो उसमें लग जायेंगे। स्टेट गवर्नमेन्ट पार्टी बन कर फिर कन्टेस्ट करेगी और फिर जैसा कि माधो प्रसाद जी ने कहा कि फिर इस बात पर निर्भर करेगा कि कोई वकील गवर्नमेन्ट को खुश कर ले। इसके अलावा और भी बहुत से इम्प्लीकेशन्स पैदा हो जाते हैं। क्योंकि २०९ में स्टेट गवर्नमेन्ट को पार्टी बनाना आवश्यक नहीं है, इसलिये यह संशोधन अनावश्यक है, अतः निरर्थक है।

*श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन्, यह धारा ऐसे लोगों के लिये है जिनका गासिबाना कब्जा है। बहुत सी गाँव समाज की भी ऐसी भूमि है जिस पर नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया गया है। धारा २०९ (ए) इस प्रकार है —

"Where the land forms part of the holding of a bhumidhar, sirdar or asami without the consent of such bhumidhar, sirdar or asami,".

और धारा २०९ (बी) इस प्रकार है—

"Where the land does not form part of the holding of a bhumidhar, sirdar or asami without consent of the Gaon Samaj;

अब यह जो विधेयक आया है तो जैसा कि अभी माननीय दीप नारायण जी ने बताया कि जब आप पूर्व में जायेंगे, पश्चिम में जायेंगे तो आपको फिर डिफीकल्टी होगी क्योंकि (बी) में आपने गाँव सभा तो गाँव समाज के स्थान पर किया नहीं है और फिर उसको ठीक करने के लिये आपको संशोधन लाने की आवश्यकता होगी। दूसरी चीज यह है कि आजतक यह देखा गया है कि अगर तीन भाई हैं और तीन भाइयों में से एक ने किसी को अपनी भूमिधरी या सीरदारी ट्रांसफर कर दी तो दोनों भाई २०९ का दावा करते हैं। तो हम यह कहते हैं कि २०९ का दावा मेंटेनेबिल नहीं है। क्योंकि एक भाई ने इजाजत दी और दो भाइयों ने इजाजत नहीं दी, इसलिये २०९ मेंटेनेबिल नहीं है। अब अगर कोई स्टेट को पार्टी बनाता है तो क्या पोजीशन होगी? २०९ का २२९ में परिवर्तन हो जायगा। अभी भी हम अदालतों में देखते हैं कि २०९ का दावा हुआ है और वह दावा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिये मेंटेनेबिल नहीं है क्योंकि दो भाइयों ने अपने लैन्ड को ट्रांसफर नहीं किया। फिर उसके लिये डिक्लेयरेशन सूट दायर करने की बात कही जाती है। अगर गवर्नमेन्ट भी एक पार्टी हो तो डिक्लेयरेशन सूट दाखिल कर देना चाहिये और फिर इसमें जरूरी हो जाता है कि स्टेट गवर्नमेन्ट को पार्टी बनावे। अगर २०९ के अन्दर स्टेट गवर्नमेन्ट पार्टी बन गयी तो नतीजा यह होगा कि धारा ८०, सी०पी०सी० के अन्तर्गत दो महीने की नोटिस देना जरूरी होगा और इस तरह से केस में कितना डिले होगा, उसके बारे में श्रीमन्, समझ लें।

अभी भी मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने कोर्ट में २०९ का मुकदमा दायर किया और बीच में चकबंदी आ गयी या जैसा कि धारा ८० के अनुसार दो महीने का नोटिस देने का प्राविजन स्टेट गवर्नमेन्ट के पार्टी बनने पर है, वह देना पड़ेगा, या अगर बीच में चकबंदी का नोटिफिकेशन हो गया तो नतीजा यह होगा कि जो गासिब है वह इससे फायदा उठा सकता है। जहाँ तक स्टेट गवर्नमेन्ट को पार्टी बनाने का सवाल है, इस विधेयक के अन्दर धारायें दी हुई हैं। मैं श्रीमन् का ध्यान खास कर ३४३ और ३४३ ए की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं—

"343. STATE GOVERNMENT TO BE A PARTY IN THE PROCEEDINGS UNDER CHAPTERS III TO V—The State Government shall be and be deemed to be a party in every proceeding before the Compensation Officer or the Rehabilitation Grants Officer under Chapters III to V and every notice to be served or intended to be served on the State Government may be served on the Collector or an authority nominated by the Collector."

श्री अध्यक्ष—वह तो ठीक है, लेकिन यह बिलकुल इर्रेलिवेंट है।

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन्, ३४३-ए भी जरा पढ़ लें।

"343-A. A STATE GOVERNMENT TO BE A PARTY IN SUITS BY OR AGAINST THE GAON SAMAJ OR LOCAL AUTHORITY—Notwithstanding anything in any law if the State Government to prescribe it shall be made a party in any suit or class of suits instituted by or against the Gaon Samaj or local authority under this Act relating to land and other things vested in it under Section 117 or 117-A."

तो इस तरीके से जो यह दो महीने की नोटिस का सवाल है इससे बड़ी दिक्कत पड़ जायगी और लोगों को भी दिक्कत पड़ेगी। एक तरीके से कहीं-कहीं लोगों को फायदा हो जायगा जब २०९ कनवर्ट हो जायगा २२९ में क्योंकि जिस रोज २०९ का दावा किया था उस रोज से वह होगा। इस तरह से ऐसे लोगों का एक तरीके से फायदा होगा जो डिक्लेयरेशन चाहते हैं, लेकिन जो डिक्लेयरेशन नहीं चाहते हैं उनको दिक्कत हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—लेकिन आप जानते हैं कि कितने कोल्यूसिव ट्रांसफर हो जाया करते हैं २०९ में।

श्री कमलासिंह यादव—मैं कहता हूं कि जैसा सरकारी आदेश है, हमने देखा है कि २०९ में क्या हो रहा है और किस तरह से जो सीरदार हैं, उसका राइट अधिवासी का करार दिया जाता है। वहां पर जितने मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल आफिसर हैं, हमेशा यह देखा गया है कि अगर गांव समाज की तरफ से कोई भी चीज ऐसी आती है ट्रांसफर आदि की तो जहां सीरदारी का सवाल है, कहीं अधिवासी को एलाउ नहीं करते और न कहते हैं कि २०९ के जरिये किस तरह से सीरदारी का अधिकार दिया जाय....

श्री कमलासिंह यादव—तो इस तरीके का इम्पेडीमेंट कोर्ट्स में आलरेडी है और सरकार का आदेश है कि इस तरह के ट्रांसफर्स जो सीरदार के नाम पर या २०९ के बेदखली के नाम पर या २२९ दफा के नाम पर अगर आयें तो परमीशन न दी जाय। अब इस तरह

[श्री कमलासिंह यादव]

की चीज है और ट्रांसफर आफ लैंड बचाने में कहीं ऐसा न हो किसी के राइट्स खत्म हो जायें और जो दिक्कत हमारे सामने है वह बनी रहे। इसलिये मैं चाहता हूं यह संशोधन न किया जाय।

*श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—यह संशोधन केवल इसलिये किया गया है कि बहुत से कोल्यूसिव सूट्स व डिग्रियां करा ली जाती हैं और उनके डिग्री कराने के बाद फिर बड़ी-बड़ी बेचौदगी पैदा हो जाती हैं। इस कारण अगर सरकार पार्टी रहती है तो ऐसे सूट्स होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। केवल इसी कारण से यह संशोधन पेश किया है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०

१९५१ ई० के उ०प्र० अधिनियम सं० १ की धारा ३४३—क का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा ३४३—क में शब्द और अंक "धारा ११७ या ११७—क के अधीन निहित भूमि या अन्य वस्तुओं के संबंध में" निकाल दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खं ११

उ०प्र० अधिनियम संख्या १०, १९५४ की धारा १६ का संशोधन

११—रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३ की धारा १६ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदैव से रखी गयी समझी जाय:—

"(३) धारा १५ में अभिदिष्ट अंतिम प्रतिकर विवरण में उल्लिखित प्रतिकर की धनराशि पर राज्य सरकार २ १/२ प्रतिशत वार्षिक की दर से पट्टे के अवसान के दिनांक से प्रतिकर के भुगतान के दिनांक तक का ब्याज देगी।"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन्, हरिनाथ तिवारी जी बोलना चाहते थे।

श्री अध्यक्ष—वह खड़े नहीं हुये।

श्री कमलासिंह यादव—दो मिनट बोल लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:—

पक्ष में—१२३,
विपक्ष में—४९।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खंड १२

१२—उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ५९ के अन्त का पूर्ण विराम निकाल दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:— उ०प्र० अधिनियम सं० ९, १९५७ की धारा १९ का संशोधन

"और इस अधिनियम की धारा ६७ के अधीन नियुक्त प्रतिकर अधिकारी पूर्वोक्त अधिनियम की धारा ३१९ के अधीन नियुक्त पुनर्वासन अनुदान अधिकारी (Rehabilitation Grants Officer) हों।"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—सदन का समय १० मिनट के लिये बढ़ाया जाता है।

खंड १३

१३—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० की धारा २२ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदैव से रखी गई समझी जाय: उ०प्र० अधिनियम सं०१, १९६१ की धारा २२ का संशोधन

"(२) प्रतिकर उस दिनांक से दातव्य होगा, जब धारा १४ की उपधारा (८) के अधीन भूमि पर कब्जा किया जाय, और जब प्रतिकर पाने के हकदार व्यक्ति की भिन्न-भिन्न भूमियों पर कब्जा विभिन्न दिनांकों पर किया जाय तो उक्त दिनांकों में अंतिम दिनांक से दातव्य होगा और वह अवधारण के दिनांक से देय होगा।"

*श्री हरिनाथ तिवारी—मैं खंड १३ का विरोध करता हूं। खंड १३ को अगर पढ़ा जाय तो उससे ज्ञात होगा कि जब एक ही व्यक्ति से बहुत-सी जमीन ली जाती है तो जब आखिरी दफा उससे जमीन ली जाय तब कम्पेनसेशन दिया जाय। लेकिन अगर आखिरी जमीन लेते वक्त कोई रिट लग जाय और उसमें २,३ वर्ष लग जायं तो उस बीच में कोई कम्पेनसेशन नहीं दिया जायगा। मेरा यह कहना है कि जिस वक्त जितनी भूमि ली जाय उसी वक्त उसका उतना कम्पेनसेशन दे दिया जाय और आखिरी जमीन के लिये इन्तजार न किया जाय।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जब तक पूरा पजेशन न मिल जाय तब तक कम्पेनसेशन कायम नहीं कर सकते। इस वजह से यह किया गया है कि जब पूरी जमीन मिल जायगी तो कम्पेनसेशन दिया जायगा और पीसमील कम्पेनसेशन कैसे डिटरमिन किया जाय, यह कठिनाई है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं खड़ा हुआ था और इस पर बोलना चाहता था।

श्री अध्यक्ष—आप खड़े नहीं हुये थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं खड़ा हुआ था। मुझे बोलने का हक है।

श्री अध्यक्ष—यह अनिवार्य नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—किस नियम से आप कहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं तो मैं बतला दूं। कोई संशोधन इसमें नहीं है और संशोधनों का नियम यहां लागू नहीं होता। संशोधनों में कायदा यह है कि संशोधक महोदय बोलते हैं, फिर मंत्री महोदय जवाब देते हैं, फिर बहस होने लगती है। यहां केवल विरोध किया गया है। विरोध में श्री हरिनाथ तिवारी बोले। उसके बाद आप कुछ कहना चाहते तो मैं बुला लेता। लेकिन आपने कुछ कहना नहीं चाहा। फिर मैंने माननीय मंत्री को जवाब देने के लिये बुला लिया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—यह कहां है नियमावली में ?

श्री अध्यक्ष—बतला दूंगा। मुझे अधिकार है, अगर नियम स्पष्ट न हो तो मैं जो कहूंगा वह नियम होगा। नियम देख लीजिये ३१७।

श्री मैनेजर सिंह—अधिकार आपको दोनों तरफ की रक्षा करने के लिये है। क्या उधर ही की रक्षा के लिये अधिकार का इस्तेमाल होगा ?

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठें।

प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६२

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१
१९५१ ई० का उ०प्र० अधिनियम सं० १
उ०प्र० अधिनियम सं० १०, १९५४
उ०प्र० अधिनियम सं० ९, १९५७
उ०प्र० अधिनियम सं० १, १९६१

उत्तर प्रदेश में प्रचलित कतिपय भूमि विधियों को संशोधित करने का (जैसा कि विधान-परिषद् द्वारा पारित हुआ)

विधेयक

यह इष्टकर है कि आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के लिये यू०पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम," रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३, उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ तथा उत्तर प्रदेश अधिकतमजोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६०, का संशोधन किया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रसार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब पहले में आदरणीय सदन के समक्ष, जैसा कि मैंने आज प्रातःकाल कहा था, एक विशेषाधिकार का प्रश्न आया था उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं—

"गत दिनांक १० सितम्बर, १९६२ को भातखंडे संगीत विद्यालय, लखनऊ के समारोह में माननीय अध्यक्ष की सदन के कार्यों के संबंध में आलोचना करते हुये माननीय मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे सदन और माननीय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का पहुंचा है। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रयुक्त शब्द "मैंने इनको अध्यक्ष बनाया ये सदन में विरोधी सदस्यों को इतना मौका देते हैं कि मुझे चार-चार घंटे तक झेला देते हैं। सदन इनके कारण सदन नहीं रह गया है। ये बड़े अक्लमन्द बने हैं।" आदि वाक्य खेद, आपत्ति तथा अपमानजनक हैं। अतः सदन की और अध्यक्ष के विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न माननीय मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त, के विरुद्ध उठाने की अनुज्ञा दी जाय।"

माननीय मुख्य मंत्री जी....।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—(श्री चन्द्रभानु गुप्त के खड़े होने पर) नेता सदन के कहने से पहले अगर एक मिनट मुझे निवेदन करने देते....

श्री अध्यक्ष—पहले मुख्य मंत्री जी को कह लेने दीजिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माफ करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है पहले उन लोगों को सुन लेते....।

श्री अध्यक्ष—यह ठीक है, लेकिन नियम ६४ के अन्तर्गत मेरे पास जब यह आया तो मैं जिसके ऊपर यह आरोप लगाया गया है उससे पूछ सकता हूं। अगर फिर जरूरत पड़ेगी तो देखा जायगा।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—यह सही बात है कि १० सितम्बर को जिसकी चर्चा इस विशेषाधिकार की नोटिस में है कुछ बातें जब भातखंडे सेंटीनरी के अवसर पर मैं गया था हुई थीं। लेकिन जो बातें इसमें लिखी हैं वे मैं कह सकता हूं कि सही नहीं हैं। यदि मेरी बातों से माननीय सदस्य को कोई भ्रम हुआ हो और उससे उनके ऊपर यह असर पड़ा हो कि मैंने सदन का अपमान किया है तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि मुझे उन बातों के लिये बड़ा खेद है। जिस लहजे में बातें हो रही थीं उसमें तो कोई सदन का अनादर करने का प्रश्न था नहीं। मुझे खेद है कि मेरी उस बातचीत का किसी माननीय सदस्य के ऊपर यह असर पड़ा कि मैंने सदन का अनादर करने की चेष्टा की।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—एक व्यवस्था चाहता हूं। एक सदस्य का कहना है कि इस प्रकार माननीय गुप्ता जी ने कहा और माननीय गुप्ता जी ने बिना उस को असत्य बताये हुये कहा कि यह सत्य नहीं है और आपने कहा था कि सदन में जो बात कही जाती है वह सत्य मानी जायगी।

श्री अध्यक्ष—माननीय नेता सदन ने यह कहा कि जिन शब्दों का उल्लेख इस प्रिविलेज मोशन में है उनका उन्होंने प्रयोग नहीं किया और जो शब्द कहे गये थे उनसे मंशा नहीं थी कि सदन का अनादर, हो, अगर हुआ तो उनको खेद है मैं समझता हूं कि यह काफी है। इसलिये इसको खत्म किया जाय।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सत्य को स्वीकार किया, वैसे कामा, फुलस्टाप में भले ही कुछ अन्तर हुआ

[श्री मैनेजरसिंह]

हो, मैं उनकी स्पिरिट की तारीफ करता हूं । चाहे किसी लहजे में उन्होंने बात कही, लेकिन जब हम तक बात पहुंची तो हमें कष्ट हुआ । इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और खेद प्रगट किया ।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६२ (क्रमागत)

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६२, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं विरोध करना चाहता हूं । कुछ थोड़ी-सी बातें इसमें ऐसी आई हैं जिनके लिये मजबूरन विरोध करना पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष—इतना बड़ा विरोध न करें जिससे पौने छै बजे के बाद तक बैठना पड़े ।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, अभी खत्म किये देता हूं । मंत्री जी ने अभी यह कहा कि ग्रामोन्नति के लिये साढ़े बारह एकड़ जमीन बेची जा सके किसी कम्पनी के हाथ या सोसाइटी के हाथ, इस पर उन्होंने बहुत जोर दिया । मैं यह नहीं समझ पाया कि कौन-सा ऐसा उद्योग है जिसमें इससे ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ सकती है । श्रीमन्, साढ़े बारह एकड़ जमीन बहुत बड़ी होती है । मंत्री जी शहर के रहने वाले हैं, उन्होंने बड़ी जमीन देखी होगी तो ३ एकड़ या ४ एकड़ की । लेकिन साढ़े बारह एकड़ जमीन का उन्हें अन्दाजा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—इसका मतलब यह है कि किसी के पास भूमि है एक गांव में । दूसरे गांव में एक्वायर करें और उस एक्विजीशन से उसकी भूमि साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा हो जाय, तो उस हालत में यह कानून के आघात में नहीं आयेगा । यह मतलब नहीं है कि साढ़े बारह एकड़ ही लें, बल्कि उतनी लें जितनी आवश्यक हो ।

कुंवर श्रीपालसिंह—मैं यह अर्ज कर रहा था कि उद्योग के लिये नहीं बल्कि यह स्कीम कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये है । केवल साढ़े बारह एकड़ में कोआपरेटिव फार्मिंग नहीं हो सकती । अगर इसी को समझा जाय कि ग्रामों की उन्नति के लिये यही उद्योग रह गया है, तो इसके लिये जरूरत पड़ेगी वर्ना बड़ी बड़ी फैक्टरी या मिल के लिये भी इससे ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं पड़ेगी । साढ़े बारह एकड़ तक के बेचने का तो प्रावीजन था लेकिन इससे ज्यादा उद्योगीकरण के नाम पर बेची जा सके, इसके लिये यह क्लाज ला रहे हैं, इसलिये यह कहना मेरी समझ में उचित नहीं है । इसका दायरा बढ़ाने का एक मात्र कारण यही है कि कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये जमीन ली जा सके तो ले ली जाय । एक क्लाज इसमें यह रखा है कि किसी भी क्षेत्र में कोई दस आदमी मिल कर सोसाइटी बनालें तो जमीन ले सकते हैं । जैसा कि माननीय दीपनारायणसिंह जी ने बताया कि किसी पूंजीपति ने अपने बड़े खान्दान को मिला कर दस आदमियों की एक सोसाइटी बना ली और सोसाइटी बना कर किसी क्षेत्र में जमीन एक्वायर करने के लिये चलें । चूंकि साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा नहीं ले सकते इसलिये एक क्लाज बढ़ा दिया गया कि साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा ले सकें कोआपरेटिव फार्मिंग के नाम पर और जो भी तमाशा चाहें करें । कोआपरेटिव फार्मिंग का मैं इस सदन में विरोध कर चुका हूं, और विरोध करूंगा जब तक मुझे न समझा दिया जाय और प्रैक्टिकल तरीके पर न दिखला दिया जाय कि कोआपरेटिव फार्मिंग से फायदा हुआ ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—लेकिन जब तक कोआपरेटिव फार्मिंग का कानून नहीं बनावेंगे तो करके दिखलायेंगे कैसे ?

कुंवर श्रीपालसिंह—पुराने कानून के अन्दर ही मंत्री लोग मिल कर कोआपरेटिव फार्मिग करके दिखला दें, किसी भी मामले में कोआपरेशन कर के दिखला दें। हम यों ही मान लेने के लिये तैयार हैं। मामूली मामूली चीजों में तो कोआपरेशन होता नहीं, फार्मिग में कोआपरेशन क्या होगा ? यह कहना कि उद्योगीकरण के लिए जमीन बढ़ाना चाहते हैं, यह बिलकुल अनुचित है। साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा किसी उद्योग के लिये जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी से बड़ी काटन मिल खोल लीजिये, बड़ी से बड़ी शुगर मिल खोल लीजिये, बड़ा से बड़ा प्लांट लगा दीजिये, साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं चाहिए। साढ़े बारह एकड़ जमीन बहुत होती है। इससे वही रेफलेक्शन होता है जो भावना मस्तिष्क के अन्दर है। गांव के लोगों की जमीनें अगर बिकेंगी तो किसके हाथ में आयेंगी ? जिसके पास पैसा है। पैसे वाले पूंजीपति हैं, बड़े बड़े कानपुर वाले। वह अपनी मोटरें लेकर गांवों में पहुंच जायेंगे कोआपरेटिव फार्मिग करने के लिये और गांव के आदमियों के लिये खाने-पीने के लिए जो रोजगार है वह भी चला जायगा। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

*श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—माननीय अध्यक्ष जी, जो वह धारा १५४ है इसकी उपधारा (२) में लिखा हुआ है कि भूमिधर किसी भूमि को निर्दिष्ट औद्योगिक प्रयोजन के लिये विक्रय या दान द्वारा किसी भी व्यक्ति को संक्रामित कर सकता है: किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त भूमि का क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल से अधिक न हो जो औद्योगिक प्रयोजन के लिये उक्त व्यक्ति द्वारा अपेक्षित किया जाय। तो ऐसी सूरत में डाइरेक्टर सर्टिफिकेट देगा। उसमें वह यह भी बतायेगा कि बारह एकड़ की जरूरत है या तीन एकड़ की जरूरत है, पांच एकड़ की जरूरत है। मैं भले ही शहर में रहता हूं। मगर जो डाइरेक्टर हैं वह इंडस्ट्रीज से वाकिफ होगा। वह बतलायेगा कि कितनी जरूरत है। माननीय सदस्य यह सोचें कि किसी को लखनऊ में ६ एकड़ जमीन की जरूरत है और उसकी सीतापुर में २५ एकड़ जमीन है। तो जब तक वह २५ एकड़ जमीन न बेचे वह ६ एकड़ जमीन नहीं ले सकता। तो वह लखनऊ जिले में कोई इंडस्ट्री कायम नहीं कर सकता। ऐसी सूरतों के लिये यह आवश्यक है कि इसमें इतने प्रतिबन्धों के साथ यह अधिकार दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६२ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

जब तक यह प्रक्रिया खत्म न हो जाय माननीय सदस्य कृपा कर के बैठे रहेंगे।

(घंटी बन्द होने पर प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब हम कल साढ़े दस बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४५ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२५ सितम्बर, १९६२।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११० पर)

तालिका

वर्ष				वार्षिक व्यय	वार्षिक आय
				रु०	रु०
१९४९–५०	..	..	..	३६,८१९	१९,४१५
१९५०–५१	..	..	..	५६,९८९	५७,९६१
१९५१–५२	..	..	..	८०,५२७	८३,१५१
१९५२–५३	..	..	..	७१,५४९	३५,२२८
१९५३–५४	..	..	..	६५,६५६	४५,०४९
१९५४–५५	..	..	..	७०,९३१	७३,५१४
१९५५–५६	..	..	..	६३,४३१	६३,४९७
१९५६–५७	..	..	..	७२,१२०	७८,७३१
१९५७–५८	..	..	..	७७,०६०	५६,८१२
१९५८–५९	..	..	..	७४,८२१	५२,६६७
१९५९–६०	..	..	..	६३,७७५	४४,३९०
१९६०–६१	..	..	..	६१,५३२	६१,७४४
१९६१–६२	..	..	..	५६,००९	३६,३७१

विधानसभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११७ पर)

Extracts of para 5 of Nirvachan Vibhag Circular no. E-11689/XVII— dated October 15, 1961

* * * *

5. It needs hardly to be emphasized that the election work is an important public duty and Government desire that there should be no dislocation of polling arrangements in connection with the forthcoming general elections. As far as possible, no casual or any other kind of leave should be granted during the election operations to a government servant, who may be called upon to undertake election duty. Except where it is absolutely unavoidable, no transfers or other changes in the staff should be made during that period as it is essential to avoid any last minute difficulties and dislocations. If, in any case, any officer detailed for polling duty is unable to proceed to his station, or the Head of the Department/Office, etc. considers that for very special reasons he cannot be spared, the department should help in providing a suitable substitute.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी ग

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११८ पर)

तारांकित प्रश्न संख्या २७ के उत्तर में कथित सूचना

राम गंगा योजना की संक्षिप्त रूप-रेखा—

राम गंगा योजना लगभग ६७.९८ करोड़ रुपये की है। इसके अन्तर्गत १७.०६ लाख एकड़ भूमि के सिंचन का, ७.८० लाख एकड़ भूमि बाढ़ से बचाव का, तथा १,३५,०००किलोवाट प्रतिष्ठापित क्षमता (Installed capacity) जल-विद्युत् पैदा करने का प्राविधान है। इस योजना की लागत सिंचन, बाढ़ से बचाव व बिजली के लिये इस प्रकार बांटी गई है—

	लाख रुपय
बाढ़ के बचाव के लिये	९७५
सिंचन के लिये	३,८५३
विद्युत् के लिये	१,९६९

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२३ पर)

तारांकित प्रश्न संख्या ४७ के उत्तर से सम्बन्धित तालिका

मास	आय
	रु०
अप्रैल, १९६१	२५,७४५.०३
मई, १९६१	२६,२२७.७४
जून, १९६१	२३,८५८.९५
जुलाई, १९६१	२६,१८५.४१
अगस्त, १९६१	२४,७५८.०८
सितम्बर, १९६१	२२,६११.२८
अक्तूबर, १९६१	२८,८७९.९६
नवम्बर, १९६१	२०,९१८.३३
दिसम्बर, १९६१	२१,९८०.७७
जनवरी, १९६२	२१,९४८.५४
फरवरी, १९६२	१८,७१६.४१
मार्च, १९६२	२७,७४१.५८
कुल योग ..	२,८९,५७२.०८

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३१ पर)

FROM 2

VISHNU CHANDRA, ADVOCATE.
201 Saket, Meerut.

To

THE STATION IN-CHARGE,
ROADWAYS, MEERUT.

DEAR SIR,

This is in continuation of my verbal complaint lodged with you personally on May 17, 1962 morning and also my written complaint entered in the complaint book kept with the driver of Bus no. 3999 from Meerut to Mussoorie service. I am again sending you this complaint so that you may enquire into the matter and see the things yourself.

1. That on May 16, 1962 on enquiry from your enquiry office on phone for a seat in the upper class on May 17, 1962 in the Meerut to Mussoorie service, I was told that the reserved quota of six seats had already been reserved out of eight upper class seats but I can get a ticket from the current booking quota in the morning provided I reach the bus station in time. I was told that the current booking quota was of two seats.

2. That I reached the Bus station on the morning of May 17, 1962 in time and I was the first to take the ticket. I asked for one ticket of the upper class for Mussoorie but I was surprised to have been told by the booking clerk that all the upper class has already been reserved and I can get only the lower class ticket. Anyway, as I had to go to Mussoorie urgenty there was no way out but to purchase a ticket of the lower class. (My Ticket no. was 83986).

3. Then, I made a complaint to you (Station in charge, Meerut, Shree Rana). Firstly, you took no notice of my complaint but when I was insistent, you took my address and felt regret that all the seats were reserved by the clerk concerned by mistake and that the current booking tickets were not kept open. I thought the matter ended but of the following things which I am narrating I can feel that I was being told a lie by you under the following circumstances.

4. That at Muzaffarnagar one passenger from the upper class dropped there and I was surprised in view of the fact that in that bus preference was to be given to passengers going to Mussoorie direct and not to passengers of mid-way stations and that no reservations were to be made for them. On enquiry I was told by the conductor of the bus that the gentlemen who dropped at Muzaffarnagar was a clerk of the Roadways at Meerut who travelled from Meerut to Muzaffarnagar with the permission of the Station in charge Meerut. Then I occupied the upper class seat after paying the difference. The difference ticket no. was 584444. Here I may mention that the conductor was first reluctant to allow me to occupy the upper class seat but when I occupied it he had to issue the difference ticket. By this will be more apparent that I was denied a seat in the upper class in preference to that clerk of Roadways who travelled from Meerut to Muzaffarnagar without any pass or ticket.

5. Then I became more suspicious about the passengers occupying the upper class seats, and then I came to know that there was the Senior

Station in charge Hardwar Roadways sitting there with one of his friends who were also travelling without any ticket or passes. I made a complaint to the conductor who told me that the Station in charge had checked the bus and so there was no need for any pass for him. Then I complained to the Station in charge Hardwar to note on the challan about the fact of the clerk not mentioned in the challan who travelled from Meerut to Muzaffarnagar. On this he told that he would mention this in his separate report and that he has made a note of this in his diary.

6. Then at Roorkee the secret why I was not given an upper class ticket from Meerut to Mussoorie exploded. The Senior Station in charge Hardwar dropped at Roorkee. The two other occupants went back to the lower class. I was surprised why they had gone back. On making enquiry I came to know that both the gentlemen were also of the Roadways department who were travelling up to Dehra Dun and that four seats were kept vacant from Meerut to Roorkee in order to oblige the father of the Deputy Transport Commissioner who travelled from Roorkee to Mussoorie by the same bus. So, this is the whole story of not giving an upper class ticket to me. It is of no matter if the Government Revenue suffers a loss as there was a loss of the revenue of four seats from Meerut to Roorkee. If the Roadways Department wanted to oblige the father of a Senior Officer the seats could have been reserved from Meerut and availed at Roorkee instead the public is refused the ticket and put to inconvenience.

Under the above facts narrated I would request you to kindly enquire into the matter and proper action taken against those officials or the persons concerned so that the official capacity may not be flouted and the public may not be put to inconvenience in order to oblige the father of an official.

Hope to hear from you,

Yours faithfully,
(Sd.) VISHNU CHANDRA,
Dated June 1, 1962.

Copy forwarded to the following so that a proper enquiry be made in the matter :

(1) The Transport Commissioner, Lucknow.
(2) The Transport Minister, U. P. Government, Lucknow.

(Sd.) VISHNU CHANDRA,

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३५ पर)

प्रश्न ९९ के उत्तर में कथित सूची

जिला जालौन में निम्नलिखित नये माइनर बनाने तथा बढ़ाने का चालू वर्ष में कार्यक्रम है; इनका निर्माण माताटीला बांध की योजना में हो रहा है। इनके तखमीने पूर्ण रूप से स्वीकृत हैं:

क्रमांक	नाम माइनर	लम्बाई		विकास क्षेत्र
१	२	३		४
		मी०	फ०	
१	इटेया माइनर	१	७	जालौन ब्लाक
२	सदपुरा माइनर	२	२	जालौन ब्लाक
३	दौलतपुर माइनर एक्सटेन्शन	४	५	कुठौन्द ब्लाक
४	हिम्मतपुर रजबहा एक्सटेन्शन	१	२	रामपुर ब्लाक
५	सुरजापुर माइनर एक्सटेन्शन	०	४	माधोगढ़ ब्लाक
६	मिझौना माइनर एक्सटेन्शन	०	५	माधोगढ़ ब्लाक
७	सहादतपुर माइनर	१	६	कदौरा ब्लाक
८	हरचनपुर माइनर एक्सटेन्शन	०	४	कदौरा ब्लाक
९	इकलास पुर माइनर	१	६	डकौर ब्लाक
१०	इटावां माइनर	२	१	डकौर ब्लाक

निम्न माइनरों का निर्माण तथा प्रसार की पूर्ति विकास क्षेत्र के चालू वर्ष योजना के अन्तर्गत है और इनके तखमीने स्वीकार हो चुके हैं।

क्रमांक	नाम माइनर	लम्बाई		विकास क्षेत्र
१	नई माइनर	१	४	रामपुरा ब्लाक
२	रतनपुर माइनर	१	२	रामपुरा ब्लाक
३	रुंद ठिमरौं माइनर	०	४	डकौर ब्लाक

निम्नलिखित माइनरों का निर्माण हो रहा है—

क्रमांक	नाम माइनर	लम्बाई			तहसील	स्थान जहां से माइनर निकल रही है।
		मी०	फ०	गज		
१	त्रियुना	२	७	०	कोंच	जयतपुर माइनर
२	जगदेव पुर	२	०	४९५	कोंच	जयतपुर माइनर
३	परेथा	३	७	०	कोंच	देव गांव माइनर

नत्थी 'अ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३९ पर)

यमुना नहर, अपर और लोअर डिवीजन, में पानी की तकसीम के नियम सन् १९२४ में बने थे।

उस वर्ष लोअर डिवीजन में १,५२,६०१ एकड़ रकबा सिंचित हुआ था। उसके बाद इस सिंचित रकबे में पर्याप्त वृद्धि हुई है जैसा कि निम्नलिखित ब्योरे से स्पष्ट है—

वर्ष		सिंचित रकबा एकड़ों में		
		खरीफ	रबी	कुल
१९२३–२४	..	९१,५५५	६१,०४६	१,५२,६०१
१९६१–६२	..	१,५८,०१६	१,४३,४१०	३,०१,४२६

अपर डिवीजन में सन् १९२४ का सिंचाई क्षेत्रफल रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। पहले से कुल सिंचित क्षेत्रफल बढ़ गया है यद्यपि रबी का क्षेत्रफल थोड़ा घट गया है जैसा कि निम्नलिखित ब्योरे से विदित होगा—

वर्ष		सिंचित क्षेत्र एकड़ों में		
		खरीफ	रबी	योग
१९२८–२९	..	७७,११६	५४,११८	१,३१,२३४
१९६१–६२	..	१,३७,८११	४२,८८१	१,८०,६९२

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४२ पर)

परिशिष्ठ 'क'

कृषि और पशुपालन विभागों में राजपत्रित और अराजपत्रित लेखाधिकारियों के लिये निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित हैं--

१--कृषि विभाग--

(क) उत्तर प्रदेश कृषि सेवा जूनियर वेतन-क्रम २५०-२५-४००-द० रो०-३०-७००-द० रो०-५०-८५० रु० के राजपत्रित लेखाधिकारी--

उन अभ्यर्थियों के लिये जो सीधे लोक सेवा आयोग द्वारा (by direct recruitment) भर्ती किये जायं	१-भारत सरकार के आडिटर जनरल द्वारा संचालित एस० ए० एस० की परीक्षा उत्तीर्ण हो अथवा इंडियन एकाउन्टेंसी का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का डिप्लोमा प्राप्त हो ; और २-कम से कम तीन वर्ष के लेखा कार्य का वास्तविक अनुभव जो कि महालेखा पाल, उत्तर प्रदेश, अथवा प्रांतीय अथवा भारत सरकार के वित्त विभाग के कार्यालय में प्राप्त किया गया हो।
उन अभ्यर्थियों के लिये जो पदोन्नति द्वारा (by promotion) नियुक्त किये जायं।	डिवीजनल टेस्ट परीक्षा में उत्तीर्ण लेखा अधिकारी (अराजपत्रित) तथा स्थायी लेखाकारों को ही पदोन्नति द्वारा लेखा अधिकारी (राजपत्रित) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

इस वक्त कृषि विभाग में इस वर्ग के ४ लेखाधिकारी हैं और ये सभी निर्धारित योग्यताओं से युक्त हैं।

(ख) २२०-१५-३७०-द० रो०-२०-४५०--द० रो०-२५-६७५ रु० के वेतन-क्रम के राजपत्रित लेखाधिकारी--

इस वर्ग के लेखाधिकारियों की योग्यतायें निर्धारित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। फिलहाल इन पदों पर विभाग के अराजपत्रित लेखाधिकारी अथवा स्थायी लेखाकारों को (जो कि महालेखापाल, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित डिवीजनल टेस्ट परीक्षा में उत्तीर्ण है) स्थानापन्न रूप से नियुक्त कर दिया गया है। इस समय इस वर्ग में ९ लेखाधिकारी काम कर रहे हैं।

(ग) २००-१०-२५०-द० रो०-१०-३१०-द० रो०-१४-४५० रु० के वेतन-क्रम के अराजपत्रित लेखाधिकारी।

इस वर्ग के पदों पर नियुक्ति केवल पदोन्नति द्वारा (by Promotion) ही होती है जिसके लिये अभ्यर्थी को कृषि विभाग में एकाउन्टेन्ट और महालेखापाल द्वारा संचालित डिवीजनल टेस्ट परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। इस वर्ग में इस समय ५ लेखाधिकारी कार्य कर रहे हैं और सभी अधिकारी निर्धारित योग्यताओं से युक्त हैं।

२—पशुपालन विभाग—

(क) २५०–२५–४००–द० रो०–३०–७००–द० रो०–५०–८५० रु० के वेतन-क्रम के राजपत्रित लेखाधिकारी।

इस वर्ग में केवल एक पद है, जिसके लिये कोई योग्यताएं निर्धारित नहीं की गईं, क्योंकि उस पर नियुक्ति वित्त विभाग द्वारा, उत्तर प्रदेश फाइनेंस एण्ड एकाउन्ट्स सर्विस के सदस्यों में से की जाती है।

(ख) २२०–१५–३७०–द० रो०–२०–४५०–द० रो०–२५–६७५ रु० के वेतन-क्रम के राजपत्रित लेखाधिकारी।

इस वर्ग के पदों के लिये निम्न योग्यताएं निर्धारित की गई हैं—

(१) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आर्ट्स, विज्ञान या कामर्स में डिग्री।

(२) निम्नलिखित अर्हताओं में से एक—

(क) इन्डियन एकाउन्टेंसी बोर्ड का चार्टर्ड एकाउन्टेन्टशिप का डिप्लोमा।

(ख) आडीटर जनरल आफ इन्डिया द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा; तथा

(ग) बुक कीपिंग तथा कामर्शियल एकाउन्टेन्सी के साथ कामर्स में डिग्री।

(३) राजकीय लेखा या आडिट आफिस के लेखा का कम से कम तीन वर्ष का क्रियात्मक अनुभव; तथा

(४) हिन्दी का ज्ञान।

इस समय इस वर्ग में दो पद हैं, जिन पर उपर्युक्त योग्यताओं से रहित व्यक्ति स्थानापन्न रूप से काम कर रहे हैं। इन पदों के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी हो चुका है और ज्योंही आयोग द्वारा स्वीकृत इन योग्यताओं से युक्त अभ्यर्थी उपलब्ध हो जायेंगे, unqualified आदमियों को हटा दिया जायगा।

(ग) २००–१०–२५०–द० रो०–१०–३१०–द० रो०–१४–४५० रु० के वेतन-क्रम के अराजपत्रित लेखाधिकारी।

ऐसे कोई लेखाधिकारी इस समय नहीं हैं और न ही उनकी योग्यताएं निर्धारित ने कर का प्रश्न उठता है।

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ १४७ पर)

क्रम संख्या	ग्रुप	नलकूप संख्या	गूल का बढ़ाव मीलों में
१	२	३	४
१	गोंडा	१	०.८१
२	"	२	०.२५
३	"	३	०.१३
४	"	४	..
५	"	६	०.६२
६	"	७	..
७	"	८	०.२५
८	"	९	०.३१
९	"	१०	०.३७
१०	"	१२	०.३१
११	"	१३	..
१२	"	१४	०.२५
१३	"	१५	०.५०
१४	"	१६	०.३७
१५	"	१७	०.३७
१६	"	१८	..
१७	"	१९	..
१८	"	२०	..
१९	"	२१	०.३१
२०	"	२२	..
२१	"	२३	०.३१
२२	"	२४	०.७६
२३	"	२५	०.३१
२४	"	२६	०.३७
२५	"	२७	..
२६	"	२८	०.७५
२७	"	२९	..
२८	"	३०	..
२९	"	३३	०.८१
३०	"	३९	..
३१	"	४६	०.१२
३२	"	४७	०.५७
३३	"	४८	०.४४
३४	"	४९	१.१०
३५	"	५०	१.०७
३६	"	५१	०.५१
३७	गोंडा	५२	०.३०
३८	"	५३	०.५०
३९	"	५४	०.४०
४०	"	५५	..
४१	"	५६	०.३१
४२	"	५७	..
४३	"	५८	०.५६
४४	"	५९	०.८१
४५	"	६०	..
४६	"	६१	०.२५
४७	"	६२	०.६२
४८	"	६३	०.३७
४९	"	६४	०.५०
५०	"	६५	०.६२
५१	"	६६	०.६९
५२	"	६७	०.५०
५३	"	६८	१.२५
५४	"	६९	०.८७
५५	उतरोली	१	..
५६	"	२	..
५७	"	३	..
५८	"	४	..
५९	"	५	..
६०	"	६	..
६१	"	७	
६२	"	८	..
६३	"	९	..
६४	"	१०	..
६५	"	११	०.७५
६६	"	१२	..
६७	"	१३	..
६८	"	१४	..
६९	"	१५	..
७०	"	१६	..
७१	"	१७	..
७२	"	१८	०.१९

सत्यमेव जयते

क्रम संख्या	ग्रुप	नलकूप संख्या	गूल का बढ़ाव मीलों में
१	२	३	४
७३	उतरोली	१९	..
७४	,,	२०	..
७५	,,	२१	..
७६	तरबगज	१	..
७७	,,	२	०.४०
७८	,,	३	०.२१
७९	,,	४	..
८०	,,	५	..
८१	,,	६	०.४४
८२	,,	७	०.७५
८३	,,	८	०.५०
८४	,,	९	०.७५
८५	तरबगंज	१०	१.५०
८६	..	११	१.५०
८७	..	१२	०.८८
८८	..	१३	१.००
८९	..	१४	०.७५
९०	..	१५	१.००
९१	..	१६	०.८७
९२	..	१७	१.००
९३	..	१८	०.७२
९४	..	१९	०.८८
९५	..	२०	१.५०
९६	..	२१	१.४४
	योग	(लगभग)	३८.४४

उदय प्रदेश सरकार

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १९५ एल० ए०—१९६३—८३०। (प्रो०)